लोक-सभा

बुधवार,
२१ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

अंक ४३—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२ । ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३

लोक-सभा

बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

क्लॉक फैक्टरी

*१९७५. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर की क्लॉक फैक्टरी ने उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, क्या यह घड़ियां अपेक्षित विशेषता रखती हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डाभी : इस कारखाने द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने की कब तक संभावना है ?

श्री कानूनगो : हाल ही में बम्बई में पदाधिकारियों की आवश्यक मशीनरी के ऑर्डर देने के लिये एक बैठक हुई थी, और मशीनरी उपलब्ध हो जाने पर, यह कारखाना उत्पादन आरम्भ कर देगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार को विदित है कि घंटे तथा टाइम पीस दिल्ली में भी बनाये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या वह अपेक्षित विशेषता के हैं ?

श्री कानूनगो : जो हां । भारत में पर्याप्त संख्या में घंटे तथा टाइम पीस बनाये जाते हैं और हो सकता है दिल्ली में भी बनते हों, और यह तो केवल दीवाल पर टां जाने वाले घंटों के लिये है जिनमें से आधे कुटीर उद्योगों में बनाये जायगे ।

भाखड़ा बांध

*१९७७. **सरदार अकरपुरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) निचली तथा ऊपरी धारा के कॉझर बांधों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५९–६० ।

(ख) ऊपरी तथा निचली धारा के कॉझर बांध क्रमशः ३१–५–१९५५ तथा ३१–३–१९५५ को बन कर पूरे हो गये थे ।

सरदार अकरपुरी : क्या यह सत्य है कि ज्यादा स्ट्रौंग ब्लास्टरिंग की वजह से डैम की साइड्स में शिगाफ़ आ गये थे और वे कुछ कमज़ोर हो गई थीं जिसकी वजह से कंक्रीट से और सीमेंट से उनको दुबारा भरना पड़ा ?

श्री हाथी : कंक्रीट डैम अभी शुरू नहीं हुआ है ।

सरदार अकरपुरी : मैं शायद अच्छी तरह समझा नहीं पाया हूं । मेरा मतलब यह है कि जो पहाड़ियां दोनों तरफ हैं उनको ब्लास्टिंग करने से कुछ क्रैक आ गये थे और साइड्स कुछ हिल गई थीं, उनमें शिगाफ आ गये थे और फिर उनमें सीमेंट और कंक्रीट और ज्यादा डाल कर के भरा गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है ?

श्री हाथी : क्या मैं अंग्रेजी में इसकी व्याख्या करूं क्योंकि शायद मैं हिन्दी में न बता सकूं । यह तथ्य है कि बाहर की ओर निचले भाग में चिकनी मिट्टी के कुछ क्षेत्र थे परन्तु मुख्य बुनियाद की ओर नहीं थे । इसका अभी परीक्षण किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ हम चिकनी मिट्टी के क्षेत्र से बचने के लिये और नीचे जायेंगे ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : इनका मतलब यह है कि कुछ चीज़ हुई जिसकी वजह से शिगाफ़ आ गये और जो साइट पहले चुनी गई थी उसे बदलना पड़ा । यह बात गलत है । कोई नये शिगाफ़ पैदा नहीं हुए । कई बार ऐसा होता है कि सरफ़ेस इस क़िस्म की होती है जिसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है और उसके लिये वह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है । कोई नये शिगाफ़ पैदा नहीं हुए ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या भाखड़ा नंगल की प्रत्याशित विद्युत् जनन क्षमता को किसी प्रकार से मूल अनुमानों से कम कर दिया गया है, यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री हाथी : क्षमता को कम नहीं किया गया है । हम ने इस सम्बन्ध में एक प्रैस विज्ञप्ति भी जारी की है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या बांध के स्थान पर पहाड़ियों के अधिक उड़ा दिये जाने की शिकायत की गई थी ?

श्री नन्दा : मैं ने इसी प्रश्न के बारे में कहा है । प्रैस में कुछ ऐसे सुझाव दिये गये थे कि पहाड़ों को जो उड़ाया गया था वह तनिक अधिक ही था और इस से उसकी नींव की मजबूती पर प्रभाव पड़ा है । जैसे ही इस बात का मुझे पता लगा, मैंने यथासंभव अच्छे तरीके से इस मामले की देखभाल कराई और अपनी संतुष्टि की कि ऐसा नहीं हुआ था; और इससे अग्रेतर, शीघ्र ही एक परामर्शक बोर्ड कुछ विदेशी विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने वाला है । वह भी दोबारा इस मामले पर विचार करेंगे ।

अप्रयुक्त पारेषक

***१९७९. श्री गिडवानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५३ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५० किलोवाट के मध्यम तरंग पारेषकों (मीडियम वेव ट्रांसमीटरों) को, जिन्हें बहुत समय से खरीदा गया था, अब तक काम में लाया गया है;

(ख) इतने समय से अप्रयुक्त पड़े हुए ऐसे पारेषकों की संख्या क्या है;

(ग) कितने समय से वह स्टोर में पड़े थे;

(घ) स्टोर में रखते समय इन पारेषकों (ट्रांसमीटरों) के संधारण पर क्या लागत आई;

(ङ) खराब हो जाने के कारण कितनी हानि हुई; और

(च) खराब हुए सामान को दोबारा ठीक कराने पर क्या लागत आई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) ६ पारेषक १९४८–५० में प्राप्त हुए थे। एक को १९५१ में लगा दिया गया था। एक और को १९५३ में लगा दिया गया था और दो १९५४ में लगा दिये गये थे और शेष दो १९५५ में लगाये गये।

(घ) से (च). केवल गोदाम शुल्क को छोड़कर उनके संधारण, खराबी अथवा दोबारा ठीक कराये जाने पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

श्री गिडवानी : क्या यह ट्रांसमीटर संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के द्वारा टडर मंगवाकर अथवा किसी तदर्थ आधार पर खरीदे गये थे ?

डा० केसकर : मैं संभरण तथा उत्सर्जन के महा-निदेशक की ओर से कुछ नहीं कह सकता। वह सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। उसने इस मामले विशेष में ऐसा किया था या नहीं यह मुझे मालूम नहीं किन्तु मैं समझता हूं कि उसने ऐसा किया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन ट्रांसमीटरों के साथ में कुछ ऐसे क़ीमती वाल्व थे जिनकी ज़िंदगी केवल तीन वर्ष थी ? चूंकि इन ट्रांसमीटरों का प्रयोग तीन साल ख़त्म हो जाने के बाद किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि इन वाल्वों का क्या हुआ, यदि नुक्सान हुआ तो कितने रुपये का नुक्सान हुआ ?

डा० केसकर : मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूं कि मैं उनकी तरह बड़ा टैक्नीशियन तो नहीं हूं और मैं नहीं जानता हूं कि ऐसे वाल्व थे जिनकी उम्र तीन साल की थी। रेडियो वाल्व जितने हज़ार घंटे या जितने सौ घंटे वे जलाये जाते हैं उसी के हिसाब से उनकी ज़िन्दगी गिनी जाती है। लेकिन जिस कम्पनी से यह ख़रीदे गये थे उसके साथ यह कांट्रेक्ट था कि अगर ये रखने से ख़राब हो जायें तो उनको वह कम्पनी रिप्लेस करे। इसी कांट्रेक्ट्स के अनुसार जो कुछ वाल्व रखने से खराब हो गये उनके बदले में कम्पनी ने हमें दूसरे दे दिये।

भारत–सोवियत प्राविधिक सहायता

*१९८०. **श्री बोगावत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत प्राविधिक सहायता समझौते के अन्तर्गत भारत अपने प्राविधिविज्ञों अथवा विशेषज्ञों के एक दल को यूराल मशीनरी संयंत्रों अथवा रूस के अन्य संयंत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करन के लिये भेजेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्राविधिविज्ञ तथा विशेषज्ञ भेजे जायेंगे और किस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये और किन संयंत्रों में भेजे जायेंगे ;

(ग) क्या इस विषय पर कोई भारत-सोवियत समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि हां, उसके पद क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). मैंने सारी अवस्था १३ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१५ के उत्तर में स्पष्ट कर दी है, कि सरकार सोवियत प्राधिकारियों से योजना प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है।

श्री बोगावत : यूराल में ये विशेषज्ञ कितने समय तक रहेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विशेषज्ञों की इस्पात संयंत्रों के प्रयोजन से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जैसा कि मैंने कहा है जब तक मुझे सोवियेत संघ के प्राधिकारियों से अन्तिम परियोजना न मिले मैं उस समय तक कुछ नहीं बता सकूंगा।

लोहा तथा मैंगनीज अयस्क

*१९८४. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उड़ीसा वाणिज्य मंडल से लोहे तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो खान-स्वामियों की मुख्य कठिनाइयां क्या हैं, और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) खानों के मालिक-उत्पादकों को उनके उत्पादन के अनुपात से बाजार सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये क्या उपबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) उड़ीसा वाणिज्य मंडल का अभ्यावेदन जो कि लोहे तथा मैंगनीज के निर्यात के बारे में है, सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) और (ग). अभ्यंश प्रणाली को पहले पहल नये लोगों तथा खान स्वामियों को निर्यात की सुविधायें देने के लिये लागू किया गया था, क्योंकि १९५३ में जो परिस्थितियां थीं, उनके अन्तर्गत नये लोग अपने अयस्क की ढुलाई करने के लिये डिब्बों के प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे थे । उपलब्ध रेलवे स्थान के ५० प्रतिशत से ज्यादा निर्यात के लिये अयस्क ढोने के हेतु अब खान-स्वामियों को आवंटित किया जा रहा है । आवंटन उनके उत्पादन के अनुपात से किया जाता है । उनकी मुख्य शिकायत ऐसे स्थापित निर्यातकों के विरुद्ध है जो कि खानों के स्वामी नहीं हैं और जिन्हें अयस्क ढोने तथा निर्यात करने में भाग लेने की आज्ञा है । सरकार इस सुझाव को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि स्थापित निर्यातकों को डिब्बों के नियतन के सम्बन्ध में अभ्यंश योजना से पूर्णतया निकाल दिया जाये ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या सरकार खनिज अयस्कों के निर्यात में किस्म सम्बन्धी कोई नियंत्रण करने की कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री करमरकर : हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ है ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या मध्यजन निर्यातकों को दूसरी निर्यात वस्तुओं कोयला, वस्त्र, चाय, पटसन आदि जैसे मुख्य निर्यातों के सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिया जाता है और यदि नहीं, तो खनिज उद्योगों में ही मध्यजन निर्यातकों को क्यों प्रोत्साहन दिया जाता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : निर्यात की आज्ञा देने का हमारा मुख्य प्रयोजन यह है कि हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो; और जो कुछ सावधानियां हम करते हैं वह इसी की प्राप्ति के लिये होती हैं, अर्थात् सामान वास्तव में निकलता रहे । हम लोगों को केवल इसीलिये प्रोत्साहन नहीं दे सकते कि वे खानों के मूल स्वामी हैं और उनके विदेशों में सम्बन्ध नहीं हैं ।

विदेशों में सम्बन्ध होना आवश्यक है । जहां भी यह आवश्यक नहीं होता है, वहां इन वस्तुओं के निर्यात में पहले अन्य प्रकार के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है । किन्तु इस मामले में मुख्य उद्देश्य की कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक वस्तु में सरकार की नीति मध्यजनों को समाप्त कर देने की ही है क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में, मध्यजनों को अर्थात उन निर्यातकों को

जिन्होंने कलकत्ता गोदी के समस्त स्थान पर अपना एकाधिकार जमा रखा है, खान-स्वामियों पर इस कारण पर कि खान-स्वामियों के विदेशी सम्बन्ध नहीं हैं, क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खान-स्वामियों को सिद्ध करना पड़ता है कि उनके विदेशों में सम्बन्ध हैं । केवल इस सीमा तक कि कलकत्ता पत्तन में इन अयस्कों की अधिक मात्रा पड़ी नहीं रहती है, हम खान-स्वामियों को प्रोत्साहन देने के लिये तैयार हैं । किन्तु मैं दोबारा वही बात कहता हूं जो कि मैं ने पहले कही थी, कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मुख्य प्रयोजन यही है कि निर्यात होता रहे ।

श्री पी० सी० बोस : नये लोहे तथा इस्पात के कारखानों के प्रस्तावित निर्माण को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इन समस्त खानों को स्वामियों के हाथों से लेने की प्रस्थापना करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में इतना अधिक अयस्क उपलब्ध है कि यदि हम अगले सौ वर्षों तक भी इसका निर्यात करते रहें, तो भी हमारे इस्पात संयंत्रों के लिये हमारे पास पर्याप्त अयस्क रहेगा ।

भारतीय वस्त्र उद्योग

*१६८६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय वस्त्र उद्योग द्वारा चालू वर्ष के अन्त तक उस घाटे के पूरा कर लिये जाने की प्रत्याशा है जो कि कानपुर की कपड़ा मिलों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल कर दिये जाने के कारण हुआ था ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : १६५५ के उत्पादन आंकड़ों को, कतिपय दुर्घटनाओं को छोड़कर, १६५४ के उत्पादन से तनिक अधिक होने की आशा है । यह विचार किया जा सकता है कि कानपुर की हड़ताल के कारण उत्पादन में हुए घाटे को समस्त क्षेत्र के उत्पादन में हुई थोड़ी सी वृद्धि पूरा कर देगी ।

श्री विश्वनाथ राय : इस हड़ताल के कारण कपड़े के उत्पादन में कितना घाटा हुआ है ?

श्री कानूनगो : ५०० लाख गज से कुछ कम ।

श्री विश्वनाथ राय : इस हड़ताल के कारण श्रमिकों को उनकी दैनिक मजूरी के रूप में कितनी हानि हुई ?

श्री काननगो : हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि कुल उत्पादन का एक प्रतिशत थी ।

श्री विश्वनाथ राय : इस हड़ताल के कारण सरकार को उत्पादन शुल्क की कितनी हानि हुई ?

श्री कानूनगो : इसका अनुमान नहीं लगाया गया है ।

मूंगफली का तेल और खली

*१६८७. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) मूंगफली के तेल पर बढ़े हुए निर्यात शुल्क के लागू किये जाने में आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं;

(ख) निर्यात शुल्क के बिना मूंगफली की खली के मुक्त निर्यात की अनुमति दी जाने का क्या आधार है; और

(ग) १६५४–५५ और १६५५–५६ में मूंगफली की खली की आन्तरिक कीमतें क्या थीं और बाहरी कीमतों की तुलना में वह कैसी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) मूंगफली की खली के निश्शुल्क निर्यात की आज्ञा नहीं है। निर्यात पर प्रति टन २३० रुपये शुल्क लगता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मूंगफली की खली का देश में अतिरेक है, और यदि हां, क्या यह इसी कारण खली के बिना शुल्क निर्यात किये जाने की आज्ञा है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं। मेरे सहकारी ने इस बात से स्पष्टतया इन्कार किया है कि इसके निश्शुल्क निर्यात किये जाने की आज्ञा दी जा रही है । हम २३० रुपया प्रति टन लेते हैं और हमारे लिये यह आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है ।

जहां तक इसके अतिरेक होने का प्रश्न है, इस मामले में हम खाद्य और कृषि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार, जो समय समय पर उससे हमें मिलता है, कार्य करते हैं । यह उसकी राय है कि मूंगफली की खली का कुछ अतिरेक है जिसे स्थानीय खपत को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाये हम निर्यात कर सकते हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि मूंगफली की खली यहां पर अत्यधिक कीमतों पर बेची जा रही है जिससे कि कृषकों के हितों को, जो कि उसे अधिक उत्पादन करने के लिये एक उर्वरक के रूप में काम में लाते हैं, हानि पहुंच रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मेरी जानकारी नहीं है। फिर भी, मुझे यह प्रश्न सत्यापण के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय को भेजना है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि जब कि हम एक ओर तो कारखानों में नतरोजनीय उर्वरक बना रहे हैं, दूसरी ओर हम उन वनास्पतिक नतरोजनीय उर्वरकों का निर्यात कर रह हैं जिसे कि भूमि में दोबारा उन पशुओं के गोबर आदि के रूप में चला जाना चाहिये जिन्हें कि वह चारे इत्यादि के रूप में दिया जाना चाहिये । क्या सरकार ने कभी इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार अभी सापेक्ष रूप से विचार कर रही है, उस निरपेक्ष रूप में नहीं जैसा कि माननीय सदस्य विचार करते प्रतीत होते हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : इस वस्तु का निर्यात करने की आज्ञा किन किन व्यापारिक संस्थाओं को दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना चाहिये ।

दामोदर घाटी निगम की लिफ्ट सिंचाई योजना

***१९८८. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के तिलैया तथा कोनार क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के प्रयोजन से विद्युत् संयंत्र तथा मशीनरी लगाने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमत्री (श्री हाथी) : (क) दामोदर घाटी निगम ने केवल तिलैया जलाशय से विद्युत् पम्प द्वारा एक लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाई थी । किन्तु इस योजना को इस पर आने वाली अत्यधिक लागत को दृष्टि में रखते हुए छोड़ दिया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस क्षेत्र को प्रतिवर्ष सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र को इन बड़े बांधों में एकत्रित जलराशि से सींचने का कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम ने अन्य बांध भी बनाये हैं जो कि आस पास के क्षेत्रों की सिंचाई करते हैं । जहां तक तिलैया से जल का सम्बन्ध है, उन्होंने एक योजना बनाई भी थी किन्तु यह अत्यधिक महंगी थी । उन्होंने अब एक नयी योजना बनाई है और उसे बिहार सरकार को भेजा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इन बांधों से पानी निकालने और उसे धान के खेतों तक पहुंचाने के लिये छोटी नहरों का एक जाल बिछाने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री हाथी : संभवतया उस क्षेत्र की भूमि में इस प्रकार की सिंचाई होना संभव नहीं होगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : वह लागत क्या थी जिसे अत्यधिक बताया गया था ?

श्री हाथी : लगभग १००० रुपये प्रति एकड़ ।

रूरकेला परियोजना

*१९९१. **श्री संगण्णा :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री २५ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला परियोजना क्षेत्र के पानी की विशेषज्ञों द्वारा यह जानने के लिये छानबीन की जा रही है कि वह मानव उपभोग के उपयुक्त है या नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). कोयल नदी के पानी की जांच की गई थी और विश्लेषण से पता लगा है कि यह पानी मानव उपभोग के लिये उपयुक्त है ।

श्री संगण्णा : क्या इस संयंत्र को जल पहुंचाने के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जांच की जा रही है, और यदि हां, तो जल संभरण की कौन सी प्रणाली अपनायी गयी है, परिचालन प्रणाली या अपरिचालन प्रणाली ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान प्रस्थापना यह है कि हमें परिचालन प्रणाली को अपनाना चाहिये जिससे पानी के खर्च में बचत की जा सके । परन्तु यदि हमें अन्त में पता चले कि हमें जल का पर्याप्त संभरण प्राप्त हो रहा है, अर्थात, लगभग २०० क्यूसेक्स, तो यह हो सकता है कि हम जल का प्रयोग करें और बाद में उसे फिर नदी में छोड़ दें । परन्तु अभी तो हमारे समस्त विचार परिचालन प्रणाली को रखने की ओर लग रहे हैं ।

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार

*१९९२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाण्डुंग सम्मेलन में पारित आर्थिक संकल्प के अनुसार पूर्व और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३१]**

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण से पता चलता है कि अन्तर्प्रादेशिक व्यापार परामर्श

के लिये स्थान है, जहां तक कि वह सम्मेलन के संकल्प के अनुरूप है । क्या ऐसे परामर्श प्रदेश के बाहर के देशों जैसे इंगलैण्ड और अमरीका के साथ भी किये जाते हैं जिनका कि इस क्षेत्र में किये गये व्यापार के साथ सम्बन्ध है ?

श्री करमरकर : इंगलैण्ड एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का एक सदस्य है । इंगलैण्ड और अमरीका दोनों एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग में भाग लेते हैं । परन्तु यह अन्तप्रर्देशिक परामर्श केवल प्रदेश विशेष को ही प्रभावित करते हैं । यह परामर्श केवल प्रादेशिक समस्याओं के सम्बन्ध में ही होने चाहियें ।

श्री एन० बी० चौधरी : एशियाई–अफ़रीका सम्मेलन के संकल्प के आर्थिक भाग से पता चलता है कि उन्होंने सिफ़ारिश की है कि उभयपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्था के द्वारा प्राथमिक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा मांग को स्थायी बनान के लिये भाग ग्राही देशों द्वारा सामूहिक कार्यवाही की जानी चाहिये । मूल्यों के स्थायीकरण के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: ऐसे मामलों में, जब दो या दो से अधिक देशों का सम्बन्ध हो, तो दूसरे पक्ष को भी कदम बढ़ाना चाहिये । यदि अन्य देशों ने कोई क़दम नहीं बढ़ाया है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते थे ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं देखता हूं कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में से आठ के साथ भारत ने व्यापार क़रार किये हैं । क्या सरकार सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों के साथ भी व्यापार क़रार करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां । यदि वे देश तैयार हैं तो हम निश्चय ही इस विषय पर विचार करेंगे ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस वक्त यह मामला किस प्रकम पर है ?

श्री कामत : यदि समस्त एशिया के लिये नहीं तो दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में परामर्श तथा समायोजन करने के लिये क्या कोई संपर्क समिति या कोई अन्य निकाय स्थापित किया गया है ? और क्या इस क्षेत्र के किसी विशेष भाग के लिये कोई प्रशुल्क संघ स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री करमरकर : प्रशुल्क संघ की कोई प्रस्थापना नहीं है । एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग मूल निकाय है जो कि इस संकल्प का जन्मदाता है ।

श्री कामत : और सम्पर्क निकाय के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री करमरकर : एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग कार्यकारी निकाय ही है और यही निकाय इस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित है ।

शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन

*१९९४. **श्री के० सो० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत्रु फ़र्म और शत्रु व्यापार और शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन के अधीन कितनी फ़र्में हैं, और शत्रु सम्पत्ति की कितनी क़ीमत है;

(ख) किन-किन देशों से ये फ़र्में और सम्पत्तियां सम्बन्ध रखती हैं; और

(ग) कन्ट्रोलर का कार्यालय कितनी कालावधि से काम कर रहा है और आजकल वहां पर किस प्रकार का काम हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) शत्रु फ़र्मों तथा शत्रु व्यापार के कन्ट्रोलर तथा शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन के अधीन इस समय एक भी फ़र्म नहीं है। इस समय २,८५७ फर्मों तथा व्यक्तियों की सम्पत्ति उक्त अफ़सर के अधीन है और उसका मूल्य ६ करोड़ रुपये के लगभग है ।

(ख) सदन-पटल पर एक विवर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३२]**

(ग) कार्यालय गत १६ वर्षों से काम कर रहा है और आजकल उसमें निम्नलिखित प्रकार का काम होता है :—

(१) उसके अधीन जो सम्पत्ति है उसका ठीक ठीक हिसाब किताब रखना;

(२) सम्बन्धित देशों के साथ जो सम्पत्ति समझौते हुए हैं उनके अनुसार शत्रु सम्पत्ति को उनके मालिकों को लौटाना; और

(३) भूतपूर्व शत्रु देशों के विरुद्ध भारतीय दावों की रजिस्ट्री करना और उनकी जांच पड़ताल करना तथा ऐसे दावों को तय कराना ।

श्री के० सी० सोधिया : इन दावों के तै करने में कुल कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री करमरकर : समय अवलम्बित होता है दूसरी पार्टी के ऊपर भी । माननीय सदस्य जानते होंगे कि जापान और इटली के साथ हमारे नैगोसियेशन्स चल रहे हैं । हम नहीं कह सकते कि इसमें कितना समय लग जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : साल भर में ये कस्टोडियन लोग कितनी सम्पत्ति का फ़ैसला कर देते होंगे ?

श्री करमरकर : ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है क इस साल इतना तै हो जायेगा । हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक साल में कितना डिस्पोज़ल हो जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : कस्टोडियन के दफ्तर पर साल भर में कितना खर्च होता है?

श्री करमरकर : इसके लिये मुझे नोटिस चाहियें । इसमें तो हमारा नुकसान ही होता है ।

श्री कामत : शत्रु देशों के वर्गीकरण का जो आधार अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया था क्या हमारा आधार आज वही है, अर्थात क्या सरकार ने उसी आधार को स्वीकार किया है ?

श्री करमरकर : इसका सम्बन्ध तथा कथित "शत्रु" आस्तियों से है जो कि यहां पर हैं और हमारी उन आस्तियों से है जो कि विदेशों में हैं । मेरी समझ में नहीं आया कि "अंग्रेजी आधार" से "भारतीय आधार" की तुलना करने में माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है । आधार केवल एक ही है और कुछ करारों के अनुसार हमारी सम्पत्तियों के उन से वापस लेने और उनकी सम्पत्तियों को लौटाने के कुछ तरीक़े निर्धारित हैं । यही मामले चल रहे हैं ।

श्री कामत : क्या वे अब भी शत्रु देश कहे जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री क्लीमेन्ट डी० जान्स्टन

*१९९५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकन चैम्बर आफ कामर्स बोर्ड के प्रधान श्री क्लीमेन्ट डी० जान्सटन हाल में भारत आये थे ।

(ख) यदि हां, तो उन के आगमन का प्रयोजन क्या था ; और

(ग) क्या उन्होंने उद्योग के राट्रीय-करण के विरुद्ध कोई विचार प्रकट किये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को पता चला है कि श्री क्लीमेन्ट डी० जान्सटन नामक क महाशय भारत आये अवश्य थे ।

(ख) सरकार को उनके आगमन के ठीक ठीक प्रयोजन का ज्ञान नहीं है ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण

*१९९६. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी के पटना केन्द्र से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : अभी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : आजकल प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के कितने केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं ?

डा० केसकर : आज कल उनका प्रसारण लखनऊ, नागपुर, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से किया जाता है । इन का प्रसारण आकाश-वाणी के इन केन्द्रों से भी कराने की व्यवस्था की जा रही है :—गौहाटी, कटक, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, पटना तथा जालन्धर ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इन केन्द्रों से विशेषत: पटना से, प्रादेशिक भाषाओं में समाचारों का प्रसारण कब तक आरम्भ किया जायेगा ? क्या पटना केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की भी कोई प्रादेशिक भाषा है ? यदि हां, तो प्रादेशिक भाषा में प्रसारण करने में इस विलम्ब होने का कारण क्या है ?

डा० केसकर : विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है । जिन केन्द्रों का मैं ने नाम लिया है वहां से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का सारण प्रयोगात्मक आधार पर किया गया है, क्योंकि इस काम को आदि से बनाना था । अब हम समझते हैं कि जो अनुभव हमने प्राप्त किया है, उसकी सहायता से हम सभी प्रमुख प्रादेशिक मुख्यालयों के लिये योजना तैयार कर सकते हैं, और माननीय सदस्य यह विश्वास रखें कि पटना से भी हम बहुत जल्दी उनका प्रसारण करवायेंगे ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरल संगीत तथा लोक गीतों का सैक्शन भी एसे केन्द्रों से सम्बद्ध है जहां से कि प्रादेशिक भाषाओं में समाचार प्रसारित किये जाते हैं ?

डा० केसकर : मुझे भय है कि माननीय सदस्य प्रादेशिक भाषा और प्रादेशिक बोली को एक ही बात समझ कर भ्रम में पड़ रहे हैं क्योंकि सरल या लोक संगीत का प्रश्न सरल प्रादेशिक भाषा के सम्बन्ध में नहीं उत्पन्न होगा, परन्तु जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, यह स्थानीय बोलियों के सम्बन्ध में उत्पन्न होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा पटना से भी प्रादेशिक भाषा म समाचार प्रसारित करने की एक प्रस्थापन है । आकाशवाणी के पटना केन्द्र में किस प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया जायेगा ?

डा० केसकर : मुझे भय है कि इन समाचार बुलेटिनों के उद्देश्य के सम्बन्ध में पूर्ण रूप भ्रम फैला हुआ है । प्रादेशिक भाषा समाचार बुलेटिनों जैसी कोई चीज़ नहीं है । प्रादेशिक समाचार बुलेटिन होते हैं ।

एक अखिल भारतीय समाचार बुलेटिन होता है जो सभी भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों द्वारा यह अनुभव किया गया है और हमारे सामने इस प्रकार के अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं कि प्रादेशिक महत्व के समाचार छूट जाते हैं, उदाहरणार्थ, यह बात ज्यादातर राज्यों के मुख्यालयों के सम्बन्ध में होती है जहां विधान मण्डल होते हैं तथा राजनैतिक चहल पहल बहुत अधिक होते हैं, वहां यह समाचार रेडियों द्वारा प्रसारित नहीं होने पाते हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिये, हमने इन प्रादेशिक प्रसारणों की प्रस्थापना की थी जिन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे आवश्यक रूप से प्रादेशिक भाषा समाचार प्रसारण ही हों।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

*१९९७. **श्री बर्मन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों पर किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय कितना था;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों की राशि क्रमशः कितनी थी;

(ग) गत चार वर्षों में कुल कितनी धन राशि खर्च की गई तथा १९५५-५६ के लिये अनुमानित व्यय कितना है;

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिये वास्तव में दिया गया कुल अंशदान कितना है;

(ङ) क्या खर्चे में कोई कमी हुई है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३३**]

श्री बर्मन : विवरण से पता चलता है कि कमी २८१ करोड़ रुपये की है जिसके लिये कुछ कारण उत्तरदायी हैं, जिन में से एक यह है कि प्रविधिक से विवर्ग का संगठन किया जाना था, विशेषतः उन राज्यों में जो कम प्रगतिशील थे। यह 'कम प्रगतिशील' राज्य कौन से थे ?

श्री एस० एन० मिश्र : कम प्रगतिशील राज्यों की परिभाषा करना तो कठिन है, परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत कमी लगभग सभी राज्यों में समान रूप में हुई है।

श्री बर्मन : यह कहा गया है कि प्रविधिक तथा प्रशासनिक से विवर्ग का संगठन किया जाना था, विशेषतः कम प्रगतिशील राज्यों में। क्या उस समय से उन राज्यों का यह पिछड़ापन दूर कर दिया गया है जिससे कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रगतिशील राज्यों के साथ साथ चल सकें ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि वह दोष पूर्ण रूप से दूर कर दिया गया है, परन्तु तेजी से इस स्थिति में सुधार किया जा रहा है।

श्री बर्मन : क्या मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के..... परिपालन के सम्बन्ध में सारे भारत का समग्र चित्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रशासनिक और प्रविधिक संगठन बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आजकल हमारा ध्यान इसी ओर है, परन्तु हम ऐसा कोई विशेष तथा निश्चित विनिश्चय नहीं कर सके हैं जिसे कि मैं सभा के सामने रख सकूं।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि विभिन्न राज्यों को प्रविधिक से विवर्ग अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के कारण स्थानीय निर्माण कार्यों की प्रगति अवरुद्ध हो रही है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : स्थानीय निर्माण कार्य समग्र योजना का एक भाग हैं, और जहां तक मुझे स्मरण है, एक बार मैं ने सभा को बताया था कि, कुछ सीमा तक, प्रविधिक से विवर्ग के अभाव के कारण हमारे काम में अड़चन पड़ रही है । उसी सीमा तक कुछ कमी रही है—हो सकता है कुछ और भी कारण हों । परन्तु मैं यह नहीं समझता हूं कि इसके कारण कोई बहुत बड़ी अड़चन पड़ी है ।

सरकारी आवास-स्थान

*१९९८. **श्री बी० के० दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात, सरकारी आवास-स्थान पर कब्ज़ा रखने के विषय में, गवर्नमेन्ट ऑफ़ इंडिया प्रेस के कर्मचारियों तथा सामान्य समूहन से आवास-स्थान प्राप्त करने के हक़दार अन्य सरकारी कर्मचारियों में एक प्रकार का भेदभाव किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के कारण क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० के० दास : मेरे पिछले प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि जहां तक सामान्य समूहन का सम्बन्ध है किसी भी मामले में अनुज्ञा देने से कभी इंकार नहीं किया गया है परन्तु प्रेस समूहन के सम्बन्ध में चार मामले ऐसे हुए हैं जिनमें अनुज्ञा देने से इन्कार किया गया था । क्या इसका अर्थ यह है कि बाद वाले मामले में और भी कठोर आधार पर विचार किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अतारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर में मैं ने जो कुछ वास्तव में कहा था वह यह था कि उन मामलों में जिनमें कि ऐसे किसी आवंटन के अग्रेतर बढ़ाये जाने के लिये कोई युक्तियुक्त औचित्य था उनमें इस प्रकार के अवधि-विस्तार की आज्ञा दे दी गई है । मैं ने यह नहीं कहा था कि किसी भी मामले में समय के बढ़ाये जाने की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था । मैं ने कहा यह था कि यदि कोई युक्तियुक्त औचित्य पाया गया तो मांग को अस्वीकार नहीं किया गया था ।

श्री बी० के० दास : इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों की संख्या पर ध्यान देते हुए क्या प्रेस समूहन में रखे गये मकानों की प्रतिशतता कम है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा विचार तो ऐसा नहीं है । वास्तव में प्रेस समूहन सामान्य समूहन की तुलना में उत्तम है । और चूंकि उन को पालियों में काम करना पड़ता है हमने उन के साथ अधिक उदारता का व्यवहार किया है । यदि हम उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद समय सीमा में विस्तार नहीं करते हैं, तो इसका कारण यह है, कि जो वास्तव में प्रेस में काम कर रहे हैं उनको आवास-स्थान दिया जा सके इसीलिये विस्तरण की मांग को स्वीकार करने में हम कुछ सख्ती से काम ले रहे हैं ।

हीरा

*२००३. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६४६–४७ के आयात की तुलना में १६५३ से बिना कटे हीरों के आयात का अभ्यंश घटा कर २५ प्रतिशत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयात अभ्यंश के कम किये जाने और आयात शुल्क के बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या ऐसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका अभ्यंश बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ङ) क्या हीरा काटने के उद्योग को कोई राजकीय सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १६४६–४७ में (बिना कटे हुए) हीरे के आयात की आज्ञा खुले आम लाइसेंस पर थी। लगभग ३।। वर्ष तक इस मद पर प्रतिबन्ध रहने के बाद जनवरी–जून १६५३ में इसकी २० प्रतिशत अभ्यंश निर्धारित किया गया था।

(ख) विदेशी विनिमय तथा राजस्व सम्बन्धी विचार ही इसका कारण है।

(ग) बिना तराशे हीरों के आयात शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) प्रत्येक छमाही के बाद, उस समय प्रचलित विभिन्न तत्सम्बन्धी तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, आयात नीति का पुनरीक्षण किया जाता है। आज की परिस्थिति में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आयात नीति क्या होगी।

(ङ) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृत्रिम हीरों के निर्माण से अनकट हीरों के आयात में कमी हो जाने की संभावना है ?

श्री करमरकर : ऐसा बताना अभी समय से बहुत पहले की बात है; यह तो ग्राहकों पर निर्भर करता है।

श्री टी० एन० सिंह : रुक्ष हीरों के आयात में कमी किये जाने से पूर्व हीरा काटने के उद्योग में हीरा काटने वाले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, और उनकी इस समय क्या स्थिति है और उस वर्ग में से कितनी बेरोज़गारी फैली है ?

श्री करमरकर : इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है; हमारे पास हीरा काटने वालों के जनसंख्या सम्बन्धी कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य नहीं है कि लगभग २००० व्यक्ति, जो कि यह कार्य कर रहे थे, अब बेकार हो गये हैं और यह भी कि कटे हुए हीरों का निर्यात, जिसमें हमने पर्याप्त उन्नति कर ली थी, कम हो गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं, श्रीमान्। निर्यात वृद्धि योजना के अधीन किसी भी व्यक्ति को, जो कि हीरों का निर्यात करने के योग्य है, हीरे आयात करने की अनुमति है। जहां तक बेकारी के आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं इन आंकड़ों के बारे में बहुत सुनता रहा हूं, और हमें इन आंकड़ों को बाध्य होकर स्वीकार करना ही होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : पन्ना में हीरा काटने वाले बड़े उच्च कोटि के प्रविधिक थे। क्या हीरों को काटने में और उन्हें देश से बाहर

निर्यात करने में उन व्यक्तियों की निपुणता का कोई लाभ उठाया गया है ?

श्री करमरकर : मैं ठीक ठीक समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का इस प्रश्न से, कि क्या हम हीरे काटने वालों का पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं, क्या तात्पर्य है। उनके प्रति हमारी शुभाकांक्षायें हैं और हम चाहते हैं कि वे खूब उन्नति करें।

भारत–ईरानी व्यापार

*२००४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत–ईरानी व्यापार कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस व्यापार को उन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की प्रस्थापना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री एस० एन० दास : क्या १९५४ तथा १९५५ के वर्षों के ईरान को किये गये आयात और निर्यात के आंकड़े उपलब्ध हैं, और, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री करमरकर : अपने मित्र को मुझे यह बताते हुए अतीव हर्ष होता है कि १९५४ तथा १९५५ में व्यापार पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है जैसा कि आंकड़ों से ज्ञात होगा। १९५५–५६ में अप्रैल से जून तक आयात तथा निर्यात दोनों का कुल व्यापार ४,२१,००,००० रुपये का हुआ है, जब कि १९५४–५५ में अप्रैल से जून तक १,६९,००,००० रुपये का व्यापार हुआ था।

श्री एस० एन० दास : ईरान से कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती हैं? क्या यह सत्य है कि क्योंकि भारत इन में कुछ एक वस्तुओं का निर्यात नहीं करता है, इसलिये व्यापार में कुछ कमी सी हो गई है ?

श्री करमरकर : हमारे निर्यात की मदें हैं—औषधि, औषधियां, फल, सब्जियां, खनिज पदार्थ, तिलहन, गोंद और राल। ईरान से किया गया हमारा आयात ३,३५,००,००० रुपयों का था, जबकि १९५४–५५ में यह १,१२,००,००० रुपयों का था।

श्री कामत : क्या ईरान में भारतीय व्यापारियों पर कोई ऐसे प्रतिबन्ध लगे हुए हैं जोकि भारत में ईरानी व्यापारियों पर नहीं लगे हुए हैं ?

श्री करमरकर : वहां पर जो कुछ भी कठिनाई थी, वह हाल में बनाई गई एक विधि के द्वारा समाप्त हो गई है। इस समय भारतीय व्यापारियों को वहां किसी भी प्रकार की कठिनाई की कोई शिकायत नहीं है।

पुर्तगाली भाषा में प्रसारण

*२००५. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली भाषा में प्रसारण करने के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या तथा पद क्या हैं;

(ख) प्रतिदिन इन प्रसारणों को कुल कितना समय दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार को कोई इस बारे में सूचना मिली है कि इन प्रसारणों का गोआ के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) २; कर्मचारी कलाकार।

(ख) पुर्तगाल तथा गोआ के लिये किये गये प्रसारण के लिये प्रत्येक को क्रमश: आधा घण्टा ।

(ग) हां, श्रीमान् । वे उन व्यक्तियों को वह सांस्कृतिक और राजनीतिक जानकारी दे कर, जो कि किसी अन्य साधन से उन्हें उपलब्ध नहीं होगी, अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं ।

श्री कामत : क्या ये प्रसारण केवल समाचारों तक ही सीमित रहते हैं अथवा इनमें गोआ सम्बन्धी भारत की नीति को समझाने वाली और पुर्तगाली सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध झूठे और विषैले प्रचार का निराकरण करने वाली वार्तायें भी सम्मिलित होती हैं, और समाचारों के लिये कितना समय दिया जाता है अन्य वार्ताओं के लिये कितना समय दिया जाता है ?

डा० केसकर : ये वार्तायें केवल गोआ-आन्दोलन का प्रचार करने की दृष्टि से ही आरम्भ नहीं की गई थीं । वास्तव में ये वार्तायें उस समय प्रारम्भ की गई थीं जब कि हमें यह ज्ञात हुआ कि पुर्तगाल और पुर्तगाली बस्तियों के व्यक्तियों को भारत के सम्बन्ध में हर प्रकार की ग़लत और अशुद्ध सूचनायें दी जा रही थीं और यदि उन्हें ठीक और शुद्ध सूचना दी जायें तो इससे उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा । आधे घण्टे की कोई कठोर सीमा नहीं है । समाचारों के लिये कितना समय दिया जाता है और वार्ताओं और अन्य बातों के लिये कितना समय दिया जाता है, यह तो सदा बदलता रहता है । यह तो एक प्रकार का विविध कार्यक्रम होता है । इस में मनोरंजन का कार्यक्रम भी होता है; वार्तायें भी होती हैं; समाचार भी दिये जाते हैं और कभी कभी छोटे नाटक भी किये जाते हैं ।

श्री कामत : क्या इन प्रसारणों का विषय केवल रायटर, पी० टी० आई० और ए० एफ० पी० से ही लिया जाता है अथवा क्यूडो और अन्तारा जैसे एशियाई समाचार अभिकरणों से भी लिया जाता है ?

डा० केसकर : मैं नहीं जानता कि रायटर और पी० टी० आई० इस प्रश्न में कहां से आते हैं । ऐसे समाचार ही जो उनकी रुचि के होते हैं दिये जाते हैं । हम केवल अपने समाचार बुलेटिनों को ही पुर्तगाली भाषा में अनुवादित करा कर प्रसारित नहीं करते हैं ।

श्री कामत : इन प्रसारणों के पुर्तगाली रूपान्तर किस के द्वारा विधीक्षित तथा ठीक किये जाते हैं ? उसकी अहर्तायें क्या हैं और क्या यह सत्य है कि उसने इस इकाई के लिये और अधिक कर्मचारियों की मांग की है ?

डा० केसकर : म ठीक ठीक नहीं बता सकता कि उन्हें अधीक्षित करने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन सी उपाधियां हैं । हमें यही सन्तोष है कि वह काम को सुचारु रूप से करने योग्य है । उस काम के लिये केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है जिन्हें हम विश्वसनीय और ठीक समझते हैं । जहां तक और अधिक समय का सम्बन्ध है, निश्चय ही इन प्रसारणों के लिये अधिक समय की मांग की गई है, परन्तु मुझे खेद है कि जब तक कि हम बम्बई में एक पारेषक नहीं लगा लेते हैं, जो कि इस समय लगाया जा रहा है, उस समय तक समय बढ़ाना संभव नहीं होगा ।

श्री कामत : मैं ने अधिक समय के सम्बन्ध में नहीं अपितु अधिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

यूरेनियम के डिपोज़िट

*२००६. **श्री मोतीलाल मालवीय** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्य प्रदेश में किस स्थान में यूरेनियम के डिपोज़िट पाये गये हैं;

(ख) यूरेनियम किस मात्रा में पाया गया है; और

(ग) इस खनिज को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). बुंदेलखंड (विन्ध्य प्रदेश) के छतरपुर, पथारिया, कुर्राहा और पीरा के गांवों के पास ग्रेनाईट जखीरों में कुछ रेडियोएक्टिविटी का पता लगा था। यह रेडियोएक्टिविटी बिखरी हुई हालत में थोड़े से स्थानों में ही पायी गई, जिसका यूरेनियम के जखीरों की दृष्टि से कोई आर्थिक अथवा ज्योलोजीकल महत्व नहीं।

(ग) इन इलाकों में खोज का काम १ अक्तूबर, १९५५ से फिर शुरू किया जायेगा।

श्री मोतीलाल मालवीय : क्या यूरेनियम की खोज करते समय यूरेनियम जैसे कोई और बहुमूल्य पदार्थ का वहां पर पता चला है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं है। इस सवाल के सिलसिले में इत्तिला नहीं आई है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र के आसपास इस क़िस्म का कोई पदार्थ पाने के लिये भी अनुसन्धान किया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, मैं ने आप को बतलाया तो।

'अभाव क्षेत्रों' का सुधार

*२००८. **डा० सत्यवादी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कुल धन में से 'अभाव क्षेत्रों' के सुधार पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है जो प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अधीन नियत है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण, जिसमें १९५३-५४ और १९५४-५५ में विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋण और १९५५-५६ में इस कार्य के लिये निर्धारित राशियां दी हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) योजना आयोग १९५४-५५ के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन के लिये सूचना एकत्रित कर रहा है। यह प्रतिवेदन यथासमय सभा पटल पर रखा जायेगा।

डा० सत्यवादी : जिस कदर रकमें कर्जे के रूप में स्टेटमेंन्ट में बताये गये वर्षों के लिये मंजूर की गई थीं क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने उन को युटिलाइज कर लिया है या नहीं ?

श्री हाथी : जब प्राग्रेस रिपोर्ट आयेगी तब इस का पता लगेगा।

डा० सत्यवादी : पहली पांच साला प्लैन के खात्मे तक कमी के इन इलाकों के सम्बन्ध में जो स्कीम बनाई गई है, उस के पूरे होने की आशा की जा सकती है या नहीं ?

श्री हाथी : कोई कोई स्कीमें पूरी हो जायेंगी, अभी तो पेपर में शुरुआत हुई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस योजना के अधीन स्वीकृत धन अल्पकालीन कार्यवाही थी या दीर्घकालीन कार्यवाही ?

श्री हाथी : वह तीस वर्ष के काल के लिये ऋण है ....

अध्यक्ष महोदय : योजना का उद्देश्य क्या था ?

श्री हाथी : योजना का उद्देश्य 'अभाव क्षेत्रों' में सिंचाई के कार्यों द्वारा सुधार करना था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि पहिले किसी प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि उसने दो श्रेणियां बनाई हैं—तत्कालिक सहायता के लिये अल्पकालीन योजन और दीर्घकालीन योजनायें ।

श्री हाथी : वास्तव में यह 'अभाव क्षेत्रों' की तत्कालिक सहायता के लिये है ।

आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग

*२०१०. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन भारत सरकार ने किसी राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य का नाम क्या है; और

(ग) वह योजना किस प्रकार की थी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) . आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की योजना करना मुख्यतः राज्य सरकारों का विषय है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग सब राज्य सरकारों के पास, जहां आदिवासी हैं, ऐसी योजनाएं हैं । भारत सरकार केवल इस सम्बन्ध में आर्थिक सहायता देती है ।

(ग) योजनाओं में आम तौर पर यह बातें शामिल होती हैं :

(१) उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।

(२) जंगल की छोटी पैदावारों से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए क्रय-विक्रय व अन्य सहकारी संस्थाओं का संगठन ।

(३) टैक्निकल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, और

(४) ट्रेनिंग पाये हुए लोगों को काम में लग जाने के लिए आर्थिक सहायता ।

श्री अमर सिंह डामर : इन योजनाओं में से मध्य भारत में कौनसी योजना चालू है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मध्य भारत में कर्घों के केन्द्र खोले गये हैं और मधुमक्खी पालन का काम हो रहा है । साथ साथ बढ़ई और लोहार के काम का भी विकास वहां पर हो रहा है ।

श्री अमर सिंह डामर : ऐसी योजनायें क्या आदिवासियों की उन्नति के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : ऐसा ही सोच कर तो इस को किया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस योजना के अधीन आन्ध्र के अभिकरण क्षेत्र में कौन कौन से कुटीर उद्योग आरम्भ किये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : उन की तफसील तो बहुत है, अगर उन के बारें में बताना चाहूंगा तो बहुत ज्यादा देर लगेगी ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

*२०११. **श्री राधा रमण :** क्या **पुनर्वास** मंत्री १६ मार्च १६५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली राज्य में तत्पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का पूर्ण नियन्त्रण स्थानीय संस्थाओं को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे हस्तान्तरण की शर्तें क्या रखी गई हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में जो सेवायें पूर्ण हो गई हैं उनसे सम्बद्ध अवशेष को वे पूर्ण होने पर ले लेंगे ।

(ख) जो सेवायें पूर्ण हैं वे निम्न शर्तों के अधीन स्थानीय संस्थाओं को दे दी गई हैं :—

(१) जहां किसी कारण लक्ष्य तिथि पर काम पूरा नहीं हो पाता, तो स्थानीय संस्था को सेवा-विशेष पूर्ण करने का काम केवल तभी आरम्भ करना चाहिये जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग उसे समय में उचित विस्तार देन से भी पूरा न कर सके ;

(२) जिन बस्तियों में महत्वपूर्ण सेवायें जैसे ज़मीन के नीचे नाली, आदि पूर्ण होने में छः मास से अधिक लगने की आशा हो, अन्तरिम काल में उन सेवाओं को ठीक रखने के व्यय के लिए स्थानीय संस्था को, स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय सहायता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री राधा रमण: क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकेंगे कि अब तक कौन कौन सी बस्तियां हस्तान्तरित कर दी गई हैं और कौन सी शेष हैं, और उन्हें हस्तान्तरित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : हस्तान्तरित की गई बस्तियां हैं लाजपत नगर १ और २, निजामुद्दीन पूर्व और पश्चिम, जंगपुरा विस्तार, नये राजेन्द्र नगर के ए० से जे० तक के ब्लाक, पुराना राजेन्द्र नगर और अलीगंज लगभग पन्द्रह बस्तियां और हैं, और वे कार्य के पूर्ण होते ही दे दी जायेंगी ।

श्री राधा रमण : क्या हस्तान्तरित बस्तियों पर वित्तीय आभार हैं, और पुनर्वास मंत्रालय उनमें किस अनुपात से भाग लेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : इन बस्तियों में सुविधायें पूर्ण हो गई हैं, और जहां आवश्यक है, यदि हमें यह विश्वास हो जाता है कि यह पुनर्वास मंत्रालय का उत्तरदायित्व है, हम निश्चय ही उनकी सहायता करेंगे ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*२०१२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में किस प्रकार की सांस्कृतिक विकास योजनाएं बनाई गई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री ज० एन० हजारिका) : सरकार की नीति यह है कि आदिम जातीय संस्कृति का लोगों की बुद्धि के अनुसार विकास होने में प्रोत्साहन दिया जाये ।

आदिम जाति-भाषाओं का सम्मान किया जाता है और आदिम जाति-मातृभाषा में स्कूलों में शिक्षा दी जाती है । पाठ्य-पुस्तकें तैयार हो रही हैं । ये पुस्तकें आदिम जाति-बोली में लिखी जायेंगी और उनमें आदिम जाति अभिकरण के भूगोल, उनके इतिहास और लोक गीतों पर लेख तथा वर्णन होंगे ।

आदिम जाति उत्सवों के मनाने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है

और आदिम जाति गीत, नृत्य और खेल स्कूलों की पाठ्यचारिका में सम्मिलित किये जाते हैं।

आदिम जाति-कला में गौरव बढ़ाने और उसके विकास के लिये एक उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र अजायबघर खोला जा रहा है ।

अभिकरण का विचार एक विभाग खोलने का है जिसका कार्य आदिम जातियों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रूपों का अध्ययन करना होगा । इस विभाग से अनेकों भाषा-शास्त्रियों का सम्बन्ध होगा । वे आदिम जाति भाषाओं का अध्ययन करेंगे, पौराणिक कथाओं और आदिम जातियों के लोक गीतों को रिकार्ड करेंगे और आदिम जाति साहित्य की रचना में सहायता देंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : आदिम जाति भाषाओं में कितनी पुस्तकें तैयार हो गई हैं और क्या उस कार्य के लिये कोई सम्पादक बोर्ड नियुक्त किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पूछ ताछ किये बिना मैं यह सूचना नहीं दे सकता ।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के सांस्कृतिक विकास के लिये कितने धन की व्यवस्था है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह ज्ञात कर सकता हूं । मेरा ख्याल है ये आंकड़े हाल में प्रश्नों के उत्तर में दिये गये थे, परन्तु इस समय वे मेरे पास नहीं हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न डाइलेक्ट्स के लिये क्या कोई कामन स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस में पहले रोमन स्क्रिप्ट लिखी जाती थी क्योंकि इसी तरह से वह मिशनरी कालेजेज वगैरह में पढ़ाये गये थे । अब ज्यादातर हिस्से में हिन्दी है, लेकिन बाज हिस्सों में रोमन जारी है ।

खादी की वर्दियां

*२०१३. **श्री डाभी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खादी की वर्दियां देने का फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). यद्यपि कोई विशिष्ट फैसला नहीं किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खादी की वर्दियां दी जायें, कुछ विभाग इस काम के लिये मिल के बने कपड़े के स्थान पर खादी का क्रय करते रहे हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

श्री डाभी : क्या भविष्य में सरकार का विचार इन कर्मचारियों को खादी की वर्दियां देने का है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं कह चुका हूं कि खादी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और विगत कुछ वर्षों में क्रय मात्रा से यह स्पष्ट हो जाता है कि १९५३–५४ में सरकार ने ११,५५१ रुपये का क्रय किया ; १९५४–५५ में २१,९६,२३१ रुपये का क्रय किया; १९५५–५६ में अगस्त के

अन्त तक ३६,७५,६२५ रुपये मूल्य के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री डाभी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई निश्चित फैसला किया है, उदाहरणार्थ, जैसे संचार मंत्रालय या रेल मंत्रालय में किया गया है कि वे सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खादी की वर्दियां देंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में हमें प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । खादी और ग्राम्य उद्योग बोर्ड भरसक प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु इस समय वे वास्तव में आवश्यक खादी की पूर्ण मात्रा नहीं दे सकते थे । अतः कोई निश्चय नहीं किया गया ।

सूती कपड़ा

*२०१४. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सूती कपड़े को कीनिया, युगंडा और टांगानीका के बाजारों में इंगलिस्तान, हालैंड और जापान से बड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्पर्धा का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें अफरीका के पूर्वी देशों को भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने के लिये भी कार्यवाहियों का उल्लेख है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री के० पी० सिन्हा : १९५४ में कुल कितना सूती कपड़ा निर्यात किया गया और वर्तमान आंकड़ों से उनका तुलनात्मक सम्बन्ध क्या है ?

श्री करमरकर : १९५४ में प्रति मास हमारे निर्यात की औसत मात्रा ५९.६ लाख गज थी । १९५५ में चारों में निर्यात की औसत मात्रा ३६.३ लाख गज है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या इन देशों को ऊनी कपड़े का निर्यात करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : ऊनी वस्तुओं के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री बोगावत : क्या सरकार स्पर्धा में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्य करेगी ?

श्री करमरकर : मुझे सन्देह है कि स्पर्धा हटाई नहीं जा सकती । हमें इसका सामना करना है ।

मोरक्को में भारतीय

*२०१६. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल मोरक्को में कितने भारतीय रहते हैं ;

(ख) क्या उन में से किसी को उस देश में हाल में हुए उपद्रवों में हानि पहुंची ; और

(ग) क्या उनके जीवन और सम्पत्तियों की रक्षा के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादतअली खां) : (क) फ्रांसीसी मोरक्को में लगभग १०० भारतीय व्यापारी हैं ।

(ख) फ्रांसीसी मोरक्को में हाल में हुए उपद्रवों में भारतीयों की हुई हानि की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) आवश्यकता होने पर भारत सरकार यथोचित कार्यवाही करेगी ।

श्री बी० एस० मर्ति : क्या मोरक्को में इन व्यापारियों की सम्पत्ति-हानि की कोई सूचना मिली है ?

श्री सादत अली खां : मैं कह चुका हूं कि हमें सम्पत्ति की किसी हानि की कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : संसार के उस भाग में भारतीयों की जन संख्या क्या है ?

श्री सादत अली खां : उत्तरी अफरीका, जिबराल्टर तथा आस पास के द्वीपों में लगभग ३००० भारतीय हैं ।

सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें

*२०१८. **श्री बोगावत : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं में प्राथमिकता का क्रम क्या है;

(ख) बाढ़ और अकालग्रस्त तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों को, तथा शीघ्र फल देने वाली सस्ती योजनाओं को क्या प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) क्या कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को छोड़ देने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये सापेक्ष प्राथमिकता के सिद्धान्त योजना आयोग ने अपने दिनांक १९ मई, १९५४ के पत्र संख्या पी० सी० (५) १ (८) (ए)/५४ में निर्धारित किये हैं । संबद्ध उद्धरणों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ख) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर बाढ़ रक्षण योजना के अधीन अलग विचार किया जायेगा । अकाल पीड़ित और पिछड़े हुए क्षेत्रों को सहायता देने की दृष्टि से, योजना आयोग ने १९५३ के उत्तरार्ध में अभाव क्षेत्रों के स्थायी सुधार के एक कार्यक्रम की अगवाई की थी । इस कार्यक्रम के अधीन कुछ योजनायें सम्भवतः प्रथम योजना काल में पूर्ण हो जायेंगी और शीघ्र ही उन से फल प्राप्त होगा । इस के अधीन आने वाली योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को ऋण दिये जा रहे हैं ।

(ग) अभी निश्चय होने शेष हैं ।

श्री बोगावत : क्या विगत ७, ८ वर्षों से निरन्तर महाराष्ट्र के अभाव-क्षेत्रों के रक्षण की मांग है और क्या अभाव-क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली इस अति महत्वपूर्ण समस्या पर नाममात्र को ही ध्यान दिया जाता है ?

श्री हाथी : अभाव कार्यक्रमों के अधीन योजना आयोग ने बम्बई के लिये ४८७ लाख रुपये की व्यवस्था की है । इस वर्ष बम्बई के लिये २५० लाख रुपये नियत किये गये हैं ।

श्री बोगावत : जहां तक अभाव क्षेत्रों का सम्बन्ध है, क्या नियत राशियां अति अधिक महत्वहीन हैं और क्या बम्बई राज्य में इन बड़े अभाव क्षेत्रों के रक्षण के लिये बड़ी राशियों का होना आवश्यक है ?

श्री हाथी : जसे जैसे योजनायें आती हैं वैसे वैसे ही उनकी जांच होगी । अभी, ४८७ लाख रुपये में से १३ लाख रुपये १९५३ के लिये, १२३ लाख रुपये १९५४ के लिये और २५० लाख १९५५–५६ के लिये नियत किये गये हैं । अब भी कुछ शेष है ।

श्री बोगावत : क्या सरकार अभाव क्षेत्रों के रक्षण के लिये द्वितीय योजना में और कार्यवाही करेगी और क्या इस सम्बन्ध में प्रयास किये जायेंगे ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य उस पत्र को, जिसका उल्लेख मैं ने मुख्य उत्तर में किया

था, देखने की कृपा करें। अभाव क्षेत्रों के कार्यक्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

मोनाज़ाइट रेत

*२०२०. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मोनाज़ाइट रेत में से थोरियम की विखण्डनीय सामग्री की सफाई की गवेषणा से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) विदेशी वैज्ञानिकों से प्राप्त यदि कोई विशेषज्ञ सलाह है तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) 'भारतीय रेयर अर्थस लिमिटेड' द्वारा आल्वे में स्थापित एक फैक्टरी 'मोनाज़ाइट' से कम प्राप्त होने वाले भूमि मिश्रण तथा ट्रिज़ोडियम फास्फेट का उत्पादन करती है। अवशिष्ट से, भारत सरकार के ट्राम्बे के अणु शक्ति विभाग द्वारा स्थापित यूरेनियम थोरियम संयंत्र द्वारा थोरियम तथा यूरेनियम के मिश्रणों का उत्पादन किया जाता है। अग्रेतर टैक्नोलोजिकल गवेषणा के पश्चात् शुद्ध थोरियम तथा यूरेनियम की उत्पति की स्थिति भारी है।

(ख) थोरियम उर्वरक पदार्थ है जिससे यू २३३ बनाया जा सकता है जो कि विखण्डनीय वस्तु है। स्वयं थोरियम विखण्डनीय नहीं है। इस समय हम ने केवल गवेषणा तथा प्रयोगात्मक रीएक्टर लिये हैं। ब्रीडर रीएक्टरों की थोरियम से यू २३३ बनाने की आवश्यकता होती है तथा इन 'रीएक्टरों' को भारत में बनाने का काम आरम्भ नहीं किया गया है। इसलिये इस विषय में विदेशी सहायता लेने का प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता है।

श्री कामत : क्या कुछ दिन पूर्व जेनेवा में हुए अणु सम्मेलन से इस सम्बन्ध में अणु गवेषणा में विभिन्न विदेशों द्वारा इसे गुप्त रूप से रखने के रवय्ये में कुछ कमी हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। बहुत सी सामग्री जो पहले गुप्त थी वहां बताई गई। परन्तु अब भी बहुत बातें गुप्त रखी जा रही हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*२०२३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने कुछ दिन पूर्व अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों की योजना आयोग से चर्चा की है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल सरकार की योजना के प्रारूप की चर्चा योजना आयोग तथा मंत्रालयों में १९ तथा २० सितम्बर को हुई थी। चर्चा के आधार पर पश्चिमी बंगाल सरकार इस प्रारूपक योजना का पुनरावर्तन करेगी।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि उच्च लक्ष्यों तथा अधिक धनराशि के प्रचुर प्रचार के पश्चात् लक्ष्यों तथा धनराशि में कमी से जनता के मन में सन्देह हुआ है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं इस प्रश्न का उद्देश्य नहीं समझा।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : पश्चिमी बंगाल सरकार की योजना के सम्बन्ध में, जो कि प्रश्न का विषय है—इस प्रकार की आशंका नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या उनके प्रस्ताव में दी गई नदी घाटी परियोजनाओं में, कोसी परियोजना को स्वीकार कर लिया गया है, तथा क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकार से, योजना पर कार्य जारी रखने के लिये कहा है ?

श्री नन्दा : इन बातों पर अभी विचार-विमर्श हो रहा है तथा अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है जो अन्तिम हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार

*२०२५. **श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार किस दिनांक को समाप्त हुआ था; और

(ख) नया करार, पुराने करार से किन मामलों में भिन्न होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ३१ मार्च, १९५५ को ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार का नवीकरण करने की वार्ता अभी करार में सम्बन्धित पक्षों में हो रही है ।

श्री बर्मन : इस समझौते में कौन कौन देश हैं ?

श्री करमरकर : इस समय भारत, श्रीलंका, इन्डोनेशिया तथा पाकिस्तान हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या अन्य सरकारें सहयोग दे रही हैं तथा क्या सरकार को करार के तय पाने की भी आशा है ?

श्री करमरकर : मेरा ऐसा ही विचार है । हम करार के हो जाने के विषय में आशावादी हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में देहातों का विद्युतीकरण

*१९७३. **श्री राधा रमण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली राज्य से देहातों के विद्युतीकरण की कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसको सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन

*१९७४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन में कोई भारतीय प्रतिनिधि गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अणुशक्ति विभाग के सचिव डा० एच० जे० भाभा एफ० आर० एस० के नेतृत्व में ५ प्रतिनिधियों तथा १४ सलाहकारों का एक शिष्टमंडल, ८ से २० अगस्त, १९५५ को जेनेवा में हुए अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया था । इस शिष्टमण्डल के प्रधान डा० भाभा सम्मेलन के भी सभापति थे ।

(ख) डा० भाभा अभी भारत नहीं लौटे हैं । वह निश्चय ही उचित समय पर सम्मेलन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

*१९७६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में क्रयावक्रय (हायर एन्ड पर्चेज़) पद्धति को लागू करने के परिणाम-स्वरूप तथा सहकारी समितियों को ऋण देने के तरीकों में ढील देने के परिणाम स्वरूप क्या प्रगति हुई ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : फरवरी १९५४ में जब सहकारी समितियों को ऋण देने के तरीकों में ढील देने तथा क्रयावक्रय पद्धति के सुधार की सर्वप्रथम घोषणा हुई थी तो उस समय ४५ आवेदन-पत्र लम्बित थे । नवम्बर १९५४ में ऋण देने के तरीकों में अग्रेतर ढील दी गई थी । इन नौ माह में आठ आवेदन-पत्र और प्राप्त हुए थे तथा ५३ आवेदन-पत्रों में से १८ स्वीकार कर लिये गये थे । न २, १९५४ से आवेदन-पत्रों की संख्या बढ़कर ६५ तथा स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या २२ हो गई ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में शिक्षा

*१९७८. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न बातों का वर्णन हो :

(क) १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के आदिम-जातीय विद्यार्थियों को माध्यमिक तथा हाई स्कूलों और कालिजों में अध्ययन के लिये कितनी धन राशि छात्रवृत्ति के रूप में व्यय हुई है; और

(ख) वर्तमान वर्ष में उन पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री हजारिका): (क) और (ख). १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के आदिम-जातीय विद्यार्थियों को उनके माध्यमिक तथा हाई स्कलों और कालिजों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति के रूप में निम्न-लिखित व्यय किया गया था :—

	१९५३–५४	१९५४–५५
(१) माध्यमिक स्कूल	६,४८० रुपये	१०,०८० रुपये
(२) हाई स्कूल .	१,८०० रुपये	२,१०० रुपये
(३) कालिज . .	३,९६० रुपये	२,१६० रुपये

वर्तमान वर्ष में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के आदिम-जातीय विद्यार्थियों को निम्न-लिखित धन राशि छात्रवृत्ति के रूप में देने का विचार है :

(१) माध्यमिक स्कूल २४,००० रुपये

(२) हाई स्कल .. ९,००० रुपये

(३) कालिज .. १,९२० रुपये

अल्प-आय वर्ग की आवास योजना

*१९८०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से अब तक त्रिपुरा के अगरताला नगर में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अल्प-आय वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ;

(ख) ज़मीन के खरीदने तथा मकान बनाने के लिये कितने व्यक्तियों के लिए ऋण स्वीकार किये गये हैं ; और

(ग) क्या त्रिपुरा के अन्य डिवीज़नों के सरकारी कर्मचारियों को भी इस प्रकार की सुविधायें देने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). अल्प-आय वर्ग आवास योजना के अधीन उनको ऋण देने के स्थान पर ऐसा प्रस्ताब किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण देने के स्थान पर ठीक उसी प्रकार से अग्रिम धन दिया जाया करे जैसा कि १९३७ से पहले दिया जाता था । इस प्रकार के अग्रिम धन के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा शीघ्र ही उनकी घोषणा की आशा की जाती है ।

आवश्यक तेल

*१९८२. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी प्रकार के आवश्यक तेल भारत में निकाले जाते हैं ;

(ख) देश की आवश्यकता पूर्ति के लिये इस उद्योग के विकास की क्या संभावना है ; और

(ग) क्या उद्योग ने संरक्षण के लिये प्रार्थना पत्र भेजा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) भारत में इस समय निम्नलिखित आवश्यक तेल निकाले जाते हैं :

'लैमन ग्रास' पाम रोज़, सन्दल वुड, ज़िजर, मंजन, **औरंज,** बेरगामेट, लैवैन्डर, कैनांज, जरमेनियम, यलांग यलांग, थाप्मे क्लोव, कोलामास आदि ।

(ख) कुछेक आवश्यक तेलों में भारत आत्मनिर्भर है जैसे लैमन ग्रास, पामरोज, सन्दल वुड, ज़िजर ग्रास तथा यूक्लिपटिस । अन्य का उत्पादन भी बहुत बढ़ाया जा सकता है ।

(ग) जी नहीं ।

नदी घाटी परियोजना

*१९८३. **श्री एल० एन० मिश्र:**
श्री टी० सुब्रह्मण्यम :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी, कोना तथा नन्दी परियोजना से सम्बन्धित राज्यों को अब तक प्रतिवर्ष कितना वार्षिक वित्तीय अनुदान दिया गया है तथा प्रत्येक राज्य ने अभी तक वस्तुतः कितनी राशि का व्यय किया है ;

(ख) यह सहायता किन शर्तों पर दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नन्दीकोंडा के सम्बन्ध में अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है । १९५४–५५ में कोसी के सम्बन्ध में बिहार सरकार को ९६ लाख रुपया ऋण दिया गया था जबकि वास्तविक व्यय ५१.३३ लाख रुपये हुआ । कोना के सम्बन्ध में बम्बई सरकार को १९५४–५५ में १.१ करोड़ रुपया ऋण दिया गया था तथा वास्तविक व्यय की सूचना की राज्य सरकार से अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) ऋण की शर्तों का अभी फैसला नहीं हुआ है ।

बिहार में बाढ़

*१९८५. **श्री एम० इस्तामुद्दीन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्निया (बिहार) जिले के किशनगंज उपखण्ड में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है जो बाढ़ कि १००० वर्गमील पर फैली हुई है तथा जिसका लगभग ५ लाख व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह सूचना मिली है कि बिहार सरकार द्वारा दी गई सहायता विशेषत: सीमा क्षेत्रों में अपर्याप्त है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां तो वह किस प्रकार की है तथा कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लैमन ग्रास तेल

*१९८९. **श्री वी०पी० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **वाणिज्य और उद्योग**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन के ओड़ाकल्ली के लैमन ग्रास गवेषणा केन्द्र ने अधिक तेल अंश वाली लाल डंठल के 'लैमन' ग्रास का तेल निकाला है;

(ख) क्या सरकार लैमन ग्रास के कृषकों को केवल लाल डन्ठल वाली किस्म की कृषि करने के लिये सहायता देने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की है ।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). ओड़ाकल्ली का लैमन ग्रास गवेषणा केन्द्र लाल डंठल वाली लैमन ग्रास की खेती कृषकों को बीज का संभरण करने के लिये कर रहा है । गवेषणा केन्द्र कृषकों को यह भी सलाह देता है कि वह अपने खेतों से सफेद डंठल वाली लैमन ग्रास (जो कि घटिया किस्म का तेल देती है) निकाल दें तथा उसके स्थान पर लाल डंठल वाली का विकास करे ।

जल विद्युत संसाधनों का सर्वेक्षण

*१९९०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९१८ में नियुक्त समिति ने भारत के जल विद्युत् संसाधनों के सामर्थ्य को जानने के लिये अग्रेतर जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). १९१८ में इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं हुई थी परन्तु १९१९ में देश के संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये मिस्टर मीयर्स को हाइड्रो इलैक्ट्रिक सर्वेक्षण का मुख्य इंजीनियर नियुक्त किया गया था । उन्होंने उन क्षेत्रों जो कि अब भारत संघ में हैं, की न्यूनतम विद्युत् शक्ति का प्राक्कलन ३५ लाख किलोवाट तथा अधिकतम विकास ८० लाख किलोवाट किया था । १९५३ में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने देश की विद्युत् शक्ति आंकने का कार्य आरम्भ किया था । आयोग ने हाइड्रो इलैक्ट्रिक सर्वेक्षण पर तीन ग्रन्थ लिखे तथा उनकी प्रतिलिपियां सभा की लाइब्रेरी में रख दी गई हैं ।

मैसूर में उद्योग

*१९९३. **श्री धूसिया** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के वह कौन से उद्योग हैं जो अब उनके मंत्रालय के अधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार राज्य द्वारा संचालित उद्योगों को गैर-सरकारी उपक्रम को देने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों तथा किसको ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड, जलहाली, बंगलौर ।

(ख) जहां तक उपरिलिखित उद्योग का सम्बन्ध है, उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग

*१९९९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग के (अपहृत व्यक्ति पुनः प्राप्ति सम्बन्धी भारत पाकिस्तानी करार की स्वीकृति के लेख में वर्णित) अवेक्षकों द्वारा उन बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जिनका जन्म अपहरण अवधि में हुआ था और पुनः प्राप्त माताओं द्वारा वहीं छोड़ दिये गये थे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : प्रश्न का विषय तथ्य निर्धारण आयोग के निदेश-निबन्धनों के अन्तर्गत नहीं आता, जो अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति सम्बन्धी भारत-पाक करार के अधीन ये हैं :—

(१) दोनों देशों में पुनः प्राप्ति के शेष काम का अनुमान लगाना ।

(२) दोनों देशों में पुनः प्राप्ति के काम को शीघ्र पूरा करने के लिये किये जाने योग्य उपायों के सम्बन्ध में दोनों सरकारों को मंत्रणा देना ।

अपहृत होने के उपरान्त जो बच्चे पैदा हुए थे और अपनी पुनः प्राप्त माताओं द्वारा भारत में छोड़ दिये गये थे उनकी संख्या १३२२ है, जबकि ऐसी माताओं ने अपहरण के बाद कुल १७८३ बच्चों को जन्म दिया था ।

सरकारी बस्तियों का नाम रखना

*२०००. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न बस्तियों को ये जो नाम 'शान नगर' 'मान नगर' 'विनय नगर' 'सेवा नगर' आदि दिये गये हैं, इनसे जनता में क्षोभ उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन नामों को बदलने का विचार करती है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) नहीं, श्रीमान् । वास्तव में ये नाम लोकप्रिय हो चुके हैं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

*२००१. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों में बड़ा असंतोष फैल रहा है क्योंकि उनके दावों का निर्णय उनकी उपस्थिति में

नहीं किया जाता और उन्हें ऐसे निर्णयों की सूचना भी नहीं मिलती, और इस प्रकार वे पुनर्विचार के विशेषाधिकार से वंचित रह जाते हैं; और

(ख) क्या असंतोष को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो क्या ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी, नहीं। दावा अधिनियम और नियमों के अनुसार संबद्ध व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अवसर दिये जाने के उपरांत ही दावों का निर्णय किया जाना चाहिये और इस प्रकार का अवसर दिया गया था। कुछ दावों का एकपक्षीय निर्णय किया गया था, क्योंकि संबद्ध व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए उन निर्णयों की सूचना संबद्ध लोगों को दे दी गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय चलचित्र (निर्यात)

*२००२. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२ से १६५५ तक व्यापारिक आधार पर भारतीय चलचित्रों को चलाने के लिये किस किस विदेश ने भारतीय चलचित्रों का आयात किया है ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने व्यापारिक आधार पर चलाने के लिये किसी भारतीय चलचित्र का आयात किया है ;

(ग) उक्त अवधि के अन्दर विदेशों ने कितने भारतीय चलचित्रों का आयात किया है ; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय चलचित्रों के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से कोई योजना बनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग). क्योंकि चलचित्रों के निर्यात के लिये अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, इन शीर्षों के अधीन सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

(घ) चलचित्र जांच समिति ने इस मामले पर विचार किया था और सिफारिश की थी कि उद्योग विदेशों में भारतीय चलचित्रों के वितरण को उत्साहित करने के लिये एक निर्यात निगम स्थापित कर सकता है। १६-५-५४ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह संकेत किया जा चुका है कि यदि ऐसा निगम स्थापित किया गया तो सरकार सब सम्भव सुविधाएं देगी।

शंखों का आयात

*२००६. **श्री के० के० दास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शंखों के आयात पर किस तारीख से प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) प्रतिबन्ध लगाये जाने से तुरन्त पहले आयात किये जाने वाले शंखों का औसतन वार्षिक मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) शंखों के आयात पर सितम्बर १६५२ से प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(ख) शंखों के वास्तविक आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिबन्ध से तुरन्त पहले की अनुज्ञप्ति देने की तीन अवधियों में अनुज्ञप्त शंखों का मूल्य बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३७]**

प्रैस फोटो का वितरण

*२०१५. **श्री इब्राहीम:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रैस सूचना विभाग,

विदेशों में फोटो के वितरण अतिरिक्त, प्रैस तथा विविध समाचार अभिकरणों और कतिपय व्यक्तियों को निःशुल्क फोटो बांटता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सरकारी कार्यवाहियों (गतिविधियों) सम्बन्धी फोटो प्रैस सूचना विभाग द्वारा भारत के समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों को निःशुल्क बांटे जाते हैं, जबकि विदेशों में प्रचार के लिये फोटोग्राफ वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वैदेशिक प्रचार विभाग के द्वारा भारतीय मिशनों को भेज दिये जाते हैं। व्यक्तियों को निःशुल्क फोटोग्राफ नहीं बांटे जाते।

राज्य व्यापार

*२०१७. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुछ वस्तुओं में राज्य व्यापार करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की अब क्या स्थिति है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में चुनी हुई वस्तुओं में राज्य व्यापार करने के प्रश्न पर समय समय पर विचार विमर्श किया गया था, किन्तु इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ?

आयात नीति

*२०१९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि हाल के वर्षों की आयात नीति के फलस्वरूप भ्रष्टाचार और पक्षपात की भयानक शिकायतें आई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): सरकार को विदित है कि हाल के वर्षों में जिस आयात नीति का अनुसरण किया गया है, उससे उपरोक्त बुराइयां बहुत हद तक दूर करने में सहायता मिली है।

रूई वस्त्र निर्माण निधि समिति

*२०२१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में रूई वस्त्र निधि समिति द्वारा क्या काम किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३८]**

संश्लिष्ट तेल संयंत्र

*२०२२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **उत्पादन** मंत्री १० अगस्त १९५५ को दिए गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४९ तथा ८ सितम्बर १९५५ को दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संश्लिष्ट तेल संयंत्र स्थापित करने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम जिन फर्मों को सौंपा गया है, उन को मंत्रणा देने के लिये नियुक्त की गई समिति में कितने सदस्य हैं; और

(ख) क्या इन फर्मों के प्रतिनिधियों से यह आशा की जाती है कि वे परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले उन स्थानों पर जायेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सभापति समेत सात।

(ख) अपने निदेश-निबन्धनों के अनुसार, तीन सलाहकारों से आशा की जाती है कि वे उत्पादन व्यय में अत्यधिक कमी लाने की

दृष्टि से कच्चे माल के संसाधनों का ध्यान रखते हुए संयंत्र की स्थापना के लिये सब से उपयुक्त स्थान पर स्थानों की सिफारिश करेंगे । इसलिये यह संभव है कि वे अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उन स्थानों पर जायें, जिनका वे सुझाव दे रहे हैं ।

कपास में वायदा बाजार

*२०२६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फारवर्ड माकट कमीशन ने इन्दौर में कपास की फारवर्ड मार्केट की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : फारवर्ड मार्केट कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मध्य भारत तथा भोपाल राज्यों के क्षेत्र में कपास का फारवर्ड मार्केट स्थापित करना उचित है । उसने यह बात भी कही है कि फारवर्ड मार्केट को उज्जैन में स्थापित करना जितना ठीक रहेगा, उतना ही ठीक उसे इन्दौर में स्थापित करना रहेगा । और दोनों स्थानों के लाभ लगभग बराबर बराबर से ही हैं ।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्रीलंका में भारतीय

*२०२७. **श्री राधा रमण :**
श्री सुबोध हासदा :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री वीर स्वामी :
श्री एस० एन० दास :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार से भारतीय उद्भव के उन सभी व्यक्तियों को तुरन्त स्वदेश लौट जाने का आदेश मिला है जिन के अस्थायी निवास के अनुज्ञापत्रों की अवधि समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जिन भारतीयों के अस्थायी निवास के अनुज्ञापत्रों की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने उन अनुज्ञापत्रों को नवीन नहीं करवाया है, उन सब भारतीयों को, प्रति तीन मास में, ५,००० की टुकड़ियों में स्वदेश लौटा देने के लिये श्रीलंका की सरकार ने निर्णय किया था ।

(ख) जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, उनकी इस समय २५,००० संख्या का अनुमान किया जाता है ।

ट्रैक्टर

*२०२८. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ते ट्रैक्टर बनाने की अपनी योजना में पंजाब राज्य ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) क्या यह छोटे ट्रक्टर बनाने का प्रस्ताव है या बड़े ट्रैक्टर बनाने का; और

(ग) विदेशी ट्रैक्टरों के मूल्य के मुकाबले में इनकी लागत कैसी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) संभवतः माननीय सदस्य सरकारी केन्द्रीय वर्कशाप, अमृतसर में ट्रैक्टर बनाने की पंजाब

सरकार की योजना का उल्लेख कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है, तो भारत सरकार ने इस मामले में पंजाब सरकार के अन्तिम विचार प्राप्त नहीं किये हैं।

(ख) जिन ट्रेक्टरों के बनाने की योजना बनाई गई है, वे एक सिलण्डर, ४ स्ट्रोक, डीज़ल इंजन टाइप के होंगे और वे प्रति मिन्ट १५,००० चक्रों पर २२ अश्व शक्ति के होंगे ; इसलिये उन्हें छोटे ट्रेक्टर कहा जा सकता है।

(ग) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना सीमित

*२०२६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस फ़्रांसीसी फर्म के साथ सरकार ने हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना सीमित में सुधार करने के लिये संविदा किया था, वह संविदा की शर्तों को पूरा करने में असफल रही है और इस कारण जहाज निर्माण कारखानों को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो संविदा की कौन सी बातें पूरी नहीं हुई हैं ; और इस कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) से (ग). यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना के फ्रांसीसी टैक्निकल (शिल्पिक) सलाहकार संविदा की शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं। तथापि, सरकार का यह मत है कि अब तक फ्रांसीसी फर्म जो शिल्पिक सहायता देती रही है वह पूर्णतः संतोषप्रद नहीं थी ; विशेषकर जहाज निर्माण कारखाने में जो शिल्पिक पदाधिकारी भेजे गये थे, जिन्होंने उत्पादन की दर और निकासी की संभव तिथियों का अपना अनुमान लगाया था, वे अच्छी तरह सहायक होने और आयोजन करने में असमर्थ रहे थे, जिससे कि उल्लिखित निकासी पूरी की जा सकती। इसका ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है कि उत्तम शिल्पिक मंत्रणा प्राप्त होने पर जहाज निर्माण कारखाना को कितना लाभ होता। इसलिये जहाज निर्माण कारखानों को इस कारण होने वाली हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अनुसूचियों के अनुसार उत्पादन नहीं हुआ है। चोटी के दो फ्रांसीसियों के स्थान पर जो अब तक प्रभारी थे, अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और जहाज निर्माण कारखाने में फ्रांसीसी शिल्पिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। जहाज निर्माण कारखाना इस बारे में अधिक कार्यवाहियां किये जाने के सम्बन्ध में फ्रांसीसी सलाहकारों से पत्र-व्यवहार भी कर रहा है।

गन्दी बस्तियों का उठाया जाना

*२०३०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों के उठाये जाने आदि के बारे में विभिन्न राज्यों को अर्थसहायता देने के सम्बन्ध में, जून १६५५ म, आवास मंत्रियों के सम्मेलन में जो सिफारिशें की गई थीं उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) अभी तक किन किन राज्यों को अर्थसहायता दी गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस विषय पर आवास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोहा और इस्पात का मूल्य

*२०३१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ८ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पंजीबद्ध उत्पादक, नियंत्रक भाण्डारक और अन्य लोग लोहा और इस्पात का जो अधिकतम आधार मूल्य लेते हैं, वह किस आधार पर निश्चित किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : पंजीबद्ध उत्पादकों के विक्रय मूल्य (१) प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर निश्चित मुख्य उत्पादकों को दिया जाने वाला प्रतिधारण मूल्य, और (२) अधिभार जो लोहा और इस्पात समानीकरण निधि को मिलता है, निश्चित किये जाते हैं । नियंत्रित भाण्डारक और पंजीबद्ध भाण्डारक पंजीबद्ध उत्पादकों के विक्रय-मूल्य से क्रमशः ३० रुपये और ४५ रुपये प्रति टन अधिक मूल्य लेते हैं और अपना-अपना पारिश्रमिक दिखाते हैं ।

चाय का उत्पादन

*२०३२. **श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चाय के उत्पादन को बढ़ाने का विचार है ;

(ख) क्या चाय के बागान सम्बन्धी एकड़-संख्या के निर्बन्धनों में इस अभिप्राय से परिवर्तन किया जायेगा ; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार में दूसरे सहभागियों सहित पूर्वी अफ़्रीकी बागान ने भी चाय बागान की एकड़-संख्या के मामले में योग दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के वर्तमान प्रारूप में सहभागी देशों के सम्बन्ध में चाय की खेती के विस्तार सम्बन्धी कोई एकड़-संख्या सीमायें निर्धारित नहीं की गई हैं । चाय बोर्ड ने अनुमति योग्य एकड़-संख्या को अधिकतम प्रतिशतता में, जिस तक कि चाय सम्पदाओं को चाय के क्षेत्र में विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है, उदार वृद्धि करने का फ़ैसला किया है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

पशुओं का निर्यात

१०४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५४ से अगस्त, १९५५ तक कितने बन्दर, पक्षी और अन्य जीवित पशु विदेशों को भेजे गये ; और

(ख) इस निर्यात से भारत को कितनी आय हुई ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३९]

वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन

१०४७. **श्री बी० बी० गांधी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र जांच समिति (कानूनगो समिति) के प्रतिवेदन के प्रकाशन की तिथि क्या थी ; प्रतिवेदन के मुख्य भागों के प्रकाशन की तिथि तथा, यदि कोई परिशिष्ट हों तो

उनके प्रकाशन की तिथियां अलग-अलग दी जायें ;

(ख) प्रतिवेदन की कितनी प्रतियां छापी गई हैं तथा कितनी प्रतियां अभी तक बेची गई हैं ;

(ग) सरकार के पास इस समय कितनी प्रतियां हैं ;

(घ) यदि कोई क्रयादेश अभी तक पूरे किये जाने वाले हैं तो कितने ; और

(ङ) अवशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या उपायों के करने का विचार किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वस्त्र जांच समिति के तीन अंकों के प्रकाशन की तिथियां ये हैं :

१. प्रतिवेदन का प्रथम अंक—२१-१०-१९५४

२. प्रतिवेदन का द्वितीय अंक—२२-६-१९५५ ।

३. प्रतिवेदन का तृतीय अंक—१५-७-१९५५

(ख) प्रथम अंक की ३५०० प्रतियां और द्वितीय और तृतीय प्रत्येक अंक की ३००० प्रतियां छापी गई हैं । अभी तक कोई प्रतियां नहीं बिकी हैं ।

(ग) भारत सरकार के मुद्रणालय के पास इस समय प्रत्येक अंक की १५०० प्रतियां पड़ी हैं । मंत्रालय में प्रथम अंक की ९७१ प्र० द्वितीय अंक की ६४४ प्रतियां और तृतीय अंक की ४१६ प्रतियां उपलब्ध हैं ।

(घ) ६३९ प्रतियों के विक्रय के लिये ५६ क्रयादेश ।

(ङ) प्रकाशन प्रबन्धक को भारत सरकार मुद्रणालय के पास पड़ी प्रतियों को बेचने का अधिकार दे दिया गया है ।

अयस्कों का परिवहन

*१०४८. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में निर्यात के मुख्य उप-नियन्त्रिक ने परिचालन पत्र जारी किया है, जिस में विभिन्न दक्षिण भारतीय पत्तनों को भेजे जाने वाले अयस्कों के परिवहन के लिये वैगनों के व्यादेशों के देने के लिये पंजीयन चिह्नों तथा अभ्यंश चिह्नों के प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन है ;

(ख) क्या विदेशी क्रेताओं के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये ठेकों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति है ; और

(ग) यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). पंजीयन चिह्नों की प्रणाली निर्यातकों द्वारा विभिन्न नामों में वैगनों को जमा कर लेने से रोकने को है । कुछेक सार्थों के स्थानीय प्रतिनिधियों के बारे में यह सूचना मिली थी कि वह कई व्यक्तियों को ठेके दे रहे हैं जिस से वे केवल अपने मुख्य अतिरिक्त अयस्कों को ले जाने के लिये पंजीयन चिह्नों का प्रार्थना पत्र दे सकें और इस प्रकार अन्ततः निर्यात वही सार्थ कर सके जिसे प्रपुंज ठेका दिया गया हो । यदि ऐसी अनुमति दी जाये तो वैगनों की कमी को पंजीयन स्लिपों से विनियमित करने की प्रणाली कार्यान्वित नहीं हो सकेगी ।

अयस्क

१०४९. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मद्रास के निर्यात उप-मुख्य-नियंत्रक द्वारा

जारी किये गये एक परिचालनपत्र में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे प्रार्थी को भार लादने के स्टेशन पर अपने संभरण के स्रोत अथवा अयस्क के क्रय के ठके सम्बन्धी पत्रों को पेश करने के लिये कहा जा सके ;

(ख) क्या यह सच है कि अब प्रार्थी से साक्ष्य के लिये कहा जाता है ; और

(ग) यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार का विचार है कि निर्यातक को अयस्कों की गति विधि की केवल उसी स्थान से आवश्यकता होती है जहां पर उसने ऐसा अयस्क खरीदा हो तथा जहाज द्वारा भेजने के लिये किसी पत्तन विशेष तक ले जाने के लिये खरीदने का सौदा कर रहा हों ।

अयस्कों का परिवहन

१०५०. श्री देवगम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और बम्बई के निर्यात नियंत्रकों को १९५३, १९५४ और १९५५ में अब तक अयस्कों के परिवहन के लिये पंजीयन पर्चियां (रजिस्ट्रेशन स्लिप्स) लेने के सम्बन्ध में कितने-कितने प्रार्थना पत्र मिले हैं ; और

(ख) इनमें से कितने प्रार्थियों ने अपने प्रार्थनापत्रों के साथ "मेटलीमेक्स आफ प्राहा" या भारत में उसके प्रतिनिधियों के साथ की गई संविदाओं की प्रतियां भेजी हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क)

	१९५३	१९५४	१९५५
मद्रास .	..	३४९	१९३४
बम्बई .	..	..	४२०

(मद्रास में पंजीयन १९५४ में और बम्बई में १९५५ में प्रारम्भ किया गया)

(ख)

मद्रास	१९५५	११४
बम्बई	१९५५	३४

अयस्कों का परिवहन

१०५१. श्री देवगम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-मुख्य निर्यात नियंत्रक, मद्रास, ने हाल ही में जो गश्ती चिट्ठी जारी की थी उसमें इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि पुराने निर्यातकों से इस बात का लिखित प्रमाण मांगा जाय कि उन्होंने रेलों के विभिन्न भागों से अयस्कों का परिवहन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में यह प्रमाण सभी पुराने निर्यातकों से अलग-अलग मांगा गया और ऐसे आधारों पर प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिये गये या पंजीयन पर्चियां (रजिस्ट्रेशन स्लिप्स) जारी नहीं की गईं ; और

(ग) क्या सरकार उन व्यापारियों की कठिनाइयों को समझती है जो मद्रास से बाहर हैं और जिन्हें पूछी गई बातों का उत्तर देने के लिये लिखा पढ़ी करने में बहुत समय लगता है और पर्चियां प्राप्त करने में देरी होती है जब कि स्थानीय व्यापारी नियंत्रक के दफ्तर में जा कर जल्दी ये पर्चियां ले लेते हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रार्थनापत्र बिना सोचे समझे अस्वीकार नहीं किये गये । जिन प्रार्थनापत्रों में त्रुटियां दिखाई पड़ीं उन के भेजने वालों को त्रुटियां ठीक करने का समय दिया गया है ।

(ग) सरकार को पता नहीं कि इस सम्बन्ध में कोई बड़ी कठिनाई होती है या नहीं ।

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

१०५२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को अब तक निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के गुज़ारे, आश्रयों और रुग्णालयों में दी जाने वाली खैरात, चिकित्सा और स्वस्थ शरीर वाली स्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिये कुल कितनी राशि सहायता के रूप में दी गयी है; और

(ख) किन किन राज्यों में यह सहायता दी गयी है और कितनी कितनी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). इस जानकारी को इकट्ठा करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा और समय लगेगा उतना इस से लाभ नहीं होगा ।

खादी संस्थायें

१०५३. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **उत्पादन** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दी हुई हों :

(क) पंजाब में खादी बेचने वाले प्रमाणीकृत संस्थाओं के नाम; और

(ख) उन्हें १९५३ और १९५४ में दी गयी आर्थिक सहायता की राशियां ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४०]**

अणु शक्ति

१०५४. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या मुख्य सुझाव दिये थे; और

(ख) क्या वे सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार का विचार यह है कि अणु शक्ति का प्रयोग शान्ति के और रचनात्मक प्रयोजनों क लिये होना चाहिये और अणु सम्बन्धी (उद्जन शक्ति समेत) रासायनिक और जीव (रोगाणु) सम्बन्धी ज्ञान और शक्ति का प्रयोग नाश करने वाले हथियारों के लिये नहीं होना च हिए हमने यह कहा है कि ऐसे हथियारों पर सब की सहमति से और तुरन्त ही सभी सम्बद्ध राष्ट्रों में समझौते द्वारा रोक लगायी जाय। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में और बाहर भी इस बात पर ज़ोर देता रहा है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ४-१२-१९५४ को संकल्प पास कर के इस बात को मान लिया है कि भूख, गरीबी और बीमारी का प्रकोप दूर करने के लिये अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के विकास और विस्तार क लिये राष्ट्रों में परस्परसहयोग का बड़ा महत्त्व है और यह जल्दी होना चाहिये । महासभा ने यह भी निर्णय किया है :

(१) कि सारे विश्व द्वारा शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति के प्रयोग को

आसान बनाने के लिये और मानवता के लाभ के लिये अणु शक्ति के प्रयोग के और विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के विचार से एक अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की यथाशीघ्र स्थापना के उद्देश्य से बातचीत जारी रखी जानी चाहिये; और

(२) सभी राष्ट्रों की सरकारों का एक टेक्नीकल सम्मेलन बुलाया जाय जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के विकास के साधन ढूंढे, विशेषकर अणु शक्ति के विकास का अध्ययन करे और इस बात पर विचार करे कि अणु शक्ति के किस टेक्नीकल पहलू में सब से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सम्भव है ।

इस निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में ८ अगस्त से २० अगस्त, १९५५ तक जनेवा में अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ।

छोटे पैमाने के उद्योग

१०५५. श्री विभूति मिश्र : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में और १९५५ में (३० जून तक) निम्नलिखित छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्यवार कितनी सहायता दी गयी :—

(१) बढ़ई का काम,

(२) लोहार का काम,

(३) कुम्हार का काम, और

(४) चमड़े का काम; और

(ख) इन उद्योगों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४१]

कांच की चूड़ियां

१०५६. श्री इब्राहीम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में देश में कांच की चूड़ियां कितनी मात्रा में बनीं:

(ख) क्या देश में कांच की चूड़ी के उत्पादन से देश की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो १९५४–५५ में कितने मूल्य की चूड़ियां बाहर से मंगाई गयीं और किस किस देश से; और

(घ) क्या इस उद्योग को संरक्षण मिला हुआ है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ठीक ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है; लगभग १६,००० टन चूड़ियां बनी थीं ।

(ख) जी, हां; आशा तो यही है ।

(ग) बिल्कुल नहीं । चूड़ियों के आयात पर प्रतिबन्ध है ।

(घ) जी, नहीं ।

बोतलें

१०५७. श्री इब्राहीम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सोडा, दूध और शराब भरने के लिये कितनी बोतलें (ग्रुसों में) प्रयोग में लायी गयीं; और

(ख) इसी काल में देश में प्रत्येक प्रकार की बोतलों (ग्रुसों में) के उत्पादन की कितनी क्षमता थी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती ।

(ख) प्रत्येक प्रकार की बोतलों के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती क्योंकि एक ही कारखाने में एक से अधिक प्रकार की बोतलें बन सकती हैं । इन तीनों तरह की बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता १९५४ में ३२४,६०० ग्रुस बोतलें थी ।

राजसहायताप्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना

१०५८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अब तक राज्य सरकारों, मालिकों और सहकारी समितियों को राजसहायताप्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण और सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी हुई है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सख्या ४२]**

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

१०५९. **श्री एच० जी० वैष्णव** :
श्री जनार्दन रेड्डी :
श्री जांगड़े :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में प्रत्येक राज्य में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड रखने का निर्णय किया गया है जहां कि २ अक्तूबर, १९५५ से काम आरम्भ किया जाना है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४३]**

हथकरघा उद्योग

१०६०. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८, १९५३ और १९५४ में मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में कितने हथकरघे चल रहे थे और कपड़ा बना रहे थे और उन्होंने कुल कितना कपड़ा तैयार किया;

(ख) १९५४ के बाद कन किन कपड़ा मिलों को कितने कितने अतिरिक्त करघे लगाने की अनुमति दी गयी;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है कि कुछ काउंट का सूत केवल करघों द्वारा ही प्रयोग के लिये सुरक्षित कर दिया जाय; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती ।

(ख)

(१) तनगेल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कलकत्ता	१०१	करघे
(२) स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर . .	४८	स्वयं चालित करघे
(३) महाराज श्री उमैद मिल्स लिमिटिड पाली, मारवाड़ . .	८	ब्लैंकिट करघे

(४) माडल मिल्स, नागपुर ४० ब्लैंकिट करघे

(ग) और (घ). ऐसी कोई प्रस्थापना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चीन में भारतीय

१०६१. सरदार इक़बाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन में कुल कितने भारतीय नागरिक हैं;

(ख) कुल कितने भारतीय नागरिक १९४९ के बाद चीन से चले आये हैं;

(ग) उन्होंने चीन और भारत की सरकारों के पास अपनी वापिसी के सम्बन्ध में कुल कितनी राशि जमा कराई; और

(घ) उसके बाद से उन्हें कुल कितनी राशि वापिस की गयी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) चीन में कुल ३२१ भारतीय नागरिक हैं। इन में उन लोगों तथा उन के परिवारों की भी संख्या (८३) शामिल है जो पेकिंग में भारतीय राजदूतावास और शङ्घाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास में काम करते हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती ।

(ग) और (घ). वापिसी के सम्बन्ध में रुपया जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत सरकार को ऐसे लोगों की वापिसी पर खर्च करना पड़ता है ।

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)

१०६२. सरदार इक़बाल सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) द्वारा मनाये जाने वाले धार्मिक वार्षिकोत्सवों की अनुपूरक सूची उस के बाद से तैयार कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यथासमय इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

पांडिचेरी

१०६३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी के इस वर्ष के बजट में १ लाख ९२ हजार रुपये बेकार मज़दूरों में बांटने के लिये अलग रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मज़दूरों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या सरकार भारत के अन्य राज्यों के भी बेकार मज़दूरों को वैसी ही सहायता देने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । यह रकम बाहर से आने वाली रुई और कोयले पर टैक्स लगा कर इस्तेमाल की जा सकती थी । चूंकि वास्तविक तबादले के बाद ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, इसलिये, इस रकम में से अब तक कोई अदायगी नहीं की गयी है ।

(ख) लगभग २९०० ।

(ग) जी नहीं ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण (एजेन्सी)

१०६४. श्री के० सी० सोधिया : क्या **प्रधान मंत्री** २२ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेन्सी) में इस समय कितनी सामुदायिक विकास परियोजनायें हैं; और

(ख) पिछले साल की तुलना में इस साल इन परियोजनाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी में, पासीघाट में केवल एक सामुदायिक विकास योजना केन्द्र है । इस साल कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है ।

इसके अतिरिक्त तिरप फ्रंटियर डिवीज़न के नामसंग नामक स्थान में एक राष्ट्रीय विकास योजना ब्लाक (नेशनल एक्सटेनशन सर्विस ब्लाक) है ।

सुबनसिरी फ्रंटियर डिवीज़न के जीरो-दोइमुख क्षेत्र के लिये दूसरे राष्ट्रीय विकास योजना ब्लाक की मंजूरी दे दी गई है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

१०६५. डा० सत्यवादी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की लेखापरीक्षा आपत्तियों को निपटाने में सहायता देने के लिये एक विशेष-कार्य-अधिकारी नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति की तिथि क्या है; और

(ग) अब तक कितना काम हुआ है और कितना शेष है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं । मंत्रालय के माध्यम एककों में लेखा प्रणाली और विशेषकर वाणिज्यिक लेखों की जांच करने के लिये और एकरूप तरीकों का सुझाव देने के लिये, लेखा-परीक्षा विभाग से एक उपमहालेखापाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अधिकारी ने आकाशवाणी और फिल्म विभाग के सम्बन्ध में काम लगभग समाप्त कर लिया है और अब वह विज्ञापन परामर्शक के कार्यालय और प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में वही काम कर रहा है ।

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)

१०६६. डा० रामा राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने निर्माता (प्रोड्यूसर्स) काम करते हैं;

(ख) उनमें से कितने नियमित सेवा अर्थात कार्यक्रम कर्मचारीवृन्द (प्रोग्राम स्टाफ़) से लिये गये हैं;

(ग) उनके लिये क्या सेवा की शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) क्या उन्हें समाचारपत्रों या पत्रिकाओं के सम्पादकों की तरह निजी नौकरी करने की अनुमति दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) अब तक ३६ ।

(ख) कार्यक्रम तैयार करने वाले कर्मचारियों में से २०, जिनमें से ७ नियमित सेवा के हैं ।

(ग) जैसे कर्मचारी कलाकारों (स्टाफ़ आर्टिस्ट) के लिये हैं ।

(घ) प्रत्येक मामले के गुणावगुण को देखकर और नियमित कर्तव्यों की उपेक्षा न करते हुए अनुमति दी जा सकती है ।

नाभिकीय विज्ञान

१०६७. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में नाभिकीय विज्ञान में गवेषणा करने के लिये विश्वविद्यालयों और गवेषणा संस्थाओं के लिये मन्जूर किये गये और दिये गये अनुदानों की राशि क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९५५–५६ में मंजूर किये गये और १० सितम्बर, १९५५ तक नाभिकीय विज्ञान में गवेषणा के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों और गवेषणा संस्थाओं को दिये गये अनुदानों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४४]**

तीर्थयात्री यातायात

१०६८. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि चीन-भारत करारों के बाद भारत के सीमान्त पर तीर्थयात्री यातायात में किस हद तक वृद्धि हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पिछले वर्ष से भारत से कैलाश और मानसरोवर को तीर्थयात्री यातायात कुछ बढ़ गया है । यह वृद्धि मुख्यतः चीन-भारत करार से, जिसमें कि तीर्थयात्रियों की जान और संम्पत्ति की रक्षा करने की व्यवस्था है, उत्पन्न स्थायित्व और सुरक्षा के कारण हुई है ।

अयस्कों का परिवहन

१०६९. श्री देवगम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहे और मैंगनीज़ की अयस्कों को मद्रास के पत्तन तक ले जाने के लिये, बेल्लारि–हासपेट क्षेत्रों के खान-स्वामियों को उन के पिछले उत्पादन के आधार पर कोटा दिया गया था और दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि लोहे या मैंगनीज़ की कच्ची धातुओं को मद्रास के पत्तन तक पहुंचाने के लिये मध्य रेलवे के द्रोनाचालम सिकन्दराबाद सैक्शन के खान-स्वामियों को खान-स्वामी का कोटा पिछले उत्पादन के आधार पर नहीं दिया गया; और

(ग) क्या कच्ची धातु ले जाने के लिये नई प्रणाली के अधीन सिकन्दराबाद-द्रोनाचालम सैक्शन के खान-स्वामियों को, उन के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, बराबर संख्या में माल के डिब्बे दिये जायेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में माल का लाना ले जाना पंजीयन पर्चियों (रजिस्ट्रेशन स्लिपों) के द्वारा विनियमित किया जाता है। डिब्बों में स्थान रेलवे को दिये गये आर्डरों के आधार पर दिया जाता है ।

(उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी अभिकरण)

१०७०. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी के ट्यूनसांग डिवीजन में कोई ग्राम हाल में जला दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) कितने ग्रामीण बेघर हो गये हैं; और

(घ) उन्हें फिर से बसाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). हमारी सेना ने जान बूझ कर कोई ग्राम नहीं जलाये। ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध हमारे पदाधिकारियों को कड़ी हिदायतें हैं। किन्तु जब शत्रु ग्रामों के अन्दर रक्षा की स्थिति में जम जाते हैं, तो मकानों को आग लग जाने का खतरा रहता है। ऐसे सात अवसरों पर मकानों को आग लगा दी गई थी और यह आग पास के मकानों तक फैल गई थी। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि आग शत्रु ने लगाई या हमारे सैनिकों ने।

पांच-मित्र ग्रामों में स्वयं शत्रुओं ने आग लगा दी थी।

(ग) और (घ). इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ग्राम शत्रु था, विनाश के प्रत्येक ऐसे मामले के बाद सहायता के लिये कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में चावल और कम्बल जैसी आवश्यक चीजें विमानों से फैंकी जाती हैं। नागा-मकान ग्रामीण लोग स्थानीय समान से स्वयं बहुत जल्दी बना लेते हैं और उन के बेघर होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

किंग्जवे कैम्प

१०७१. **श्री मोतीलाल मालवीय :** क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग्जवे कैम्प में माल रोड पर रहने के क्वार्टरों को दुकानों में परिवर्तित कर दिया गया था, और उन क्वार्टरों के रहने वालों को दूसरी जगह मकान दे दिये थे; और

(ख) क्या इन दुकानों को अब भी निवास के क्वार्टर माना जाता है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इन्हें दुकान और रहने के मकान माना गया है।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

बुधवार,
२१ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१–३२, ३४३३—३५

१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

पुरःस्थापित ३४३२–३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में—

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८—मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४–३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९–८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ — स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया . .	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी . . .	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव— सशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (सशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . .	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित .	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी प्रोज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ .	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक सभा

बुधवार २१ सितम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

१२ मध्यान्ह

कार्य मन्त्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० आयंगर (तिरुपति) : मैं कार्य मत्रणा समिति का २६ वां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० आयंगर (तिरुपति) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का ३८ वां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड़) : मैं उत्पादन मंत्रालय पर एस्टिमेट्स कमेटी की चौदहवीं रिपोर्ट पेश करता हूं ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि एक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन तथा औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ और औद्योगिक रोजगार (स्थायी

[अध्यक्ष महोदय]

आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन तथा औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री खंडूभाई दसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक

श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के २८ अप्रैल, १९५४ को विनिश्चय में बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के अनुसार रूपभेद करने और तदनुसार पंचाट को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के २८ अप्रैल, १९५४ के निश्चय में बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के अनुसार रूपभेद करने और तदनुसार पंचाट को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा उक्त-विधेयकों के संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्तावों और उन के संशोधनों पर आगे विचार करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : इन विधेयकों को हम कई कारणों से स्वागत करते हैं । इन विधेयकों में बहुत सी बातों को पिछले निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर सरल बना दिया गया है । इन विधेयकों में इस बात पर ठीक ही जोर दिया गया है कि निर्वाचनों में थोड़ा समय लगना चाहिये । इस के अतिरिक्त, निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना के प्रकाशन और निर्वाचन होने में जो ४२ दिन का समय लगता है, वह भी मैं समझता हूं कि घटा कर २१ दिन कर दिया जाये । नाम निर्देश पत्रों अभिकर्ताओं की नियुक्ति, आदि के कारण सरकार ने सह निर्वाचन अधिकारी को जो अधिकार दिया था उसमें वृद्धि नहीं होती, अपितु मैं नाम निर्देश पत्रों और व्यय विवरण सम्बन्धी खंडों पर जोर देता हूं । यह स्वाभाविक है कि निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के लिये खड़े होने वाले व्यक्ति की अर्हता पर ध्यान दे परन्तु जहां तक उसकी अनर्हता का प्रश्न है, यह ठीक ही कहा गया है कि वह बाद में निर्णयन के लिये न्यायालय पर छोड़ दिया जाये । निर्वाचन व्यय का विवरण जो उम्मीदवार को देना पड़ता है, सरल बना दिया गया है परन्तु फिर भी मेरा विचार है कि यह और भी सरल बनाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त मेरा विचार है कि स्वयं अधिनियम में ही निर्वाचन व्यय की अधिकतम

मात्रा निर्धारित कर दी जाये। फिर निर्वाचन व्यय का काल। भी स्पष्ट [पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये] रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार के निर्वाचन के लिये कभी कभी, उस के दल के नेता निर्वाचन-क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं और उसका व्यय दल उठाता है। कभी कभी उम्मीदवार का अभिकर्ता उम्मीदवार के लिये मत प्राप्त करने के लिये व्यय करता है। इसी प्रकार कभी यह भी होता है कि उम्मीदवार धनी होता है और वह अपने दल की निधि में धन दे देता है। ये सारे व्यय उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित नहीं किये जाने चाहियें। निर्वाचन व्यय की मदें ऐसी हों कि उम्मीदवार दुराचरणों का सहारा न ले। अतः विधेयक में यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिये कि ऐसे व्यय विवरण में सम्मिलित न होंगे।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के दो उम्मीदवार हैं और उनमें से एक अपने और दूसरे के समर्थन में विज्ञापन देता है, तो इस व्यय के बारे में वर्तमान अधिनियम में कहा गया है कि यह व्यय उम्मीदवारों में समान रूप से बांटा जाना चाहिये। यह बहुत ही कठिन है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिये इस प्रकार किया गया व्यय केवल उस उम्मीदवार का व्यय माना जायेगा जो करता है और अन्य उम्मीदवारों में नहीं बांटा जायेगा।

अन्य प्रश्न निर्वाचन विवरण प्रस्तुत करने का है। यदि हम यह महसूस करते हैं कि निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो फिर दूसरी बात पर ज़ोर देने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इससे असफल उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय की छोटी से छोटी बात की जांच करने का अवसर मिलेगा और वे फिर न्यायालय में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के आधार बनाई जा सकेगी। दूसरी ओर, यदि असफल उम्मीदवार के पास इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि निर्वाचन व्यय भी निश्चित अधिकतम मात्रा से अधिक व्यय किया गया है तो उसे न्यायालय याचिका प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अतः इस बात पर सभा को विचार करना चाहिये और फिर निर्वाचन विवरण प्रस्तुत करने सम्बन्धी उपबन्ध को हटाया जा सकता है।

एक महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं 'लाभ पद' के बारे में है। यह बात कहीं भी निश्चित रूप मे नहीं कही गई है कि 'लाभ पद' से क्या अभिप्राय है। संविधान के अनुच्छेद १०२ और १९१ में कहा गया है कि कुछ ऐसे लाभ पदों से, जिन्हें संसद् ने लाभ के पद नहीं माना है, सदस्य सभा की सदस्यता से वंचित नहीं किया जायेगा। अतः होता यह है कि जब किसी सदस्य की ऐसी स्थिति होती है तो इन अनुच्छेदों के अधीन एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कि अमुक लाभ पद सदस्य को सभा की सदस्यता से वंचित नहीं करेगा। औचित्य की दृष्टि से भी यह अच्छी प्रथा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक 'लाभ पद' अपनाने वाले सदस्य को सदस्यता से वंचित कर दे। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में यह व्याख्या की जानी चाहिये कि 'लाभ पद' क्या है।

सभापति महोदय : इस प्रश्न के सम्बन्ध में निकट भविष्य में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : इस विधेयक के अन्त में कहा गया है कि नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे परन्तु यह नहीं कहा गया है कि इस सभा को उन पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन

[श्री भागवत झा आजाद]

करने का अधिकार होगा या नहीं। क्योंकि ये नियम इस सभा के सदस्यों के निर्वाचन को प्रभावित करते हैं, अतः सभा को इस अधिनियम के अधीन उन पर विचार करने का अधिकार होना चाहिये।

जहां तक प्रस्तावक और समर्थक का प्रश्न है, यह ठीक ही कहा गया है कि समर्थक की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने भी यही कहा है, क्योंकि समर्थक में कुछ अर्हताओं का होना आवश्यक है। परन्तु मैं समझता हूं कि जिस आधार पर समर्थक को हटाया जा सकता है उसी आधार पर प्रस्तावक को भी हटाया जा सकता है। यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन के लिये खड़े होने की अपनी लिखित इच्छा प्रकट करता है, तो यह पर्याप्त आधार माना जाना चाहिये। इसमें केवल यह कठिनाई है कि यदि उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो क्या होगा? यह बहुत आसान है, वह निर्वाचन अधिकारी को नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार किसी मित्र को दे सकता। हम प्रस्तावक हटाने का प्रयत्न इस कारण कर रहे कि अनेकों ऐसी रुकावटें हैं कि प्रस्तावक अमुक अमुक हो, उसमें कोई अनर्हता न हो। यह इस उपबन्ध से दूर हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु हम इन सारी रुकावटों को समर्थक को हटा कर दूर कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्रस्तावक को भी हटा दिया जाये। विभिन्न खण्डों के सम्बन्ध में इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कामत (होशंगाबाद): औचित्य प्रश्न के हेतु, क्या इस समय माननीय विधि मंत्री की उपस्थिति आवश्यक नहीं है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): माननीय विधि मंत्री दस मिनट में वापस आयेंगे। इस दौरान में उन्होंने मुझे यहां बैठने को कहा है। सामान्य यह प्रथा रही है कि जब विधेयक का संचालक मंत्री अनुपस्थित हो तो दूसरा मंत्री उसका प्रतिनिधित्व सभा में कर सकता है।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि): चर्चा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार करने के अनेकों सुझाव दिये गये हैं। मैं अब निर्वाचन विवादों और न्यायिक विवादों के प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण मालूम होते हैं, लूंगा। माननीय मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३२९ का उल्लेख करता हूं :—

"इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी—

(क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन याचिका के बिना कोई आपत्ति न की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थिति की गई है जो समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित है।"

मेरा विचार है कि यह अनुच्छेद सफल उम्मीदवारों को एक न्यायालय से दूसरे

न्यायालय में फिरने से रोकने के लिये रखा गया था ।

मेरे विचार में संविधान बनाने वालों का अभिप्राय यह था कि इस प्रकार के विवादों का निर्णय केवल एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा होना चाहिये और जब वह एक बार अपना निर्णय दे दे, तो उसे अन्तिम निर्णय समझा जाना चाहिये ताकि उसके बाद सदस्य अपने काम की ओर ध्यान दे सकें । किन्तु दुर्भाग्यवश पहले साधारण निर्वाचनों के समाप्त होने के बाद, इन के सम्बन्ध में बहुत से मुक़दमे चलाये गये थे और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद १३६, २२६ और २२७ के अन्तर्गत इन में हस्तक्षेप करना उचित समझा था । मैं चाहता हूं कि सदन इस मामले पर ध्यान दे, क्योंकि प्रश्न यह है कि संसद् या विधान मंडलों को कौन बनाता है ? क्या इन्हें राष्ट्रपति, या निर्वाचन आयोग या स्वयं विधान मंडल बनाते हैं या इन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या राज्यपाल बनाते हैं ? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है । इस बात का निर्णय होना चाहिये कि चुनाव विवादों को अन्तिम रूप से किस अवस्था पर निपटाया जायेगा और क्या सफल उम्मीदवार को या सम्बन्धित व्यक्ति को न्यायालयों में जाने का अधिकार होगा । मेरे विचार में यह काफ़ी होगा यदि एक सक्षम न्यायिक निकाय एक अवस्था पर विवाद को निपटा दे । इस के बाद कोई लम्बी कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। मुक़दमेबाज़ी की मनोवृत्ति पहले ही देश में बहुत है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में इसे प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं है । मैं आशा करता हूं कि इस समय या भविष्य में सरकार और सदन मामले के इस पहलू पर ध्यान देंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं यह बताना चाहूंगा कि जब तक अनुच्छेद ३२९ को संशोधित न किया जाये, निर्वाचन आयोग के निर्णयों को अन्तिम निर्णय नहीं बनाया जा सकता ।

उच्चतम न्यायालय ने अब राय दी है कि वह निर्वाचन अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुन सकता है और ऐसा करने से अनुच्छेद ३२९ का उल्लंघन नहीं होता । उसकी राय में वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि अधिकरण के केवल उन निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, जिन में उसने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्यवाही की हो ।

सभापति महोदय : अपील की व्यवस्था तो अब भी नहीं है । तीन सदस्य वाले निर्वाचन अधिकरण का निर्णय अन्तिम ही होता । किन्तु संविधान के अनुसार उच्च न्यायालयों को इन के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है । सब न्यायालयों और अधिकरण, चाहे वे किसी प्रकार के हों उच्चतम न्यायालय के अधीन हैं और उन सब पर इस का समान्य क्षेत्राधिकार लागू होता है । वह सब प्रकार के अन्तिम निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मेरा अभिप्राय यह है कि जब एक निर्णय किया जाये, तो उसकी कोई अन्तिम अवस्था होनी चाहिये । इस लिये मैं समझता हूं कि जिस तरह अनुच्छेद ३२९, २२६ और २२७ के अन्तर्गत कार्यवाही हुई है, उस में सुधार किया जा सकता है ।

अनर्हताओं के मामले में हमें बताया गया है कि इसका निर्णय निर्वाचन पदाधिकारियों के हाथ से ले लिया जायेगा । किन्तु यहां भी एक कठिनाई है । कुछ अनर्हतायें तो निर्धारित हैं किन्तु अर्हता के अभाव को भी एक प्रकार की अनर्हता समझ लिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

इस बात पर विचार करे कि इस मामले में निर्वाचन पदाधिकारियों की क्या स्थिति होगी ।

नाम निर्देशन और चुनाव के बीच के समय को घटाने का उल्लेख किया गया था । यह कहना ठीक है कि इस से व्यय कम होगा । किन्तु यह समय वास्तव में पर्याप्त नहीं है । उम्मीदवार कोई भी हो, मतदाता यह आशा करते हैं कि वह उन के ग्रामों में आये । मतदान केन्द्र ८०० हैं और कई निर्वाचन क्षेत्र २०० मील लम्बे हैं । मुझे इस में सन्देह है कि एक पखवाड़े में इन का दौरा किया जा सकता है । कुछ लोगों का ख्याल है कि दल जो प्रचार करेगा वह पर्याप्त होगा । किन्तु कई स्थानों पर दल काम नहीं करते और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दल का कोई उम्मीदवार नहीं होता बल्कि स्वतन्त्र उम्मीदवार होता है । अतः मैं यह नहीं कहता कि अवधि घटाने में कोई लाभ नहीं है किन्तु इस प्रश्न के दो पहलू हैं और प्रवर समिति को दोनों पर विचार करना चाहिये ।

निर्वाचन व्यय के बारे में कहा गया था कि दल द्वारा किये गये व्यय को एक भिन्न श्रेणी में रखा जायेगा । यहां भी एक कठिनाई है । चुनाव से कुछ दिन पूर्व कुछ दलों को उम्मीदवारों से अंशदान प्राप्त होता है ? क्या इन्हें केवल दान ही समझना चाहिये या उम्मीदवार का निर्वाचन व्यय ? प्रवर समिति को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये और इसे स्पष्ट करना चाहिये क्योंकि न्यायालय इस विषय में निर्णय दे चुके हैं ।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि संसद् और राज्य विधान मण्डलों के चुनाव एक साथ करने से राजनीतिक और प्रशासनीय दृष्टि से बहुत लाभ होगा । किन्तु मैं ऐसा नहीं समझता । मैं ने देखा है कि एक साथ किये गये साधारण चुनावों में राज्य विधान सभा के उम्मीदवारों की अपेक्षा संसद् के उम्मीदवार का हमत्व बहुत कम होता है । मैं तो यह भी कहूंगा कि कभी कभी एक साथ किये गये चुनावों के निर्णयों से मतदाताओं की वास्तविक राय का पता नहीं चलता । यदि विधान सभा के उम्मीदवार मिल जायें तो एक संसदीय उम्मीदवार लोकप्रिय होते हुये भी निर्वाचित नहीं हो सकेगा ।

एक सुझाव यह है कि निर्वाचन आयोग को कुछ अनर्हतायें दूर करने की शक्ति दी जाये । मैं इस से सहमत नहीं हूं । ऐसे मामलों का निर्णय निर्वाचन आयोग को नहीं करना चाहिये । मैं आयोग को सलाह दूंगा कि कि वह इस शक्ति को न ले क्योंकि इस से उसे कठिनाई होगी और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा । मेरा सुझाव यह है कि स्वयं अधिनियम में इस की परिभाषा कर दी जानी चाहिये, ताकि आयोग इस के निदेश के अनुसार काम कर सके ।

विरोधी पक्ष की ओर से एक सुझाव दिया गया था कि अन्तिम निर्णय करने से पहले कुछ और खंडों की भी जांच की जानी चाहिये । मैं इस का समर्थन करता हूं, किन्तु साथ ही मैं समझता हूं कि यह अधिनियम अगले चुनावों से पहले पारित हो जाना चाहिये ।

विधेयकों के बारे में, मुझे और कुछ नहीं कहना है । केवल इतना कहूंगा कि विरोधी पक्ष ने प्रधान मंत्री की यात्रा, आकाशवाणी आदि के बारे में जो आक्षेप किये हैं वह बहुत अनुचित हैं । यदि ये आरोप निराधार न भी हो, फिर भी इन प्रश्नों का निर्णय करना निर्वाचक-मंडल का काम है । यदि निर्वाचक-मंडल यह अनुभव करे कि सत्तारूढ़ दल और सरकार अपने पदों का प्रयोग

चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिये कर रही है, तो वह इस सरकार को हटा सकता है। कोई सरकार ऐसे दुरुपयोगों के होते हुये उन्नति नहीं कर सकती।

श्री मूल चन्द दुबे (ज़िला फरूखाबाद—उत्तर) : ये दो संशोधन विधेयक निर्वाचन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित हैं। आयोग ने अपनी कठिनाइयों को तो ध्यान में रखा है, किन्तु उन कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया, जो उम्मीदवारों को पेश आती हैं। मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं कि अब संसदीय विर्वाचन-क्षेत्र को नहीं बल्कि विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र को इकाई बनाया गया है। ऐसा करने से काफ़ी श्रम और खर्च बच जायेगा।

निर्वाचक-नामावलियों में शुद्धि करने के बारे में, यह व्यवस्था की गई है कि वह व्यक्ति जिस का नाम दर्ज होने से रह गया है, निर्वाचन-पंजीयन पदाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, किन्तु यदि चुनाव जारी हो, तो याचिका केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है। मेरे विचार में यह एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि इस पदाधिकारी का कार्यालय सम्बन्धित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से काफ़ी दूर होगा और सम्बन्धित व्यक्ति नामावलि में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिये अपने बारे में आवश्यक तथ्य भी प्रमाणित कर सकेगा। मुझे आशा है, प्रवर समिति इस बात पर विचार करेगी।

१९५१ के अधिनियम के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिन बातों से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, उनके सम्बन्ध में कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है। इसका तो उल्लेख है कि निर्वाचन व्ययों का विवरण नियमों द्वारा विहित रूप में ही तैयार किया जायेगा। किन्तु हम नहीं जानते कि वे कौन से नियम हैं और क्या उनसे वे सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जो कि अभ्यर्थी के सामने आती हैं। अतः, मैं चाहता हूं कि निर्वाचन व्ययों का विवरण तैयार करने का ढंग सरल कर दिया जाये और स्वयं अधिनियम में ही तत्सम्बन्धी सारे उपबन्ध कर दिये जायें। धारा ७६ इस तरह से बनायी जाये जिससे उसमें यह सारी बातें आ जायें। इस मामले को नियमों पर छोड़ देने से कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

निर्वाचन व्ययों के सम्बन्ध में जो अधिकतम राशि नियत है, मैं चाहता हूं कि उसको बढ़ाया न जाये, क्योंकि मेरी समझ में यह राशि पर्याप्त है।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक में भ्रष्टाचार और अवैधानिक कार्यवाहियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। वर्तमान खण्ड इंगलैंड में प्रचलित विधि पर आधारित है। किन्तु हमारे देश की परिस्थितियां इंगलैंड से भिन्न हैं। हमारे देश में एक दल संसद् और राज्य सभा दोनों के लिये अपने अभ्यर्थी खड़े करती है और दोनों ही अभ्यर्थी एक दूसरे की मदद करते हैं। सरकार को इस मामले पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में पैदा होती है कि जो व्यक्ति लाभ पद धारण किये हुये है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। किन्तु अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि यह लाभ पद क्या है। मेरे विचार में सर्वप्रथम यही बात स्पष्ट करनी चाहिये।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इंगलैंड में यह नियम है कि दल स्वयं इस बात का ध्यान रखते हैं कि निर्वाचक-नामावलियों में कोई ग़लती न रहे, किन्तु अपने देश में यह चीज़ असम्भव है, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग चार पांच लाख मतदाता होते हैं। अतः यह काम,

[श्री मूल चन्द दुबे]

कम से कम कुछ समय तक, स्वयं सरकार को और निर्वाचन आयोग को ही करना चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : सर्वप्रथम मैं निर्वाचक-नामावलियों के बारे में कहूंगा । यह नामावलियां बड़ी लापरवाही से बनाई जाती हैं और अक्सर ग़लत होती हैं । इससे अभ्यर्थी को कभी कभी इस सम्बन्ध में बड़ी परेशानी होती है कि उचित मतदाता कौन है ?

कभी कभी एक मतदाता मत डालने से रह जाता है क्योंकि निर्वाचन नामावली में उसका नाम ग़लत होता है । दूसरी बात यह है कि निर्वाचन नामावली में पेशे का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता । अतः निर्वाचक-नामावलियों के ठीक करने का मेरा प्रथम सुझाव है ।

दूसरा सुझाव मेरा नाम निर्देश पत्रों के सम्बन्ध में है । व्यक्तियों को नाम निर्देशन पत्र के भरने में बड़ी कठिनाई होती है । कभी कभी निर्वाचक नामावलियों के मुख्य भाग और अनुपूरक भाग में कोई भेद नहीं रखा जाता, जिस से नाम निर्देशन कराने वाले व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती है । साथ ही निर्वाचक नामावली में केवल एक निवास स्थान का उल्लेख होता है । यदि बीच में ही एक व्यक्ति कहीं और चला जाता है तो उस के बारे में यह कह दिया जाता है कि यह वही व्यक्ति नहीं है । सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

मेरी समझ में नाम निर्देश पत्र भरने के लिये एक प्रस्तावक तथा एक अनुमोदक का होना बिल्कुल व्यर्थ है । यदि एक व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में हो तो उसे किसी भी प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । क्योंकि हमारे नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, हम अधिक से अधिक संख्या में नाम निर्देशन पत्र भरते हैं और प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों से उनका समर्थन करवाते हैं । मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक तथा अनुमोदक का यह झगड़ा दूर कर दिया जाये ।

साथ ही मैं चाहता हूं कि लोक सभा अथवा विधान सभा के लिये खड़े होने वाले व्यक्तियों के लिये कुछ शिक्षा सम्बन्धी अर्हता नियत कर दी जायें । प्रवर समिति इस सम्बन्ध में विचार करे ।

सभापति महोदय : शिक्षा सम्बन्धी अर्हता उस समय तक नियत नहीं की जा सकती, जब तक संसद इस सम्बन्ध में कोई विधि पारित नहीं करती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : चुनाव सम्बन्धी प्रचार के बारे में काफी कहा जा चुका है । मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों में जो पोस्टर प्रकाशित हों, उनकी जांच अवश्य होनी चाहिए । इन पोस्टरों का कुछ नैतिक स्तर अवश्य होना चाहिए । इस अधिनियम में उस प्रकार का उपबन्ध किया जा सकता है । इन पोस्टरों के साथ साथ सार्वजनिक सभाओं के सम्बन्ध में भी कुछ रोक अवश्य होनी चाहिए । मैंने देखा है कि इन सभाओं में ऐसे नारे लगाये जाते हैं, जो कि एक सभ्य समाज के उपयुक्त नहीं है । मैं मत डालने के स्थानों के बारे में कह रहा था । मैं जानता हूं कि कभी कभी कुछ दल दूसरे दलों के सदस्यों को उन स्थानों तक नहीं जाने देते जिससे वे लोग अपने मत डालने से वंचित रह जाते हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

वे मतदाताओं को वैसे भी परेशान करते हैं । इसीलिये मैं चाहता हूं कि उन स्थानों

पर बहुत ही अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मतदान अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं और निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिये कुछ अर्हतायें नियत कर दी जायें, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त कर लिये जाते हैं जो कि प्रजातन्त्र की भावना के विरुद्ध जाते हैं। मतगणना अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं की संख्या में भी यथासम्भव वृद्धि होनी चाहिये, ताकि अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। मतदान केन्द्रों पर किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं होने देना चाहिए।

अब मैं निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति मान्य दलों की ओर से निर्वाचन के लिये खड़े होते हैं, उनका सारा खर्चा उन दलों द्वारा ही किया जाना चाहिए। स्वतन्त्र रूप से खड़े होने वाले व्यक्ति ही अपने निर्वाचन का खर्चा स्वयं कर सकते हैं। इस तरह से करने पर बहुत सी भ्रष्टाचार की बातें कम हो जायेंगी। सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि दलों द्वारा ही निर्वाचन व्यय का विवरण तैयार होना चाहिए और यदि यह सम्भव न हो सके तो विवरण तैयार करने के ढंग को सरल करना चाहिए।

यह कहा जाता है कि चुनावों के ऊपर जितना खर्चा करना विहित किया गया है वह बहुत कम है। किन्तु मेरी समझ में व्यय की जो सीमा नियत की गई है वह बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्ति लोक-सभा और राज्य विधान सभा दोनों के लिये खड़ा होता है, उसे ३०,००० रुपये तक खर्च करने की आज्ञा है। मेरी समझ में तो यह राशि हमारी राष्ट्रीय आय को देखते हुये बहुत अधिक है और इसको कम कर देना चाहिए।

सर्वप्रथम यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि हमारे निर्वाचन को व्यय की गणना किस समय से की जाये।

श्री एन० सी० चटर्जी : इसी सप्ताह में कटपदी के मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जिस दिन से एक व्यक्ति नाम निर्देशन के लिये ज़िला कांग्रेस समिति को प्रार्थनापत्र भेजता है उसी दिन से वह अभ्यर्थी हो जाता है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं इस स्पष्टीकरण के लिये श्री चटर्जी को धन्यवाद देता हूं, किन्तु मैं पूछता हूं कि उस व्यक्ति की क्या दशा होगी।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया है कि समिति 'लाभ पद' के प्रश्न के बारे में विचार कर रही है। हमें उस सम्बन्ध में समिति के विचारों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सभा में उन विचारों पर चर्चा की जायेगी और जो कुछ उचित समझा जायेगा वही किया जायेगा।

लाभ पद के मामले में जो भी निदेश हों, वे अत्यन्त स्पष्ट होने चाहियें क्योंकि मैं ने देखा है कि कुछ व्यक्ति किसी कारण से अनर्हत घोषित कर दिये गये जब कि अन्य व्यक्ति उसी आधार पर अनर्हत घोषित नहीं किये गये। यह कहना कि नम्बरदार अथवा चौकीदार इत्यादि लाभपद ग्रहण किये हुये हैं अथवा वे बड़े प्रभावशाली हैं एक प्रकार से अतिशयोक्ति मात्र ही है।। थोड़ी सी आय के बदले में हमें उनको अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने से वंचित नहीं करना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को अत्यन्त ही स्पष्ट रूप दें और उनसे सम्बन्धित कुछ सरल साहित्य का काशन

[श्री डी० सी० शर्मा]

करके जनता को उनसे परिचित करायें । माननीय वित्त मंत्री ने कुछ दिन पूर्व यह घोषणा की थी कि वे समवाय वि के सम्बन्ध में कुछ सरल साहित्य प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे ताकि सामान्य व्यक्ति उस विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके । मैं समझता हूँ कि विधि मंत्री का भी यह परम कर्तव्य है कि वे सामान्य जनता को निर्वाचन विधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अवसर दें ।

एक बात मैं निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । यह कहा गया है कि निर्वाचन याचिकाओं की जांच एक व्यक्ति वाले न्यायाधिकरण ारा होनी चाहिये किन्तु मेरा मत यह है कि न्यायाधिकरण में तीन व्यक्तियों से कम न हों और वे व्यक्ति भी कम से कम जिला तथा सत्र न्यायाधीश के स्तर के हों । साथ ही निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में निर्णय देने के लिये एक समय निश्चित कर देना चाहिये । मेरे विचार में यह समय एक साल से किसी प्रकार अधिक नहीं होना चाहिये ।

मैं इस विधान का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि संयुक्त समिति इस सभा के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों पर भी विचार करेगी और देश की आवश्यकताओं के उपयुक्त एक उत्तम विधि बनेगी ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मैं प्रस्तुत दोनों विधेयकों का हृदय से समर्थन करता हूँ । मैं इस समय बड़े विधेयक के खण्ड १७, ५८ और ६० तथा छोटे विधेयक के खण्ड १३ पर ही चर्चा करूंगा ।

बड़े विधेयक के खण्ड १७ में अभ्यर्थियों की अनर्हता का उल्लेख है । यह कहा गया है निर्वाचन पदाधिकारी के ऊपर उत्तरदायित्वों का बोझा कम करने के लिये नियम अत्यन्त ही सरल तथा स्पष्ट भाषा में होने चाहियें ताकि वह एक विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम निर्देशन के बारे में बिना किसी कठिनाई के निर्णय कर सके । यह उपबन्ध ो ठीक है किन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी की अर्हता के बारे में कोई बात पैदा है तो उसका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा ही होगा । मेरी समझ में यह व्यवस्था ठीक नहीं है । मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम निर्वाचन पदाधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उन सारी बातों के बारे में अपना निर्णय दे सके जो कि एक अभ्यर्थी के विरोधियों ारा उठाई जाती हैं और जिनका वे निर्णय कराना चाहते हैं ।

इसके पश्चात् मैं खण्ड ५८ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि यदि जांच के दौरान में किसी अवसर पर आवेदक न्यायाधिकरण के समक्ष आने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकता है । मेरी समझ में यह उपबन्ध बहुत बुरा है । हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि निर्वाचन का काम यथाशीघ्र समाप्त हो जाये और निर्वाचन के बाद अभ्यर्थी को किसी प्रकार की चिन्ता का कारण न रहे । यदि आवेदक बाद को न्यायाधिकरण के समक्ष आने में असमर्थ होते हैं, तो हमें ऐसा उपबन्ध नहीं करना चाहिये जिससे वह अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भेज सके और इस प्रकार से मामला चलता ही रहे । मेरे विचार में यह उपबन्ध किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं है ।

खण्ड ६० का सम्बन्ध निर्वाचन सम्बन्धी बुरी और अवैधानिक प्रथाओं से है । निर्वाचन

विधि को पढ़ने से पता चलता है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अत्यन्त आतुर हैं । किन्तु सारे प्रयत्नों के करने पर भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार जीवन में रहता ही है । धारा १२३ में बताया गया है कि अपने विरोधी अभ्यर्थियों से इस सम्बन्ध में बात करना कि किस व्यक्ति का निर्वाचन लड़ना ज्यादा ठीक है अवैधानिक है । इसका अर्थ यह हुआ कि सभी निर्वाचन लड़ेंगे और फिर उसमें किसी की भी विजय हो जाये । मेरी समझ में अभ्यर्थियों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने विरोधियों से इस सम्बन्ध में बात कर सकें कि कौन अधिक अच्छा सिद्ध होगा और तदनुसार उनसे अपने नाम वापिस लेने के लिये कह सके । जब तक वर्तमान विधि लागू है, ऐसा करना सम्भव नहीं है । माननीय मंत्री कृपया इस पर प्रकाश डालें कि ऐसा करना उचित है या नहीं । मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता । यह एक अत्यन्त जटिल समस्या है । यह बड़ा अच्छा है कि हमने अपना सारा ध्यान इस ओर लगाने की कोशिश की है किन्तु व्यवहार रूप में हम अधिक सफल नहीं हुये हैं और हमें चाहिये कि हम निर्वाचनों के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि से सोचें और थोड़ा सा उदार नीति का पालन करें ।

अब मैं कुछ शब्द निर्वाचन व्यय के बारे में कहना चाहता हूँ । कहा गया है कि निर्वाचन व्यय का विवरण तैयार करने की प्रक्रिया सरल कर दी जाये । जहां तक मैं समझता हूँ कि निर्वाचन के मामले ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति अपने राजनैतिक प्रभाव से लाभ उठाते ही हैं । अतः मैं चाहता हूँ कि निर्वाचन व्यय के विवरण प्रस्तुत करने की यह प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी जाये । कुछ सीमा तक तो निर्वाचन व्यय के विवरण से अवश्य लाभ है और कभी कभी इससे थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार रुक सकता है, इसके अलावा इसका और कोई विशेष उपयोग नहीं है । मैं कुछ शब्द इस सम्बन्ध में कहूंगा कि निर्वाचन व्यय के लिये अधिकतम कितनी राशि नियत होनी चाहिये । इस समय एक व्यक्ति को एक सदस्य वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये २५,००० रुपये तक खर्च करने का अधिकार है । यह मेरी समझ में अपने देश की आर्थिक दशा को देखते हुये बहुत अधिक है, अतः इस राशि को ५००० रुपये अथवा ७,००० रुपये कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि वे सारे समय इस उच्चतम राशि के सम्बन्ध में ही न कह कर अपनी और बातें भी कहें, अन्यथा मुझे उन से अपना भाषण समाप्त करने को कहना पड़ेगा ।

श्री लोकनाथ मिश्र : अब मैं निर्वाचक नामावलि के बारे में कुछ कहूंगा । यह नामावलियां अपूर्ण होती हैं और बड़ी बुरी तरह रखी जाती हैं । परिणाम यह होता है कि अनेक वयस्क प्राणी अपने मौलिक अधिकार का लाभ नहीं उठा पाते । पिछले निर्वाचन में मैं ने देखा कि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले और ग्राम के ग्राम छूट गये । इस विधान में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति देखता है कि उसका नाम नामावली में नहीं है तो वह एक उचित फारम लेकर उचित प्राधिकारी के पास जाकर अपना नाम निर्वाचक नामावली में बढ़वा सकता है । किन्तु मैं यह उचित नहीं समझता कि नागरिक स्वयं इसके लिये चिन्ता करें । मैं चाहता हूं कि इस विधि में स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध कर देना चाहिये कि सम्बद्ध पदाधिकारी अथवा निर्वाचक प्राधिकारी का स्वयं यह देखना कर्तव्य है कि निर्वाचक

[श्री लोकनाथ मिश्र]

नामावली अच्छी तरह से और पूर्ण रूप से तैयार है । यदि इस सम्बन्ध में कोई ग़लती रह जाये तो हमें पंजीयन प्राधिकारी को ही उसका उत्तरदायी ठहराना चाहिये । इतना कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि ये दोनों विधेयक प्रवर समिति की चर्चा के लिये भज दिये जायें ।

श्री बी० सी० दास (गंजम—दक्षिण) : प्रस्तुत विधेयक में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाये गये सभी संशोधनों को लिया गया है। यह उचित है कि प्रवर समिति सारे अधिनियम की विस्तारपूर्वक जांच करे । पुराने दो अधिनियमों की विस्तारपूर्वक जांच पड़ताल से ही उनमें कुछ सुधार किया जा सकेगा ।

माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर चुके हैं कि भारत में प्रजातन्त्र का भविष्य स्वतन्त्र तथा ईमानदारी से लड़े गये चुनावों पर निर्भर करता है । यदि आम जनता को पता चल गया कि प्रजातन्त्र की आड़ में केवल धनी व्यक्तियों के शासन को कायम रखने की भावना काम कर रही है तो वह इसे खिलौने की भांति चिकनाचूर कर देंगे । स्वतन्त्र तथा ईमानदारी पर आधारित चुनाव प्रजातन्त्र की नींव को पक्का करेंगे । प्रजातन्त्र की परम्परा के भारत में कमज़ोर होने से बहुत सी कठिनाइयां का हमें सामना है ।

भारत में प्रजातन्त्र को धनी व्यक्तियों के हस्तक्षेप तथा कार्यपालिका के अनुचित प्रभाव से दो प्रकार का ख़तरा है । इन दो ख़तरों से स्वतन्त्र तथा ईमानदारी पर आधारित चुनाव भी नहीं लड़े जा सकते ।

मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कुछ संशोधन सचमुच ही प्रतिगामी प्रकार के हैं । वर्तमान विधेयक में व्यय की अधिकतम सीमा को यथापूर्व रखा गया है । साथ ही राजनैतिक दलों को इस बारे में पूर्णतः छूट दी गई है । इससे जिन दलों के पास अधिक धन होगा, वे अपने विरोधियों को धन के ज़ोर से पूर्णतः हटा सकेंगे । धन के प्रभाव के अधिक लड़े गये चुनावों से जनता ठीक २ निर्णय प्राप्त नहीं हो सकेगा अधिक धन वाले दल प्रचार का पूरा प्रबन्ध कर सकेंगे जब कि धन के अभाव वाले दल ये प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे । राजनैतिक दलों के व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिये तथा उनकी जांच पड़ताल की व्यवस्था होनी चाहिये ।

नामीकरण पत्रों के पंजीयन सम्बन्धी निक्षेप भी बहुत अधिक हैं । एक ग़रीब व्यक्ति के लिये ५०० रुपये की राशि बहुत अधिक है । यह राशि आधी हो जानी चाहिये ।

एक और कठिनाई मतदान पर आपत्ति उठाने के सम्बन्ध में है । इस के लिये १० रुपये की राशि को कम किया जाना चाहिये ।

राज्यों में ग्राम के मुखिया को मत प्राप्त करने के काम के सम्बन्ध में छूट दी गई है, परन्तु मुख्य अधिनियम में इसके विपरीत उपबन्ध था । यह एक ख़तरनाक़ उपबन्ध है क्योंकि गांव का मुखिया ज़िला न्यायाधीश से भी अधिक शक्तिशाली होता है ।

एक और ख़तरा मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप है । मुझे एक उप-चुनाव का स्वयं वैयक्तिक अनुभव है जिसमें मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों ने गांव गांव में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार किया था । मंत्रियों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में काम करने का बहुत प्रभाव पड़ता है । यह

एक चुनाव सम्बन्धी कदाचार है । यदि मंत्री लोग ऐसा प्रचार करना ही चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये। दल विशेष का प्रधान आदि ऐसा कार्य कर सकता है, परन्तु मंत्रियों को प्रचार का काम नहीं करना चाहिये ।

राज्यों के चुनाव अधिकारी भी राज्य सरकारों के प्रभावाधीन नहीं होने चाहियें । वे पूर्णतः चुनाव आयोग के अधीन होने चाहियें । किसी भी अवस्था में उन्हें राज्य सेवा पर पुनः नहीं लगाया जाना चाहिये । चुनाव आयोग के अधीन लिपिकों तथा अधिकारियों को काफ़ी संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या निर्वाचन आयुक्त के पास भारी सख्या में कर्मचारी होने चाहियें ?

श्री बी० सी० दास: हां, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के समान ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में उच्च न्यायालय की उपमा ठीक नहीं जंचती ।

श्री बी० सी० दास : निर्वाचन में मंत्रिगण मतदाताओं को मोटर आदि में बैठाकर मतदान स्थानों में लाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं रोकती । इस लिये यदि निर्वाचन आयोग एक विशिष्ट कर्मचारीवर्ग रखे तो इस तरह की बातें रोकी जा सकती हैं । मेरा एक सुझाव निर्वाचक नामावलियों के सम्बन्ध में भी है । अभी जो निर्वाचक नामावलियां बनती हैं वह अत्यन्त खराब होती हैं । इसका कारण यह है कि इस कार्य के लिये जो कर्मचारी रखे जाते हैं उन्हें बहुत थोड़ा वेतन दिया जाता है । अस्तु वे कार्य में लापरवाही करते हैं । एक कठिनाई यह भी है कि ये नामावलियां बहुत ही सस्ते मुद्रणालयों में छपवाई जाती हैं जिससे वे बहुत ग़लत छपती हैं ।

इसके अतिरिक्त हमारे नागरिकों में इतनी राजनैतिक जागृति नहीं है कि वे अपने मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में उत्सुकता रखते हों । अस्तु हमें प्रचार द्वारा उन्हें इस सम्बन्ध में जागरूक करना होगा ।

इस सिलसिले में मैं यह भी कहूंगा कि निर्वाचन के दिन समस्त सवारी की गाड़ियों के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिये केवल उम्मीदवार को एक कार या जीप की अनुमति दी जानी चाहिये ।

न्यायाधिकरण की रचना के सम्बन्ध में मेरे विचार में पहले से कुछ सुधार अवश्य हुआ है । न्यायाधिकरण में ऐसे व्यक्ति ही रखे जायें जो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी हों ताकि उन्हें सरकार से किसी प्रकार की कृपा की आकांक्षा न रहे ।

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : अब प्रस्ताव यह है कि दो कार्यकारी न्यायाधीशों को न्यायाधिकरण में रखा जाये ।

श्री बी० सी० दास : इसीलिए मैं ने कहा कि यह सुधार की ओर कदम है ।

अन्त में मैं कहूंगा कि संसदीय प्रजातन्त्र तभी पनप सकता है जबकि सत्तारूढ़ दल उसके लिए प्रयत्न करे ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल सीधी) : मंत्री महोदय ने जो यह विधेयक संसद् के सम्मुख उपस्थित किया है, वह दो मुद्दों पर है, एक तो एलेक्शन कमिशन के अनुभव के आधार पर और दूसरे गवर्नमेंट ने गत चुनावों में जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उनके आधार पर यह विधेयक तैयार किया है ।

कल आदरणीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी ने एक मोशन प्रस्तुत किया है कि इसका दायरा क्षेत्रफल सेलेक्ट कमेटी में और बढ़ा दिया जाना चाहिए । वस्तुतः इसको देखा अगर जाये और इसके सारे

[श्री बी० डी० शास्त्री]

डिटेल में जाया जाये, तो इसमें आप काफी खामियां पायेंगे जिसके लिए आमूल परिवर्तन करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मध्य मध्य में उसको संशोधित करने की पर्याप्त आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी शुरू से लेकर आखिर तक अर्थात् जो पूरा रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल बिल है उसको अमेंड करे।

मैं धारा १० के ऊपर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धारा १० में यह बात बताई गई है कि अभी तो एक बूथ पर एक ही प्रीसाइडिंग आफ़िसर नियुक्त किया जाता था, अब अगर एक ही मकान में या एक दूसरे से मिले जुले दो या कई बूथस हैं तो आपने इस धारा १० के मुताबिक यह पोज किया है कि वहां पर एक ही प्रीसाइडिंग आफ़िसर उन सारे बूथ्स की जिम्मेदारी लेगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि बूथ पर इतना अधिक काम होता है और कई किस्म की अड़चनें वहां पर उपस्थित होती हैं जिसमें एक तो यह है कि एजेंट खामख्वाह अपनी खामियों पर जल्दी से जल्दी प्रीसाइडिंग आफिसर के पास जाता है और विरोध प्रदर्शन करता है कि इस ओर से यह खामी की जा रही है और अमुक ओर से ऐसी खामी प्रस्तुत की जा रही है और उसमें जरूरी होता है कि प्रीसाइडिंग आफिसर हमेशा उन चीजों को देखे और तय करे, इसके अलावा वोटर्स के बारे में यह दिक्कत उसके सामने पेश आती है कि लिस्ट में उनका नाम ठीक तौर पर दर्ज नहीं होता और वह जिम्मेदारी प्रीसाइडिंग आफिसर के ऊपर होती है कि नामों को लिस्ट से ठीक तरह मिला कर बैलेट पेपर इश्यू कराये और अगर हम दो या तीन बूथ एक प्रीसाइडिंग आफिसर के पास कर दें तो उसके लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह ठीक तरीके से उन लिस्टों का निरीक्षण कर सके और अपनी सही राय, जो विरोध किया जाये। उसके मकाबले में दे सके। इसलिए यह जरूरी है कि एक बूथ पर एक प्रीसाइडिंग आफिसर रखा जाये।

मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता हूं कि गत चुनावों में लोगों को यह भी पता नहीं था कि बैलेट पेपर बैलेट बाक्स में कहां पर छोड़ना चाहिए। ऐसे पिछड़े इलाके थे जहां स्त्रियां वोट करने आईं, मर्द वोट करने आए, देहाती अनपढ़ आदमी थे, उनको यह ज्ञान नहीं था कि अपना वोट बैलेट बाक्स के भीतर डालना चाहिए या उसके ऊपर रख देना चाहिए, हालांकि उनको कई मर्तबा बताया गया कि उनको अपना वोट बाक्स के अन्दर डालना चाहिये लेकिन आपके कानों तक भी यह शिकायत जरूर आई होगी कि बहुत से लोग अपने बैलेट पेपर्स बैलट बाक्सज़ के ऊपर रख कर चले गये।

चीज यह थी कि वहां जो एजेण्ट मुकर्रर थे वे चाहते थे कि दस, दस पांच, पांच मिनट के बाद, प्रीसाइडिंग आफ़िसर के साथ हम लोग भी पहुँचें और देखें कि कितने बैलेट पेपर बाक्स के बाहर पड़े हैं, लेकिन प्रीसाइडिंग आफ़िसर हमेशा यह कहते थे कि नहीं, आप लोग वहां नहीं जा सकते। प्रीसाइडिंग आफ़िसर ५, १० या १५ मिनट बाद, या जब उचित समझते थे, जाते थे। पता नहीं वह बैलट पेपर किसी इंटरेस्टेड पार्टी के बैलेट बाक्स में डालते थे या क्या करते हैं कभी कभी कुछ बैलेट पेपर्स को अपने साथ घर भी ले आते। इस के लिये जरूरी है कि जब भी प्रीसाइडिंग आफ़िसर बैलेट बाक्स

पास जायें, वह और पार्टियों के जो एजेन्ट उन को भी साथ ले जायें ।

दूसरी बात यह है कि एक शिकायत इस बारे में भी आई है एजेन्टों के कहने के मुताबिक़ कि गणना के वक्त अगर कुल वोटर २०० आये तो कभी कभी ऐसा हुआ कि रजिस्टर में ३०० वोट्स दर्ज किये गये । इसलिये यह ज़रूरी है कि जब पोलिंग खत्म हो जाये तो जो लिस्ट हो उस को चेक कर लिया जाये और उस पर एजेन्टों के भी हस्ताक्षर ले लिये जायें ताकि किसी को यह कहने का मौक़ा न आये कि जितने सही पोल्ड वोट्स हैं उन से एक भी ज्यादा मत उस में काउन्ट कर लिया गया है ।

एक शिक़ायत और भी है, आप ने देखा कि विन्ध्य प्रदेश की ट्राइब्यूनल के सामने भी डिमान्स्ट्रेशन हुये और वह डिमान्स्ट्रेशन बैलेट बाक्स के बाबत हुये । एक डिमान्स्ट्रेटर ने दिखाया कि चिट के लगे रहने पर भी बैलेट बाक्स सुविधाजनक तरीक़े से खोला जा सकता है, उसमें से बैलेट पेपर निकाला जा सकता है, दूसरा छोड़ा जा सकता है और फिर उसको उसी तरह से बन्द किया जा सकता है । विन्ध्य प्रदेश में जो एलेक्शन पेटिशन्ज़ हुये उन में यही आब्जेक्शन रेज किया गया और उस के बाद रिटर्निंग आफिसर ने पता नहीं एलेक्शन कमिशन की इजाज़त ले कर या कैसे यह तय कर लिया कि बैलेट बाक्स पर कपड़े का बन्धन लगा कर उस पर सील लगाई जा सकती है । लेकिन मैं ने सुना है कि बहुत से ऐसे स्थान भी थे जहां लोगों ने चाहा कि कपड़े का बन्धन हो लेकिन उन्हें इस की इजाज़त नहीं मिली । जब इस डिफेक्टिव सील का डिमान्स्ट्रेशन यह सिद्ध करता है कि यह तरीक़ा ग़लत है तो यह आवश्यक है कि अगर कोई कैन्डिडेट अपने खर्चे से कपड़े का बन्धन लगाने के लिये तैयार होता है तो उस को इस की स्वीकृति मिलनी चाहिये । इस विधेयक में इस को स्पष्ट करने में में नहीं समझता कि कोई पेचीदगी है ।

धारा १२ में विधड्राल के बारे में मेरा एक सजेशन है । पहले तो यह कि जो समय निश्चित किया जाये उस में अगर कोई कैन्डिडेट अपना नाम वापस ले लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी खास वजह से वह अपना नाम वापस नहीं ले सकता है तब भी उस को पोलिंग डे तक यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपना नाम वापस ले ले भले ही नाम की वापसी में जो सिक्योरिटी उस ने जमा की है वह उसे वापस न की जाये । ऐसा होता है कि अधिकांश लोग एक से अधिक कान्स्टिटुएन्सी के लिये अपने नामिनेशन पेपर फाइल करते हैं, वह कान्स्टिटुएन्सी काफ़ी दूर होती हैं एक दूसरे से, ऐसेम्बली के लिये भी और लोक-सभा के लिये भी और दो या तीन दिन के भीतर कैन्डिडेट यह निश्चय नहीं कर पाता कि मैं इस जगह से एलेक्शन फाइट करूं या उस जगह से ? अन्त में विधड्राल की तिथि ख़त्म हो जाती है और तभी वह निश्चय कर पाता है कि वह फलां जगह से एलेक्शन फ़ाइट करेगा । यहां पर दो, ढ़ाई या पांच सौ रुपये के चले जाने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि अगर वह एक कान्स्टिटुएन्सी से नहीं लड़ना चाहता तब भी बैलेट बाक्स वहां उस के नाम में चला जाता है और सौ, पचास वोट्स उस में पड़ ही जाते हैं । यदि वह बैलेट बाक्स वहा न रखा होता तो वह बैलेट पेपर्स किसी ऐसे सही आदमी को दिये जाते जो उन से लाभ उठाता । इसलिये अगर इस कारण से उस का बैलेट बाक्स वहां न रखा जाये और उस का विधड्राल मान लिया जाये, तो, भले ही सिक्योरिटी न लौटा ली जाय, मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा अच्छा क़दम होगा और इसमें कोई नुक़सान की बात नहीं होगी ।

[श्री बी० डी० शास्त्री]

धारा १२ डी के अनुसार चुनाव में समय में भी कुछ कमी कर दी गई है। मुझे इस पर बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी इस बात की नहीं है कि जो चुनाव का समय कम किया गया है वह कोई व्यापक रूप रखता है बल्कि इस लिये कि अक्सर यह देखा गया है कि जिस प्रकार से मेंढक वर्षा काल में इधर उधर पानी के लिये काफ़ी दौड़-धूप किया करते हैं वैसे ही चुनाव के दिनों में जो थैली वाले लोग हैं, पूंजीपति हैं, काफ़ी रुपये पैसे वाले हैं, वह सोचते हैं कि कौन सा बैकवर्ड एरिया है और कहां मैं कामयाब हो सकता हूं ताकि रुपये के बल से या प्रोपैगैन्डा के बल से कम से कम एक सीट पा सकूं। आप ने देखा होगा कि अगर कोई यू० पी० का है तो वह मद्रास चला जा रहा है, मद्रास का है तो वह बम्बई चला जा रहा है, बम्बई का है तो वह कानपुर चला जा रहा है। विन्ध्य प्रदेश में भी कोई कानपुर का इन्डस्ट्रियलिस्ट है तो कोई कहीं का, और रुपयों की थैलियां उन की पहुंच रही हैं। मुझे अपने विन्ध्य प्रदेश में इस का अनुभव हुआ है कि जो ३० दिन का मौक़ा मिला उस में ऐसे लोगों ने लाखों रुपये खर्च किये, एक, दो नहीं चार, छ या दस दिन पहले से ही सवारियां ट्रक, जीपगाड़ियां और लारियां दौड़ने लगीं और हज़ारों आदमी जो उन की इन्डस्ट्री में काम करते हैं, कपड़े की मिल में काम करते थे वह दूसरे स्टेट्स से आये और अपने मालिकों का जितना अधिक से अधिक प्रचार कर सकते थे उतना किया। सवाल यह है कि अगर हम इतना समय कम कर दें और अपनी निर्वाचन पद्धति को बदल दें तो उस से हमें ग़लत आदमियों का निर्वाचन करने का कुअवसर नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस का समय कुल पांच दिन कर दिया जाये और पांच दिन करने के बाद भी इस में यह रखा जाये कि किसी भी कैन्डिडेट को प्रोपेगैण्डा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस से यह होगा कि जो सही आदमी अपने क्षेत्र में पहले से हैं, मेहनत करने वाले हैं, सही तरीक़े पर अपने क्षेत्र के लोगों की वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और जिन पर जनता का विश्वास है, वही चुने जायेंगे और वह आदमी नहीं चुने जायेंगे जो कि थैली या प्रोपैगैन्डा के बल पर उस कान्स्टिटुएन्सी का दौरा कर के वोट्स सिक्योर करने जा रहे हैं। बल्कि बेहतर यह होगा कि रिटर्निंग आफ़िसर को ऐसे पैम्फलेट निकालने चाहियें जिन में जितने भी उम्मीदवार हों सब का नाम, उन का चुनाव चिन्ह और उन का मैनिफेस्टो वग़ैरह सब दिया हो और जितना समय हो उस में उसे सारी कान्स्टिटुएन्सी में बांटा जाये ; भले ही इसका खर्चा कैन्डिडेट्स से ले लिया जाये, लेकिन यह तरीक़ा सही आदमी को चुनने का होगा। आप चाहते हैं कि एक परिश्रमी आदमी मेहनती आदमी प्रदेश की धारा सभा में और लोक सभा में आये तो इस के लिये यह अत्यावश्यक होगा कि आप कम से कम समय रखें और चुनाव में अधिक से अधिक प्रबन्ध रखें। आप देखेंगे कि एलेक्शन कमिशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि जितने लोगों ने एलेक्शन एक्स्पेन्सेज़ सबमिट किये हैं सब ग़लत हैं। इस से साफ़ ज़ाहिर होगा कि कि अनुपात से कहीं अधिक खर्च किया गया है और एलेक्शन कमिशन इस बात को भी मानता है कि आप के पास कोई तरीक़ा नहीं कि आप इसको चेक कर सकें। एक आदमी आज लाखों रुपये खर्च कर देता है, अगर उसके खिलाफ़ पिटीशन भी दी जाये तो उस से पार पाना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है कि विटनेस बुला सकें और उस की एविडेन्स दिला सकें। फिर अगर हम ऐसा कर भी सकें तो यह भी

तो हो सकता है कि हमारे विटनेस को बुलाने से पहले ही १००० रुपये की थैली उस के घर पहुंच जाये और वह आने से इन्कार कर दे । तो इस तरह की मुसीबतें आती हैं कि हमारे सामने कोई तरीक़ा नहीं है कि हम इन चीज़ों को रोक सकें । आप ने यह तरीक़ा बना रखा है कि एक कान्स्टिटुएन्सी में २५,००० रुपये से ज्यादा खर्च न किया जाये, लेकिन यह सिर्फ आप की धारा की शब्दावली में ही बनी हुई है । जहां तक मैं समझता हूं जो खर्च करने वाले लोग हैं उन को आज तक नहीं चेक किया जा सका और इस बिना पर कि उन्होंने अधिक खर्च कर लिया है जितना कि नहीं करना चाहिये, उन को कोई डिस्क्वालिफाइ नहीं कर सका है । मैं पूछता हूं कि जो राशि आप ने तय की है यदि उस को सही जांच कराने का कोई उपाय नहीं तो उस से क्या फायदा है, अलावा इस के कि जो ग़रीब आदमी हैं वह परेशान हों ।

अब एक चीज़ में धारा १४ के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें आपने यह नियम रखा है कि सेकेंडर की कोई ज़रूरत नहीं है । वास्तव में कोई प्रस्ताव लाने का एक तरीक़ा होता है कि उसका एक प्रस्तावक हो और दूसरा समर्थक । इस लिये अगर आप सेकेंडर को हटा देते हैं तो फिर मेरे ख़याल में कोई ज़रूरत नहीं रहती कि आप प्रस्तावक को भी रखें और एक कैंडिडेट जैसे ही एक एप्लीकेशन ले जाये उसे ठीक मान लिया जाये और उसे कैन्डिडेट घोषित कर दिया जाये । अगर कोई चाहे तो प्रस्तावक भी रख ले लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है । जब आप इस रूल को सरल बना ही रहे हैं तो जैसे मैं ने कहा है उससे यह रूल और भी सरल बन जायेगा.....

Shri Pataskar: A proposer is necessary for this reason that supposing the man is ill at the time when the nomination paper has to be filled, then we thought it much better that we might give this latitude that somebody might go and file that nomination and propose his name. That is the only object why the proposer is kept.

Pandit K. C. Sharma : (Meerut Distt....South) : Yes, proposer must be kept.

श्री पाटस्कर : प्रस्तावक की आवश्यकता इसलिये है कि यदि कोई व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र के पेश करने के समय बीमार हो तो यह अच्छा है कि कोई अन्य व्यक्ति जाकर उसका नाम-निर्देशन कर सकता है और जाकर उसे पेश कर सकता है । इसी उद्देश्य से प्रस्ताबक रखा गया है ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : हां, प्रस्तावक तो होना ही चाहिये ।

श्री बी० डी० शास्त्री : इसमें हमारा बहुत बड़ा विरोध नहीं है । मैं ने सिर्फ़ एक सजेशन दिया है आप जैसे समझें कर लें ।

अब मैं धारा १७ पर आता हूं जहां आप ने रिटर्निंग आफ़िसर को नामिनेशन पेपर स्वीकार करने के तरीक़े को सरल किया है । पहली बात तो यह है कि यदि रिटर्निंग आफ़िसर के स्थान पर कोई ज्यूडिशल कोर्ट का एक अनुभवी व्यक्ति रख दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा और उससे यह सुविधा होगी कि वह इन वैधानिक अड़चनों में काफ़ी गम्भीरता से और गहराई से जा सकेगा । इसके अलावा जो वह जजमेंट देगा वह किसी हद तक निर्णायक हो सकता है । लेकिन ऐसे अफसर को जो हमेशा माल के केस करता है उसके लिये इन सब बातों में जाने में बड़ी दिक्क़त पड़ती है और होता यह है कि कई बार ग़लत तरीक़ें से नाम एक्सेप्ट कर लिये जाते हैं और ग़लत तरीक़े

[श्री बी० डी० शास्त्री]

से रिजेक्ट भी कर दिये जाते हैं। इसलिये मेरे खयाल में अच्छा यह होगा कि इन चीज़ों का फ़ैसला करने वाला कोई अच्छा विधान अधिकारी हो । ज्यादा सुविधा की बात तो यह होगी और मैं आपकी उस एमेंडमेंट की तारीफ़ करूंगा जिसे आप ने विथड्रा कर लिया है और जिस में आपने कहा था कि रिटर्निंग आफ़िसर जो निर्णय देगा उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट में अपील होने के बाद अन्तिम निर्णय समझा जायेगा । यह एक अच्छा तरीक़ा था क्योंकि लक्ष्य यह नहीं होना चाहिये कि अधिक से अधिक एलेक्शन पेटिशन्स सामने आयें, बल्कि लक्ष्य यह होना चाहिये कि एलेक्शन पेटिशंस जितनी कम हो सकें उतनी कम हों । यह तभी सम्भव है जब कि उनकी अपील चुनाव के पहले हो जाये । यह चीज़ अगर चुनाव के पहले हो जाती है तो सारी दिक्क़त दूर हो जाती है और अगर पहले नहीं होती है तो बड़े सरल तरीक़े से लोग नामिनेशन पेपर्ज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे और बाद में कठिनाइयां पैदा होंगी । इसका नतीजा यह होगा कि एक आदमी को इलेक्टिड क़रार देकर बाद में उसको एलेक्शन सेट एसाइड होगी और फिर सारी दिक्क़तें पेश आयेंगी । तो मैं आप से चाहूंगा कि जो सुझाव मैं ने दिया है यदि आप उसको स्वीकार कर लें तो यह एक बड़ी अच्छी बात होगी । यह जो सारे झंझट हैं यह पहले ही दूर हो जाने चाहियें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका यही नतीजा होगा कि बाद में इलेक्शन सेट एसाइड होंगे और फिर उन लोगों का लाखों रुपया दुबारा खर्च होगा और गवर्नमेंट का भी ।

दूसरी बात यह है कि एक आदमी जो इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीतता है और अगर दर असल जो उसका नाम एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और रिटर्निंग आफिसर के न्याय के बावजूद उसकी इलेक्शन सेट एसाइड हो जाती है तो भला उस बेचारे का क्या अपराध है जिस की कि इलेक्शन पेटिशन सेट एसाइड हुई है । आप देखें कि रिटर्निंग आफिसर ने उसके नामिनेशन पेपर को स्वीकार किया था और उसके बारे में अपना निर्णय भी दिया था लेकिन फिर उसकी एलेक्शन सेट एसाइड हो जाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर इसको एपीलेबल बना दिया गया तो कम से कम पानी छना हुआ तो आएगा और एलेक्शन पेटिशंस भी कम होगीं ।

चुनावों में जो रुपया खर्च किया जाता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक हद तो रख दी है कि २५,००० रुपये से ज्यादा किसी कैंडिडेट को खर्च नहीं करना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि इसका चेक कोई नहीं है और इसका कोई न कोई चेक ज़रूर होना चाहिये । जो लोग एक या दो लाख रूपया खर्च कर देते हैं उसको चेक करने का तरीका आप के पास कोई नहीं है और जब ऐसी बात होती है इस लिमिट को रखने से कोई फायदा नहीं होता है । मैं चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी इस पर गहराई से विचार करे और जो भी तरीका हो सकता है और जो भी तरीका उसकी समझ में आवे वह निकाले ताकि इस को किसी तरह से चेक किया जा सके ।

ट्राइब्यूनल्ज़ की बाबत आप ने धारा ४७ में तय किया है कि ट्राइब्यूनल्ज़ विटनेस को रिकाल कर सकते हैं और उस से जो एविडेंस लिया जा चुका है उस की बाबत दुबारा एविडेंस ले सकते हैं । मेरा सजेशन

यह है कि अगर ट्राइब्यूनल्ज़ अपनी खुशी से किसी मामले को साफ करने की गर्ज़ से किसी विटनेस को जो एक मर्तबा आ चुका है अदालत में उस को दुबारा काल करते हैं तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एक पेटिशनर की पेटिशन के बावजूद दुबारा वह फिर काल किया जाता है तो यह जरूरी है कि जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है उस को ऐसा अवसर दिया जाये ताकि वह क्रास एग्ज़ामिन कर सके और रिबट कर सके। जब उस ने एक बार एविडेंस दे दिया है तो फिर उस को दुबारा रिकाल करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी विटनेस को दुबारा रिकाल किया जाये और उसे कोई चीज़ साफ करने को कहा जाये तो हो सकता है कि जिस चीज़ को रिबट करने की आवश्यकता पड़े और ऐसे मौके पर जब कोई विटनेस रिकाल किया जाये तो जो दूसरा आदमी है उस को भी सफाई का मौका दिया जाना चाहिये।

कई बार ऐसा भी होता है कि जहां विटनेस बाक्स में एक गवर्नमेंट के अफसर को बुलाने की जरूरत पड़ती है और उस को किसी रिकार्ड के साथ आने को कहा जाता है तो देखा गया है कि अदालतों में ट्रिब्यूनल्ज़ के सामने पुलिस के अफसर डाकुमेंट पर प्रिवलेज क्लेम कर देते हैं और वह डाकुमेंट आ नहीं पाते जिस का नतीजा यह होता है कि सही न्याय नहीं हो पाता और सही न्याय होने की संभावना कम हो जाती है। अगर कोई पुलिस का अफसर किसी डाकुमेंट में प्रिविलेज क्लेम कर दे तो वह डाकुमेंट नहीं आ सकता और उस डाकुमेंट के न आने के कारण हो सकता है कि दूसरे आदमी को फांसी लग जाये। मैं चाहूंगा कि इस बात का निर्णय करना कि वह डाकुमेंट प्रिविलेज क्लेम करने लायक है या नहीं, पुलिस के अधिकारी का काम न हो बल्कि यह ट्रिब्यूनल का काम हो या हाई कोर्ट के किसी जज का काम हो तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी डाकुमेंट के बारे में अपने प्रिविलेज क्लेम करे तो इस का जो फाइनल जजमेन्ट दे वह या तो ट्रिब्यूनल दे या कोई जज दे या कोई कोर्ट दे न कि वह पुलिस का अधिकारी दे।

एक बात मैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : बस अब समाप्त कीजिये। 'एक बात' नहीं।

श्री बी० डी० शास्त्री : सिर्फ पांच मिनट और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : बस। उन्हें पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

श्री एन० एम० लिंगम : (कोयम्बटूर) : इस सदन के समक्ष जो विषय है, वह न केवल हम में से अधिकांश से सम्बन्धित होने के कारण महत्वहपूर्ण है, वरन इस देश में प्रजातंत्र के भविष्य की दृष्टि से भी।

यह प्रस्ताव किया गया है कि निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन और नामनिर्देशन-पत्र देने की तिथि के बीच में अधिक से अधिक दस दिन का समय होना चाहिये। मेरी राय में यह समय बिल्कुल अपर्याप्त है तथा उस को बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि हमारे देश के निर्वाचन क्षेत्र काफी विस्तृत हैं और विज्ञप्ति के प्रसार के लिये अधिक समय अपेक्षित है।

इस के पश्चात् मैं निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन और मतदान प्रारम्भ होने के बीच की अवधि पर आता हूं। मेरी राय में इस के लिये कम से कम तीस दिन का समय होना चाहिये।

नाम निर्देशनों के खारिज किये जाने के आधारों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया है कि अनर्हता का प्रश्न निर्वाचक पदाधिकारियों द्वारा निर्णय का विषय वस्तु नहीं होना चाहिये। यह ठीक है कि निर्वाचक

[श्री एन० एम० लिंगम]

पदाधिकारी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अभ्यर्थी की अनर्हता के प्रश्न से सम्बन्धित समस्त कानूनी बारीकियों को देख सके । परन्तु फिर भी यदि कोई स्पष्ट तथ्य हों कि अमुक अभ्यर्थी अनर्हता का पात्र है तो निर्वाचक अधिकारी को उस का नाम निर्देशन खारिज करने का अधिकार होना चाहिये । ऐसी बातों को न्यायालय के लिये छोड़ देने से व्यर्थ की कठिनाई बढ़ेगी जिसे रोका जा सकता है ।

सदस्य के निर्वाचित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में यह परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है कि निर्वाचन घोषणा की तिथि से प्रभावी होगा । घोषणा का रूप नियमों में निर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिये जो कि अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने चाहियें ।

निर्वाचन के व्यय के सम्बन्ध में यह सभी जानते हैं कि तत्सम्बन्धी नियमों का प्रायः उल्लंघन ही होता है । निर्वाचन व्यय के विवरण से कोई लाभ नहीं होता । साथ ही जो प्रणाली है वह अत्यन्त जटिल है अतः उसको यथासम्भव सरल बनाना चाहिये । निर्वाचन व्यय की जो सीमा नियमों द्वारा निर्धारित की गई है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि मतदाताओं को सही तौर से राजनैतिक शिक्षा देने के लिये उतना धन पर्याप्त नहीं है ।

निर्वाचन सम्बन्धी झगड़ों के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं । झगड़ों के फ़ैसले में जल्दी करने के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया है पता नहीं वह कार्यरूप में कैसा सिद्ध होगा । मेरा मुख्य विचार यह है कि निर्वाचन-याचिकाओं पर न्यायाधिकरण के निर्णय किसी सीमा तक अन्तिम समझे जाने चाहियें । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो व्यर्थ की मुक़दमे बाज़ी बढ़ेगी । संशोधन विधेयक में याचिकाओं के निपटारे के लिये कोई समय की सीमा भी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

श्री पाटस्कर : वह प्रभावी नहीं होगी क्योंकि संविधान की धारा ३२९ में निम्न प्रावधान है :

> "इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी—
>
> (ख) संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन याचिका के बिना कोई आपत्ति न की जावेगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित है :"

उच्चतम न्यायालय ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है कि इस प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें आदेश जारी करने अथवा अपील करने के लिये विशेष अनुज्ञा देने की शक्ति प्राप्त नहीं है । इसलिये यदि हम निर्वाचन न्यायाधिकरणों के लिये कोई समय की सीमा निर्धारित भी कर दें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आदेश जारी किये जाने पर समस्त कार्यवाही स्वतः ही रोक देनी होगी । अस्तु हमें संविधान की १३९ व २२६ धाराओं में संशोधन करना होगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : ग्राम-अधिकारियों के सम्बन्ध में यह एक असंगति है कि यद्यपि उन्हें निर्वाचन के लिये खड़े होने की अनुमति दी गई है किन्तु निर्वाचन के प्रचार की अनुमति नहीं दी गई है । मेरा

सुझाव है कि उन्हें निर्वाचन के लिये खड़े होने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि निर्वाचन में निम्नतम धरातल पर वे अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेते हैं । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में विभिन्न नियम हैं जिनको एकरूप दिया जाना चाहिये ।

अन्त में, हमें निर्वाचन प्रक्रिया को यथासम्भव सरल बनाना चाहिये । साथ ही हमें देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये सदन के सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी चाहिये । इसके अतिरिक्त देश के निर्वाचक मण्डल के शिक्षा स्तर को देखते हुये हमें ऐसे यंत्र का विकास करना है जो देश में प्रजातन्त्र के विकास में सहायक हो ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मूल विधेयकों पर विचार करने के लिये जो प्रवर समिति निर्मित की गई थी उसका मैं भी एक सदस्य था । हमने विधेयकों पर विचार किये तथा उनमें बहुत से सुधार किये । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विधि कार्य मन्त्री ने अनुभव के आधार पर अनेक सुझाव एवं संशोधन प्रस्तुत किये हैं । इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

प्रारम्भ में ही मैं यह कहूंगा कि निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का कार्य असन्तोषजनक रहा है । उदाहरणार्थ, मैं एक दृष्टान्त रखूंगा । एक सदस्य मद्रास विधान सभा के लिये बहुमत से निर्वाचित हुआ । बाद में वह आन्ध्र के निर्माण पर वह वहां की विधान सभा का सदस्य हो गया । वह आन्ध्र में हाल ही में हुये निर्वाचन के लिये खड़ा होना चाहता था परन्तु उसका नाम ही निर्वाचक नामावली में नहीं पाया गया और उसका नाम निर्देशन पत्र इसी आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया । अब प्रस्ताव किया गया है कि निर्वाचक नामावलियों का प्रति वर्ष संशोधन किया जाये । यह सुझाव तो अच्छा है परन्तु उसमें बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता है । थोड़ी सी भी लापरवाही से बड़ी भारी ग़लती हो सकती है । उपरोक्त दृष्टान्त में ऐसी लापरवाही के कारण ही वैसा हुआ है । वास्तव में सदस्य की स्त्री की मृत्यु हुई थी किन्तु उसके बजाय ग़लती से सदस्य का नाम ही निर्वाचक नामावली से काट दिया गया । ऐसी ग़लतियों के निराकरण के लिये प्रावधान रखा जाना चाहिये । इसके लिये मैं प्रवर समिति से अनुरोध करूंगा ।

अनर्हता के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि धारा ७(ग) दोषपूर्ण है क्योंकि अभिकर्ता की गलती के कारण अभ्यर्थी को भी अनर्ह कर दिया जायेगा । इसका भी एक हाल ही का उदाहरण है कि एक अभिकर्ता निर्वाचन के दिन ही नियुक्त किया गया । अभ्यर्थी ने निर्वाचन-व्यय का विवरण समय के अन्दर ही प्रस्तुत कर दिया था । अभाग्यवश अभिकर्ता अपनी मां की मृत्यु के कारण एक ऐसे स्थान को चला गया जो बहुत दूर था । वहां कुछ समय रुक जाने के कारण वह समय के अन्दर उस विवरण को प्रस्तुत नहीं कर सका । फलस्वरूप अभ्यर्थी को अनर्ह कर दिया गया यद्यपि वह बहुत बड़े बहुमत से निर्वाचित घोषित किया जा चुका था । मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह उस बात का प्रयत्न करे कि भविष्य में ऐसा फिर न हो । इसके लिये मैं यह सुझाव रखूंगा कि निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां बढ़ाई जायें ताकि वह ऐसी अनर्हता को दूर कर सके ।

इसके अतिरिक्त निक्षेप की जो रकम है वह बहुत अधिक है । उसे घटा कर ३०० रुपये कर देना चाहिये क्योंकि ५०० रुपये की रकम इतनी अधिक है कि साधारण हैसियत का मनुष्य इतनी रकम नहीं जुटा

[श्री लक्ष्मय्या]

सकता। इसी तरह राज्य विधान सभा के लिये यह रक़म घटा कर १५० रुपये कर देनी चाहिये ।

साथ ही मैं यह सुझाव भी रखूंगा कि निक्षेप की रक़म की ज़ब्ती से बचने के लिये प्राप्त मतों की संख्या कुल मतदान के १/६ से बढ़ा कर १/५ या १/४ कर दी जाये ।

अन्धे व्यक्तियों के मतदान के सम्बन्ध में अभी जो क़ायदा है उसके लिये भी मैं एक सुझाव रखूंगा कि एक अधिकारी के बजाय दो अधिकारी उसके साथ रहें ताकि एक अधिकारी अपनी इच्छा के अनुकूल उससे वोट न डलवा सके । मैं समझता हूं कि इस प्रणाली से मतपत्र के गुप्त रखने के सिद्धान्त का हनन नहीं होगा ।

दोनों में कुछ मतभेद हो सकता है और किसी पदाधिकारी को यह भय हो सकता है कि कोई दूसरा इस बात को प्रगट कर देगा। इसी लिये मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति इस बात पर विचार कर कोई अच्छा ढंग निकाले। ४०, ४६ और ४७ खंडों का सम्बन्ध मतदानाभिकर्ता, निर्वाचनाभिकर्ता और गणनाभिकर्ता की नियुक्ति से है । मुझे प्रसन्नता है कि निर्वाचनाभिकर्ता की नियुक्ति ऐच्छिक बना दी गयी है । गणनाभिकर्ता के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि जहां प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में चार लाख मतदाता होंगे और लगभग दो लाख व्यक्ति मतदान करेंगे, वहां केवल एक गणनाभिकर्ता क्या कर सकता है ? इसलिये प्रवर समिति को यह ध्यान रखना चाहिये कि गणना देखने के लिये यथासम्भव अधिक-से अधिक गणनाभिकर्ता नियुक्त किये जायें ।

अब तक निर्वाचन की तिथि के तीन दिन पहले निर्वाचन-अभिकर्ताओं की सूची भेजने का जो नियम था उस में परिवर्तन की व्यवस्था के लिये हमें मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिये । आप सभी जानते हैं कि निर्वाचनार्थी अत्यन्त परेशान और थका रहता है । इसलिये प्रवर समिति को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार की अनावश्यक परेशानियां और भार हटा कर उसको पर्याप्त सुविधायें मिलनी चाहियें और यह भी कि यह अधिनियम व्यापक और सम्पूर्ण बन सके ।

पंडित के० सी० शर्मा श्रीमान्.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यथासम्भव प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देना चाहता हूं—अतः आप अपनी बात १५ मिनट के भीतर ही समाप्त कर दें ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं उस से भी कम समय लूंगा ।

मैं अनेक अच्छी अच्छी निर्वाचन याचिकाओं में भाग ले चुका हूं और अन्य देशों के निर्वाचनों के समाचार पढ़ चुकने के बाद विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी मतदाता को तनिक भी परेशानी किये बिना, हमारे यहां का साधारण निर्वाचन जिस स्वतन्त्र और सुन्दर ढंग से हुआ उसका उदाहरण और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता ।

मैं अपनी पूरी शक्ति से श्री कामत तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा लगाये गये इस आरोप की निन्दा करना चाहता हूं कि मंत्रियों तथा अन्य लोगों ने वहां जा कर प्रचार कार्य किया और अनुचित तथा अवैध रूप में हस्तक्षेप किया । जो ३३८ चुनाव-याचिकायें दर्ज की गयीं उनमें से एक में भी यह आरोप सिद्ध नहीं हो सका । चुनावों में यहां जो सफलता मिली है उस पर प्रत्येक

भारतीय को गर्व होना चाहिये । मनुष्य से गलती हो ही जाती है, लेकिन किसी को दबाते जाना उचित नहीं । क्या आप समझते हैं कि कोई भी मंत्री अथवा उत्तरदायी सरकारी पदाधिकारी ऐसा काम कर सकता है जो लोकतन्त्र की जड़ें ही खोद दे ? लोकतन्त्र में चुनाव स्वतन्त्र और उचित रूप में होने ही चाहियें। उसकी अलग और कुशल न्यायपालिका होनी चाहिये । अगर ये दो महत्वपूर्ण अंग न रहें तो लोकतन्त्र कार्य नहीं कर सकता । कोई भी उत्तरदायी मंत्री इस लोकतन्त्र के लिये घातक ढंग से काम नहीं कर सकता ।

यह कहने के बाद मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । साधारणतया पूरी आबादी के ५० प्रतिशत व्यक्ति ही मतदात हो सकते हैं और इसके भी ५० प्रतिशत मतदान में भाग लेते हैं । कोई भी दल इस ५० प्रतिशत में ३० प्रतिशत मत प्राप्त कर सहज ही ५१ प्रतिशत अभ्यर्थी निर्वाचित करा सकता है । जो ५० प्रतिशत मतदान हुआ है उसमें तीस प्रतिशत मत प्राप्त कर लेने पर कोई भी दल सरकार बना सकता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : इस समय हम पर तो ४७ प्रतिशत का शासन है ।

पंडित के० सी० शर्मा : यह आपका सौभाग्य है कि आप पर ४७ प्रतिशत का शासन है । मैं तो यह कहता हूं कि यह भी सम्भव है—और शायद यह विश्व का रेकार्ड है—कि विधान मंडल में १५ प्रतिशत का ही बहुमत हो जाये और वह उन ८५ प्रतिशत के विरुद्ध शासन करे जो या तो उसके विरोधी हैं या उसके प्रति उदासीन हैं । यह कोई लोकतन्त्र नहीं । सच्चे लोकतन्त्र के लिये यह आवश्यक है कि मतदान सब के लिये अनिवार्य कर दिया जाये ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

मैं पूरे आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान शासन एक कल्याणकारी राज्य है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह मांग करने का अधिकार है कि राज्य उसके बच्चों की शिक्षा और उसके लिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करे । राज्य पर यह दावा करने के उपरान्त यह उसका कर्तव्य है कि वह ऐसी सरकार के निर्माण के लिए अपना मत दे जिस पर वह नागरिक के नाते अपना दावा कर सके ।

सभापति महोदय : अगर कोई व्यक्ति मत न दे तो माननीय सदस्य उसके लिये कौन से दण्ड की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सी० डी० पांडे : नागरिक अधिकारों और स्वातन्त्र्य में कटौती के लिये आप को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ।

पंडित के० सी० शर्मा : नार्वे में मत न देने वाले के लिये लगभग ५० रु० तक के दण्ड की व्यवस्था है ।

सभापति महोदय : संविधि में भोजन और आवास की अनिवार्य व्यवस्था के लिये तो नियम नहीं, लेकिन मतदान न करने पर ५० रु० का अर्थ दण्ड दिया जाता है ?

पंडित के० सी० शर्मा : दो या तीन देशों के संविधान में ऐसी ही व्यवस्था है । यह एक बुनियादी प्रश्न है क्योंकि केवल इसी के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सकती है, अर्थात् मंत्री का चुनाव बहुमत द्वारा हो सकता है अन्यथा १५ प्रतिशत ८५ प्रतिशत के विरुद्ध शासन करेंगे ।

[पंडित के० सी० शर्मा]

मुझे प्रसन्नता है कि नाम निर्देशन अधिक सहज और आसान बना दिया गया है और इसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

मैं विधेयक में यह व्यवस्था करने के लिये मंत्री महोदय को पुनः बधाई दूंगा कि जहां तक निर्वाचन में होने वाले व्यय का सम्बन्ध है, अभ्यर्थी द्वारा किया गया व्यय दल द्वारा किये गये व्यय में न मिलाया जाये । इससे एक अच्छा परिवर्तन होगा और वह यह कि व्यक्ति के स्थान पर दल प्रचार कार्य करेगा । व्यक्ति जातीयता, धार्मिक भावनाओं और इसी प्रकार के अन्य विचारों को उभारते हैं, दल की नीति सम्बन्धी व्यापक प्रश्नों आदि का प्रचार करते हैं और इसीलिये मतदाता अच्छी तरह शिक्षित हो पाते हैं और निर्वाचन के वातावरण पर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

अब मैं निर्वाचन याचिकाओं पर आता हूं । मेरा सादर निवेदन है कि विशेष विधि, या जिसे आप न्याय्य-विधि कहते हैं, के लिये कोई भी विशेष कानून नहीं चाहता । अधिक अच्छा तो यह है कि भारतीय दण्ड विधान में दी हुई विधि का पालन किया जाये । निर्वाचन न्यायाधिकरण निर्वाचन याचिका रद्द करने का अधिकार नहीं होना चाहिये और दण्ड विधान में दी गयी व्यवस्था का ही पालन करना चाहिये । आप निर्वाचन न्यायाधिकरण को यह प्रारम्भिक अधिकार क्यों देते हैं कि अगर कोई नाम या अन्य बात छूट जाये तो वह उसे रद्द कर दें ? यह विचित्र बात है ।

सभापति महोदय : क्या कोई विवरण छूट जाने पर भी निर्वाचन याचिका रद्द की जा सकती है ?

पंडित के० सी० शर्मा : लखनऊ में कुछ मंत्रियों के विरुद्ध एक निर्वाचन-याचिका इसलिये रद्द कर दी गयी कि उसमें कुछ नाम छूट गये थे ।

सभापति महोदय : इस का यह अर्थ है कि किसी आवश्यक पक्ष को अनुशस्त नहीं किया गया । मेरा तात्पर्य यह था कि क्या कोई विवरण छूट जाने पर भी निर्वाचन-याचिका रद्द की जा सकती है ?

पंडित के० सी० शर्मा : मान लीजिये कि कुछ विवरण छूट भी गया हो, परन्तु अन्य थोड़ी सी बातें भी ऐसी हो सकती हैं कि वह निर्वाचन याजिका स्वीकार कर ली जाये । ऐसे में निर्वाचन न्यायाधिकरण कैसे निर्णय कर सकता है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि निर्वाचन केवल न्यायाधिकरण को ही निर्वाचन-याचिका रद्द करने का अधिकार दिया जाये, वरन् वह दण्ड विधान का ही अनुसरण करे ।

इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रवर समिति निर्वाचन को आसान और अच्छा बनाने तथा निर्वाचन याचिकाओं के विवाद तथा उनमें लगने वाले समय में कमी के विचार से इसमें जो भी परिवर्तन करना चाहे उसको करने दे ।

श्री अजित सिंह (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पहली बात मैं इलैक्ट्रल-रोल्ज़ के बारे में कहना चाहता हूं । जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस के दौरान में कई भाइयों ने एतराज़ किया था कि सेन्सस में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक हुआ है । उस में बहुत से लोगों को शामिल नहीं किया गया । मुझे पिछले

इलेक्शन का तजुर्बा है कि बहुत से हरिजन लोगों को इलैक्ट्रल-रोल्ज़ में नहीं रखा गया। यह क्यों हुआ, इसको ज्यादा डिटेलज़ में इस वक्त नहीं बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग—कुछ सैक्शन्ज़, जिनका नाम बताना ठीक नहीं है, ऐसे हैं जो कि सरटेन पार्टीज़ में इन्ट्रेस्टेड होते हैं। वे जानते हैं कि हरिजन कांग्रेस को ही वोट देते हैं और वे किसी और पार्टी को कम ही वोट देते हैं। इसलिये वे चाहते हैं कि इन लोगों के नाम इलैक्ट्रल-रोल्ज़ में न लिखे जायें। साहिबे सदर, मैं मिनिस्टर साहब से बड़ी इल्तजा से कहूंगा कि इन लोगों के नाम इलैक्ट्रल-रोल्ज़ में फिर से लिखे जायें। इस लिये यह ज़रूरी है कि इलैक्ट्रल-रोल्ज़ का रिवीज़न किया जाये।

> एक्ट के सेक्शन २३ में कहा गया है:
> "अधिनियम की धारा २३ के अनुसार प्रति वर्ष नयी मतदाता सूची तैयार होनी चाहिये, किन्तु निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के अत्यधिक विस्तार को देख कर यह निर्णय किया है कि कुछ स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों के लिये प्रति वर्ष नयी मतदाता सूचियां नहीं बनाई जायेंगी।"

मैं कहना चाहता हूं कि इस को थोड़ा आसान कर दिया जाये और हरिजन भाइयों के लिये कुछ न कुछ फेसिलिटी ज़रूर दी जाये। उन के घरों तक पहुंच कर उन के नाम फिर से लिखे जायें। इस में कहा गया है कि साल के साल यह एनाउन्समेंट किया जायेगा कि जिस का वोट नहीं बना है, वह अपना नाम दर्ज कराये। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गांव के लोग तो पहले ही बहुत अनपढ़ होते हैं। कास्ट हिन्दूज़ और बड़ी कास्ट के सिखों को भी यह पता नहीं होता कि कब वोट्स बनते हैं, कहां बनते हैं और कौन बनाता है और हरिजनों को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि वोटिंग के वक्त हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म होता है। हरिजन भाई वोट देने के लिये कांग्रेस कैम्प में जाते हैं। गांवों में कुछ लोग ऐसी मैन्टेलिटी के होते हैं कि वे कांग्रेस की तरफ़दारी नहीं करते। मुझे अपनी कान्स्टीच्युएन्सी का एक इन्सिडेंट याद है। हरिजनों ने कांग्रेस को वोट दिये। वे लोग लैंडलैस होते हैं और न उनके पास मकान होते हैं। जब वे लोग, उनके बच्चे और उनके मवेशी खेतों को जाते हैं, तो जिन लोगों के पास ज़मीन होती है ज़रायें होते हैं, वे उन को बाहर नहीं निकलने देते। शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने यह हक़ दिया है कि हम अपने वोट को आज़ादी से इस्तेमाल कर। इसके जवाब में जमींदार लोग यह कहते हैं कि हमें भी इस बात का हक़ है कि हम आप को अपनी ज़मीन पर न आने दें और आप के मवेशियों को वहां न चरने दें। इसलिये यह ज़रूरी है कि एक्ट में कोई न कोई प्राविज़न रखा जाय कि इस क़िस्म की रेस्ट्रिक्शंज़ न हों और शिड्यूल्ड कास्ट्स और हरिजनों को इतनी तक़लीफे न हो।

तीसरी बात यह है कि इलेक्शन्ज़ के वक्त पुलिस आफ़िसर्ज़ बहुत ज्यादा इन्टरफीयरेन्स करते हैं। वे खासकर डाकुओं और इनफ्लुएन्शल आदमियों के ज़रिये गरीब आदमियों पर रौब डालते हैं और उन पर नाजायज़ मुक़दमात चलाये जाते हैं। मैं ने इस क़िस्म के कई इन्स्टान्सिज़ देखे हैं।

मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इन दो तीन बातों की तरफ़ तवज्जह दें।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे बहुत

[श्री जयपाल सिंह]

हर्ष है कि हमारे नौजवान दोस्त सरकार के मालिक और प्रतिनिधि बने हुये हैं। और जो एक दो बातें मैं कहूंगा, उन को शायद वह लिख लेंगे। वह कानून मंत्रालय के मंत्री नहीं हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मगर मैं बहुत खुश हूं कि वह एक दूसरे मंत्रालय में चले गये हैं और मुझे पूरी आशा है कि वह बहुत दिनों तक नहीं टिके रहेंगे लेकिन साथ ही मैं उन से यह अर्ज़ करूंगा कि वह कानों में तेल डाल कर न बैठे रहें और सो न जायें, क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूं और जिस इलाक़े और वर्ग की मैं बात करता हूं उस के सम्बन्ध में बहुत कम माननीय सदस्यों को परिचय है।

हिन्दुस्तान में यह एक बहुत बड़ी बात की गई, जब कि हम लोगों ने तय कर लिया और विचार कर लिया कि यहां के हर एक नौजवान को अपना मत देने का अधिकार दिया जाये। यह एक बहुत भारी बात थी। हम लोग छः हज़ार बरस तक ब्राह्मणों के गुलाम रहे

श्री वी० जी० देशपांड़े (ग्वालियर) : अभी तो आठ साल हुये हैं।

श्री जयपाल सिंह : इस ब्राह्मणबाज़ी के कारण ही, जो कि हमारे मुल्क में इतनी देर तक चली, हमें अभी तक यह अधिकार नहीं मिला था। ये ब्राह्मण तो कल परसों ही यहां आये हैं। पर हम इन के पैदा होने से छः हज़ार बरस पहले यहां पर थे। ये अपने को ब्राह्मण कहते हैं, मगर यह हिन्दुस्तान की एक बदतमीज़ी की बात है। मुझे यही कहना है कि जो गणतंत्र ,जो जनता का राज्य हम ने हिन्दुस्तान में लाया है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो खंडित हिन्दुस्तान है। मैं तो अखंड हिन्दुस्तान वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि हम कांग्रेस पार्टी के गुलाम बनकर मुल्क को बिक्री कर दें और जनता राज्य की बात करें। कांग्रेस पार्टी को कहां से ऐसा हुक्म मिला या कहां से ऐसी शक्ति मिली कि वे हिन्दुस्तान को बेचकर दो टुकड़े कर दें। हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया यह सही बात है। हम तो आख़िर तक, जब तक हम में सांस है लड़ेंगे कि हिन्दुस्तान फिर एक हो जाये।

इतना कहकर, सभापति जी, मुझे यह कहना है कि हम ये फ़िज़ूल की बातें न करें, कि जनता राज्य या गणतंत्र वगैरह वगैरह। मैं सरकार को इसीलिये धन्यवाद देता हूं कि वह यह संशोधित कानून ला रही है ताकि जो कुछ हमारे सामने है उसमें एक प्रकार की प्रगति हो। हम सब जानते हैं कि चुनाव एक अजीब बात है। हमारे माननीय दोस्तों ने बहुत कहा कि हमारे प्रधान मंत्री के लिये विशेष गाड़ी चलती है वगैरह वगैरह। मैं उन से यही अर्ज़ करूंगा कि अगर वह उधर होते, उस गद्दी पर होते, तो उन के लिये एक गाड़ी के बजाय दस गाड़ियां चलतीं। तो अगर हमें हार खानी है तो हम हार खाते हैं। उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिये, यह जनता राज्य की बात है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें पसन्द नहीं आतीं। अभी हमारें दोस्त वहां प्रधान मंत्री की जगह बैठे हुये हैं, यह बात हमें पसन्द नहीं आती, यह जनता राज्य की बात नहीं है।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आप कहें तो मैं उठ जाऊं ?

श्री जयपाल सिंह : इसी तरह से जिन माननीय मंत्री को यह क़ानून पारित कराना है वह यहां मौजूद नहीं हैं, यह शर्म की बात है। यह जनता राज्य की बात नहीं है। आपको जनता राज्य चलाने की अक्ल नहीं है, आप नहीं चाहते कि जनता राज्य यहां हो। जनता राज्य तभी हो सकता है .....

प्रजातन्त्र से तात्पर्य यह होता है कि अल्पसंख्यकों की बातें सुनी जायें, जहां सबको समानता का दर्जा दिया जाये लेकिन आपके प्रजातन्त्र में क्या हो रहा है ? आपको केवल ४१ प्रतिशत मत मिले हैं जिस पर आप कहते हैं कि हम जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। साथ ही क्या ब्राह्मण तथा अछूत का भेद प्रजातन्त्र में चल सकता है ? ब्राह्मणों ने यहां के आदिवासियों पर बड़े बड़े अत्याचार किये हैं और आज ये ही प्रजातन्त्र की बात करते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को विधेयकों पर ही बोलना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह : मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक रास्ता दिखाया। वह रास्ता यह है कि हमारे पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने जो बहस की है उसका मैं समर्थन करता हूं। सवाल यही है कि यह जो सिलेक्ट कमेटी बनी है उसको पूरा अख्तियार दिया जाये कि जो भी सवाल उसके सामने पेश किया जाये उस पर वह विचार कर सके। यह केवल कानून और आईन की बात नहीं है। हमें मुल्क को बढ़ाना है। जनता राज्य हमने स्वीकार कर लिया है, इसलिए जनता राज्य को लाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें। आईन और कानून, वकील और वकालत ने हमारे मुल्क को बरबाद किया है। सभापति जी, आप मुझे क्षमा करें क्योंकि आप भी एक वकील हैं। हम जानते हैं कि आप नाराज होंगे यदि हम यह कहें कि आदिवासी इलाकों में एक भी वकील नहीं होना चाहिए। यदि आदिवासियों को किसी ने दबाया है तो यही आपकी जाति ने दबाया है। हम अनेक कानून बना रहे हैं। मैं आप को बताऊं कि १९४६ में मैं मतदाता ही नहीं था। मुझे सौ मील दूर एक सब-डिवीजनल पदाधिकारी के पास जाना पड़ा। उस ने मुझ से मट्रिक का प्रमाण पत्र मांगा। मैंने २० बरस पहले भारत के बाहर मैट्रिक पास किया था। पदाधिकारी को यह सब बताने पर भी उसने प्रमाणपत्र दिखाने पर जोर दिया। बाद में मुझे याद आया कि मैं सिविल सर्विस में भी था। सब-डिवीजनल पदाधिकारी ने इसका भी साक्ष्य मांगा और कहा कि यह सूची १० दिन तक थाने के सामने टंगी रहेगी। इस लिए मुझे सौ मील फिर वापस जाकर लौटना पड़ा। १० दिन बाद उन महान सत्याग्रहियों ने कहा कि मैं यह सिद्ध करूं कि मैं आदिवासी भी हूं। अपना पैतृक सम्बन्ध सिद्ध करना बड़ा कठिन है। मैं अपने अनुभवों का एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। राज्य परिषद की एक आदिवासी सदस्य भी निर्वाचक सूची में नाम न होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गयी थीं। इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं।

मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम वास्तव में लोकतन्त्र चाहते हैं—और मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है—तो हमें अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। लोकतन्त्र की दिशा में इस अभियान के प्रति हमें पूरी सच्चाई से काम करना चाहिए क्योंकि इस समय हमारे पास एक अत्यन्त ही अच्छा, भला चाहने वला व्यक्ति है। वह बुरी संगत में हो सकता है, और वह है श्री जवाहर लाल नेहरू। अपने आप को धोखा देना और यह कहना अच्छा नहीं कि हम लोकतांत्रिक हैं। जहां तक मैं जानता हूं वह दल लोकतांत्रिक नहीं रहा। मैं जानता हूं कि मैं जब यह कहता हूं तो आप को परेशानी होती ह लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से लोकतांत्रिक होने का एक मात्र यही तरीका है कि हम अधिक उदार हों। मैं समझता हूं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा ही विधान मंडलों में लोकतान्त्रिक

[श्री जवपाल सिंह]

प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि इसे लागू करना कठिन है या यह इस विधेयक में है या नहीं, परन्तु जहां तक मेरा और मेरे सहयोगियों—जिन्हें आप जंगली, गिरिजन या आदिवासी कहते हैं—का प्रश्न है, वयस्क मताधिकार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया देश भर में सबसे अच्छी रही है। शहरी क्षेत्रों के तथाकथित शिक्षित व्यक्ति ही सब गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं। हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम पर हंस सकते हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

मुझे एक बात और कहनी है। मैं केवल उन बातों पर ही नहीं सोचता जो इस महान देश में हैं। इस समय वास्तव में लाखों भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। पड़ोस के देश श्रीलंका का ही प्रश्न लीजिये। वहां मताधिकार का प्रश्न बड़ा ही जटिल हो गया है। दूसरी जगहों पर भी यही बात है। यह मेरी निश्चित राय है कि भारतीयों को, वे चाहे कहीं भी क्यों न हों, जब तक अन्य स्थानों पर मताधिकार नहीं मिलता तब तक उन्हें भारत में ही मताधिकार मिलना चाहिए। अमरीका और ब्रिटेन में ऐसा ही होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अन्त में, मैं चाहता हूं कि इस देश में सच्चा लोकतन्त्र स्थापित हो। मैं थानों में मतदान केन्द्र बनाने की बात पसन्द नहीं करता। मतदान गांवों में ही क्यों नहीं हो सकता? महात्मा गांधी ने हमें बार बार स्मरण कराया है कि भारत ग्राम-प्रधान देश है। हम जो भी प्रणाली निकालें वह गांवों की अर्थ व्यवस्था से ही सम्बन्धित होनी चाहिए। जब भी उनको मत देना हो तो गांव में क्यों न दें और वोट देने के लिए उनको ५, १० और १५ कोस पैदल क्यों चलना पड़े और इसमें होता यह है कि आपके दोस्त जो उधर हैं, वे इनको दारू वगैरह दे करके वहां पहुंचाते हैं। हमें इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि अगर मत देना है तो वे अपने गांव में ही जहां कि पंचायत है, वहां अपना मत क्यों न दें और यह जो आप इलेक्ट्रल रोल्स् बनाते हैं, लाखों रुपये आप खर्च करते हैं उनके छपवाने पर, तो मैं पूछता हूं उनके छपवाने की क्या जरूरत है? क्या गांव में लोगों को मालूम नहीं है कि कौन कितने वर्ष का है और किस को मत देने का हक है और किस को नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर आपको ग्राम पंचायतों पर विश्वास है तो यह जो करोड़ों रुपये आप खर्च कर देते हैं, इलेक्ट्रल रोल्स छपवाने में उसकी क्या जरूरत है? मैं आपसे यही विनय करता हूं कि आप भगवान के लिये, अल्लाह के लिये, यह जो करोड़ों रुपये आप व्यर्थ में फेंक रहे हैं, आप उनको न फेंकिये। गांव में जो चौकीदार होता है वह सब गांव वालों को जानता है और वह यह भी जानता है कि किस को मत देने का हक है और किस को नहीं है और किस की कितनी उम्र है, इत्यादि। मगर खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप को गांव पंचायतों पर विश्वास नहीं है, आप तो पूंजीपतियों की बात रखते हैं जिसके कि थैले में ज्यादा पैसा है और आप लोग चाहते हैं कि यहां पर वे ही लोग आयें। मैं अपने इलाक़े की बात कह रहा हूं जहां कि एलेक्शन के वक्त लोगों को हमारे दोस्तों की तरफ़ से बताया गया कि देखो यह गांधी जी का बक्सा है, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि गांधी जी का नाम मुझे लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वे आपके ही साथी थे जिन्होंने लोगों को कहा कि देखो

यह गांधी जी का बक्सा है, इसमें वोट डालोगे तो वृक्ष भी काट सकोगे और बैलगाड़ी में मुफ्त बैठ सकोगे और भट्टी में जाकर मुफ्त में दारू पी सकोगे, यह सब प्रचार होता है। हमारे दोस्त उधर बैठे हुये हैं, अगर मैं कुछ ग़लत कहता हूं तो वे खड़े होकर इंकार करें।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस दुनिया में इनकी बातों को कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

श्री जयपाल सिंह : मैं यही कहना चाहता था कि ऐसा क़ानून बनाइये कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे वह पोलिंग एजेंट हो, एजेंट हो, या उनके वर्कर्स हों, अगर ऐसी ऐसी बातें कहें तो उनको कालेपानी भेजा जाना चाहिये।

यह जो एलेक्शन एक्सपेंसेज़ की बात उठती है, तो मैं भी जानता हूं कि क्या होता है और आप भी बख़ूबी उस को जानते हैं। मेरा तो इस सम्बन्ध में कहना यही है कि जनता राज्य में टैक्निकैलिटीज़ नहीं होनी चाहियें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एलेक्टोरल रोल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझता और अगर आप गांवों में ही मत देने का प्रबन्ध करें तो करोड़ों रुपया आपका बच जायेगा। आपको पोलिंग एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सरपंच वहां पर हैं, वही सब लोगों के सामने जैसा कि स्वीटज़रलैंड के कैंटौन्स में हुआ करता है, आप खुद जानते हैं कि वहां पर हाथ उठा करके फैसला होता है, इतनी हिम्मत होती है कि सब के सामने वह अपनी राय प्रकट कर देते हैं। हमारे दोस्त जो यहां पर बैलेट की बात करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि यह बैलेट क्या चीज़ है और उसको आप गुप्त क्यों रखते हैं ? अगर मैं आप को चाहता हूं तो क्यों नहीं मैं सब के सामने हाथ उठा कर दुनिया को बतला दूं कि मैं आपको चाहता हूं। मेरे विचार में असली जनता राज्य वही है।

सभापति महोदय, मुझे कहना तो बहुत कुछ था, मैं ने हिन्दी में अपनी बात कुछ कहने की कोशिश की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं निर्वाचन विधि की कुछ अवशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रवर समिति पहले जिस विधेयक पर विचार कर चुकी है, उस पर किये गये श्रम और विचार-विमर्श का क्या हुआ ? उस समय यह कह दिया गया कि यह विधेयक त्रावनकोर-कोचीन के साधारण निर्वाचनों के पहले ही पारित करना है। इसी लिये उसका सम्बन्ध निर्वाचन विधि के केवल थोड़े से ही अंशों से है। लेकिन इस सब विचार निनिमय के होते हुये भी सरकार ने इस विधेयक में उन सब परिणामों का उल्लेख तक नहीं किया जिन पर वह इन साधारण निर्वाचनों के फलस्वरूप पहुंची थी। मैं विशेष रूप से निर्वाचनों के कार्यक्रम का उल्लेख करना चाहता हूं। नामनिर्देशित-पत्रों के ग़लत ढंग से स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के कारण ही सब से अधिक निर्वाचन याचिकायें आयीं। इसीलिये वे ऐसा तरीक़ा ढूंढना चाहते थे जिस से पूरे निर्वाचन को ही रद्द कर देना आवश्यक न हो। लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि प्रवर समिति ने काफी विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से—और मैं समझता हूं कि उन पर सरकार की सहमति भी थी—जिस तरीक़े से सिफारिश की, इस विधेयक में उसकी बिल्कुल अवहेलना की गयी है। इस लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति इस प्रश्न पर भी विचार करे। जो विचार पहले प्रगट किये जा चुके हैं उन पर पुनः विचार होना चाहिये और ऐसे खंड इस विधेयक में जोड़ देने

[श्री राघवाचारी]

चाहियें जिनसे इन विषयों के शीघ्र निर्णय की व्यवस्था हो सके ।

वर्तमान विधेयक की व्यवस्था के अनुसार, वे निर्वाचन के खिचाव की अवधि ४२ दिन से घटा कर लगभग ३० दिन कर देना चाहते हैं । लेकिन मैं समझता हूं इस में एक या दो सप्ताह की वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है, इस लिये निवेदन है कि प्रवर समिति इस पर भी विचार करे ।

मैं दो या तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही बोलूंगा । निर्वाचन-व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही लीजिये । यह चीज़ पहली बार ही लागू की जा रही है । मेरा अनुभव, हो सकता है अधिक न हो, परन्तु इन पिछले कुछ वर्षों में सरकार का भी यह अनुभव रहा है कि यह सीमा अत्यन्त अव्यावहारिक, असन्तोषप्रद और, अगर कहा जाये तो, अवास्तविक रही है । हम सभी जानते हैं कि यह व्यय कैसे होता है । उच्चतम न्यायालय तक ने कई मामलों में इस बात का उल्लेख किया है । अगर कोई अभ्यर्थी किसी व्यक्ति को नौकर रखता है, तो कहा जाता है कि यह उसके निर्वाचन के व्यय में शामिल है । परन्तु यदि उसका कोई सम्बन्धी किसी आदमी को नौकर रखता है तो वह उस के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा । इस विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि जिन दलों को निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है उनके द्वारा किया गया खर्च चुनाव खर्च नहीं समझा जायेगा । विधि कार्य मंत्री का कहना है कि यदि कोई दल संसद् के लिये एक उम्मीदवार और राज्य विधान सभा के लिए चार उम्मीदवारों पर ५० हज़ार रुपया खर्च करता है तो यह हिसाब लगाना बड़ा कठिन है कि किस पर कितना खर्च हुआ । इसलिए दलों द्वारा किया गया खर्च चुनाव खर्च में शामिल नहीं समझना चाहिए । परन्तु इस बात से स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रति भेदभाव होगा । जिस दल के हाथ में सत्ता है वह अपने उम्मीदवारों के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर सकेगा । परन्तु स्वतंत्र उम्मीदवार उनके मुकाबले में उतना धन खर्च नहीं कर सकते इस से तो यह अच्छा होगा कि हम ऐसा कानून बनाएं जिसके आधीन लोग केवल मान्यताप्राप्त दलों की ओर से ही चुनाव में खड़े हो सकें । मेरा निवेदन है कि चुनाव के खर्च की सीमा हटा दी जाये और उसके साथ ही हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी । सरकार भी यह महसूस करती है कि खर्च का हिसाब किसी विशेष रूप में न हो बल्कि हिसाब मात्र दिया जाये । आप जानते हैं कि गलत हिसाब दिये जाते हैं तो फिर ऐसी बात रखी ही क्यों जाये जिस से बेइमानी करने का बढ़ावा मिले ।

हिसाब न देने से जो अनर्हता होती है उसी की बात लीजिये । सैंकड़ों उम्मीदवारों ने हिसाब नहीं दिया और निर्वाचन आयुक्त ने उन्हें अनर्ह ठहराया । कुछ लोगों ने प्रार्थनापत्र दिये तो गजट में एक अधिसूचना निकाल कर वह अनर्हता दूर करनी पड़ी । इस लिए अब यह व्यवस्था की गयी है कि जो बैध रूप से नाम निर्देशित किए जायें केवल वे ही हिसाब दें । इस का अर्थ यह हुआ कि अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि इस सम्बन्ध में लगाए गये प्रतिबन्ध व्यहार्य नहीं है । हिसाब में कोई गलती हो जाये तो उस का यह फल होता है कि आप संसद् या विधान सभा की सदस्यता से हाथ धो बैठते हैं । यह बहुत बड़ा दण्ड है । इस लिए हमें चुनाव के खर्च आदि के सम्बन्ध में ये उपबन्ध नहीं रखने चाहिये । एक अच्छी बात इस

विधेयक में यह है कि चुनाव के खर्च का हिसाब न देने या गलत हिसाब देने से जो अनर्हता होती है उसे हटाने की शक्ति चुनाव आयुक्त को दी गयी है।

सरकार का अनुभव यह रहा है कि निर्वाचन याचिकाओं को निबटाने में चुनाव सम्बन्धी निर्वाचन अधिकरणों के कारण देरी होती रही है। सरकार ने इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं दी कि यह देरी इन अधिकरणों में तीसरा सदस्य---जोकि कोई गैर सरकारी व्यक्ति होता था---होने के कारण होती है अथवा नहीं। क्या देरी इस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के कारण होती है या कि अधिकरण के दूसरे दो सदस्यों—जिन में एक ज़िला न्यायाधीश और दूसरा कोई निवृत्त न्यायाधीश होता था—की अनुपस्थिति के कारण ? विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि अधिकरण में दो ही सदस्य होंगे और वे दोनों जिला न्यायाधीश होंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार आप तीसरे व्यक्ति को हटाना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा यही है कि अधिकरण स्वतंत्र न हो तो अच्छा यह होगा कि याचिका की जांच ज़िला न्यायाधीश करे और उसकी अपील उच्च न्यायालय तक हो सके। इस से सारी समस्याएं हल हो जायेंगी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि संविधान के अधीन उच्चतम और उच्च न्यायालय इन मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हम जानते हैं कि ये उत्प्रेषण लेख केवल उन मामलों में दिए जाते हैं जहां क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग न हुआ हो। इन अधिकरणों का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है। इस लिए हमें इस से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों में यह संशोधन करना चाहिए कि अपीलें भी की जा सकें।

सरकारी कर्मचारियों और चुनाव में उनके द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में जो संशोधन किया गया है उस के अनुसार इन लोगों को चुनाव में प्रचार करने की अनुमति है। धारा १२३ में पुरानी व्याख्या यह थी कि पटवारी आदि विमुक्त नहीं किये जायेंगे। अब राज्य सरकारें उन्हें विमुक्त कर सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकारें ऐसा करेंगी ही परन्तु सवाल यह है कि कानून में ऐसी कोई चीज नहीं जो राज्य सरकारों को ऐसा करने से रोक सके। यह बड़े खेद की बात है कि सरकारी कर्मचारीयों को चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी जा रही है। मान लीजिए कि किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नि चुनाव में खड़ी होती है। वह अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखता है और यह प्रभाव काम करेगा। आप पूछ सकते हैं कि क्या यह बात प्रमाणित हुई है ? मैं कहता हूं कि मेरे जिले में १०० हत्याएं होती हैं उनमें से ६० प्रमाणित नहीं होतीं तो इस का यह अर्थ नहीं है कि हत्याऐं होती ही नहीं हैं। तो ऐसी बात साबित करना कठिन होता है यदि हम ऐसा उपबन्ध करें कि जहां सरकारी कर्मचारी काम करता हो वहां उस का कोई सम्बन्धी चुनाव में खड़ा न हो तो इस पर यह आपत्ति की जा सकती है कि यह संविधान के विरूद्ध है। इसलिए हमें सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में उस के सम्बन्धियों को भी शामिल कर लेना चाहिए।

जहां तक चुनाव के फल का सम्बन्ध है उस में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। चुनाव फल की घोषणा होते ही निर्वाचित सदस्य माना जाता है। इस सम्बन्ध में पहले जो कठिनाई थी, वह दूर हो गई है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। जहां तक निर्वाचन याचिका के फल का सम्बन्ध है, उसके लिये अब अधिसूचना की आवश्यकता है। परन्तु मान लीजिये कि याचिका के फलस्वरूप कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता आप उसे हटा देते हैं और नया चुनाव करा

[श्री राघवाचारी]

कर नया सदस्य लाते हैं । इसी बीच पुराने सदस्य की अपील उच्चतम न्यायालय में १।। वर्ष बाद स्वीकार हो जाती है । इससे बड़ी असुविधा होगी । इस लिये मेरा सुझाव यह है कि याचिका के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के लिये एक महीना या कोई और अवधि निर्धारित कर दीजिये जिस से कि यह असुविधा न हो ।

चुनाव चिन्हों के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जब दो दल मिल कर चुनाव लड़ते हैं तो जिस दल को निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव चिन्ह नहीं दे रखा है, उसे भी मिलना चाहिये ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि इन विधेयकों के बहुत से उपबन्ध आवश्यक हैं और इन से चुनाव सुविधापूर्वक हो सकेंगे । मेरा निवेदन यह है कि मैं ने जो सुझाव दिये हैं उन पर सावधानी और गम्भीरता से विचार किया जाये ।

श्री के० एल० मोरे (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय मंत्री ने चुनावों को सुविधापूर्ण और सरल बनाने के लिये ये दो विधेयक रखे हैं, इनके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

मैं प्रवर समिति का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दूसरे विधेयक के खण्ड १४ में यह उपबन्ध किया गया है कि रक्षित स्थानों के लिये चुनाव लड़ने वालों को ऐसी घोषणा नहीं करनी पड़ेगी । मेरे माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह ने अभी बताया कि उन्हें अपनी जाति का प्रमाण देने के लिये कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इस खण्ड के स्वीकार होने पर उन्हें ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी ।

एक से अधिक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो नया परन्तुक जोड़ा गया है वह बहुत अच्छी बात है । इस में कहा गया है कि यदि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य स्थान पर चुने गये उम्मीदवार के चुनाव पर आपत्ति की जाये और उसका चुनाव अवैध ठहराया जाये तो रक्षित स्थान पर चुने गये सदस्य का चुनाव अवैध नहीं ठहराया जायेगा । परन्तु यह तो तभी होगा जब कि उस क्षेत्र में चुनाव बिना किसी विरोध के हो गया हो । यदि ऐसे चुनाव में मतदान हुआ हो और सामान्य स्थान पर चुने गये सदस्य का चुनाव अवैध ठहराया जाये तो रक्षित स्थान वाले सदस्य के चुनाव पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा । कठिनाई यह है कि दो सदस्यों वाले चुनाव क्षेत्र में यह पता नहीं चल सकता कि भ्रष्टाचार या अनुचित प्रभाव के लिये कौन सदस्य ज़िम्मेदार है और किस का चुनाव अवैध ठहराया जाये । इस लिये प्रवर समिति को इस प्रश्न पर विचार कर के धारा १०० में समुचित संशोधन करना चाहिये ।

निर्वाचन अधिकरण के सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री राघवाचारी से सहमत हूं । माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में नया उपबन्ध करने का औचित्य नहीं बताया है । यह तीसरे सदस्य को हटाने का कारण क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : ताकि देरी न हो ।

श्री के० एल० मोरे : देरी को दूर करने के और भी उपाय हैं । उस के लिये कालावधि निर्धारित की जा सकती है । जिस में कि मामले को निबटाया जाये । परन्तु यह नहीं बताया गया कि देरी दूसरे सदस्य के कारण होती है या तीसरे सदस्य के कारण ।

श्री पाटस्कर : हमारा अनुभव यहां रहा है । कई बार ये मामले इसीलिये रुके हैं कि

ग़ैर सरकारी सदस्य को और काम भी करना था । इसलिये काम जल्दी नहीं हुआ ।

श्री के० एल० मोरे : देरी के और भी कारण हो सकते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं कि देरी केवल एडवोकेटों के कारण ही होती है ।

श्री पाटस्कर : एडवोकेटों के कारण ही नहीं वरन् रिटायर हुये ज़िला न्यायाधीशों के कारण भी होती है । जो सरकारी कर्मचारी नहीं उन की प्रवृत्ति ऐसी होती ही है ।

श्री एस० एस० मोरे : जो ज़िला न्यायाधीश इन न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष होते हैं वे भी चुनाव सम्बन्धी मामलों की अपेक्षा अपने सामान्य काम की ओर अधिक ध्यान देते हैं ।

श्री के० एल० मोरे : मेरा निवेदन यह है कि देरी न हो इस का प्रबन्ध करने के लिये इन अधिकरणों में उपयुक्त लोगों को नियुक्त किया जाये परन्तु उन की संख्या घटाने से तो कुछ नहीं बनेगा । इस में दो सदस्य हों या तीन, उस से कोई भेद नहीं पड़ता ।

श्री पाटस्कर : इस के विपरीत, श्री राघवाचारी का यह सुझाव अधिक विचारणीय है कि एक ज़िला न्यायाधीश ही इन याचिकाओं के लिये नियुक्त किया जाये और उस के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में हो सके ।

श्री के० एल० मोरे : इस के बाद गांवों के उन अधिकारियों का प्रश्न है जिन्हें इस विधेयक के अधीन चुनावों में भाग न लेने के दायित्व से मुक्त किया जा सकेगा । मेरा निवेदन है कि नियम सभी अधिकारियों के लिये एक सा होना चाहिये चाहे वे बड़े हों चाहे छोटे । मेरे विचार में किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ।

निर्वाचक नामावलियों के सम्बन्ध में पेप्सू के एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं के नाम लिखे जाने के सम्बन्ध में जो गड़बड़ी हुई उस में कांग्रेस या अन्य दलों का हाथ था । मेरे विचार में यह आरोप निराधार है । हमें अनुभव है कि हरिजनों के नाम निर्वाचक नामावलियों में न लिखे जाने का कारण यह था कि वे लोग कुछ जानते बूझते नहीं हैं । हमें चाहिये कि उन्हें मताधिकार के सम्बन्ध में बतायें ।

माननीय मंत्री चाहते हैं कि चुनाव की अवधि घटा दी जाये परन्तु मेरा निवेदन है कि १२ या १५ दिन घटाने से कुछ नहीं बनेगा । और फिर इस से यह कठिनाई उत्पन्न होगी कि उम्मीदवार मतदाताओं के पास जा कर अपने विचार उनके सामने नहीं रख सकेंगे । इस के लिये पर्याप्त समय उन के पास नहीं रहेगा ।

मेरा कहना यह है कि चुनाव सम्बन्धी क़ानून का उद्देश्य यह होना चाहिये कि मतदाता स्वतन्त्र रूप से और बिना किसी अनुचित दबाव में आये वोट दे सकें । इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अनुचित रूप से प्रभाव न डाला जा सके और भ्रष्टाचार बन्द हो । यदि ऐसा हो जाये तो चुनाव का हिसाब किताब देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । यदि मतदाताओं को पूर्णतः स्वतन्त्र बना दिया जाय तो ऐसे उपबन्धों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आज हम जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक के ऊपर विचार कर रहे हैं । मुझे इस में जो 'ग' भाग के राज्य हैं, उनके सम्बन्ध में एक बात कहनी है । उसके बाद मुझे जो सुझाव आपको देने हैं, वह मैं बाद में दूंगा ।

[श्री नवल प्रभाकर]

"ग" भाग के राज्यों के सम्बन्ध में जो कि गवर्नमेंट आफ़ पार्ट सी स्टेट्स ऐक्ट, १९५१ है, उसके अन्दर पार्ट सेकेंड के शेड्यूल ३ में सब-सेक्शन ३ में जो "ए" भाग है, इसमें लिखा है कि अनुसूचित जातियों के लिये, तीसरे स्तम्भ में उल्लिखित संख्या के समान स्थान सुरक्षित होंगे और इसमें अन्त में १७वें पृष्ठ के ऊपर जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें दिल्ली के लिये ६ सीटें एलाट की गई हैं । मैं माननीय मंत्री की सेवा में निवेदन किया चाहता हूं कि जिस समय यह ६ सीटें एलाट की गई थीं, उस समय अभाग्यवश दिल्ली की जो जनसंख्या थी १९५१ के अनुसार, वह २ लाख, ८ हज़ारे समझी जाती थी, किन्तु वस्तुतः दिल्ली की जो जनसंख्या थी, अनुसूचित जाति की, वह उससे अधिक थी । शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की सन् १९५३ की रिपोर्ट के अन्दर वह कहते हैं कि दिल्ली के अन्दर जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनकी लिस्ट पेप्सू और पंजाब की लिस्ट होने की वजह से यहां के शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जनसंख्या कम दिखलाई गई और जैसा कि अभी पहले दातार साहब ने इस रिपोर्ट पर बोलते हुये कहा था कि १९५१ की अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या सही नहीं थी । उसको दुबारा एस्टिमेट करने से ज्यादा आई, १०३ पृष्ठ के ऊपर वे ऐसा लिखते हैं । मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता । सरकार ने जो एस्टिमेट किया तो उसके अनुसार यहां के अनुसूचित जाति की तादाद २ लाख ६८ हज़ार होती है । मैं माननीय मंत्री से कहा चाहता हूं कि अजमेर के अन्दर ८० हज़ार ९७४ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनकी आबादी इतनी है । उनको ६ सीटें दी गई हैं । अजमेर की आबादी लगभग ६ लाख है या ६ लाख से कुछ ज्यादा होगी । दिल्ली की आबादी १७ लाख ४४ हज़ार के आसपास है और जब कि यहां २ लाख ६८ हज़ार अनुसूचित जाति के लोगों की तादाद है तो उस हिसाब से अजमेर के अन्दर साधारण लोगों के लिये जो एक सीट है, वह २० हज़ार की जनसंख्या के ऊपर पड़ती है और उसमें जो सुरक्षित सीटें हैं वह तक़रीबन साढ़े तेरह हज़ार के ऊपर पड़ती है, यह वहां पर विशेष कृपा करके दी गई है किन्तु आप दिल्ली में आइये, दिल्ली के अन्दर जो साधारण सीटें हैं, उनका अगर आप हिसाब लगायें तो ३४ हज़ार २५० की आबादी के ऊपर एक सीट पड़ती है । अब अगर जो १९५१ के आंकड़े जैसे थे, उनको ही हम हिसाब लगा कर देखें और जो २ लाख ८ हज़ार हम मानें, तो ज़ाहिर है कि उस ज़माने में उनके साथ न्याय नहीं किया गया, तब उस अवस्था के अन्दर ३४ हज़ार ६६६ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऊपर एक सीट दी गई थी जब कि साधारण लोगों को ३४ हज़ार २५० के ऊपर सीट दी गई लेकिन अब हिसाब लगाने से यह संख्या २ लाख ६८ हज़ार हो गई है । जैसा कि इसमें कहा गया है और गवर्नमेंट मान चुकी है, तो उस हिसाब से इसमें जो शेड्यूल ६ में दिया हुआ है, मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शेड्यूल ६ के अन्दर जो अंक दिये हैं उनको बदल कर के २ लाख ६८ हज़ार के हिसाब से निर्णय करें । अगर आठ बनती हैं तो आठ सीटें दे दीजिये और अगर नौ बनती हैं तो नौ दे दीजिये । प्रवर समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी मैं प्रार्थना किया चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और दिल्ली के लिये जो एक्ट में अंक दिये हुये हैं उनको हटा कर के उसकी जनसंख्या पर अगर आठ सीटें बनती हैं तो आठ दें और अगर नौ बनती हैं तो नौ दें ।

इसके बाद निर्वाचन सम्बन्धी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं । लोक-सभा का जो

निर्वाचन क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा होता है और उस में एक व्यक्ति जो कि उम्मीदवार होता है और खड़ा होता है उसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि लोक-सभा को जो एक कान्स्टीटुएन्सी है उसमें सब जगह पर एक ही दिन मतदान होना चाहिये और एक ही दिन में मतदान समाप्त हो जाना चाहिये । कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक एक हफ्ते तक मतदान चलता रहता है, किसी दिन ५ पोलिंग बूथ पर मतदान हो गया, दूसरे रोज़ २० पर हो गया तो किसी रोज़ १५ का होता है और इससे बहुत परेशानी होती है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह का प्राविज़न करें कि लोक-सभा का जो एक निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जितने पोलिंग बूथ पड़ते हैं, उन सब पर एक ही दिन में मतदान समाप्त हो जाना चाहिये ।

हमारी दिल्ली में जो म्युनिसिपल कमेटी के एलेक्शन होते हैं उन में ज्यों ही चुनाव समाप्त होता है मत गणना कर ली जाती है । मैं चाहूंगा कि आम चुनावों में भी जैसे ही चुनाव समाप्त हो वहां पर जो उम्मीदवारों के एजेन्ट हों उन के सामने मत पत्र गिन लिये जायें और गिनने के बाद उनके हस्ताक्षर करा लिये जायें कि मतों की इतनी संख्या होती है ।

बोगस वोट्स के बारे में मेरा यह कहना है कि चुनाव में बोगस वोट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं । इसके लिये कुछ न कुछ रोक थाम जरूर करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके तो एक परिचय पत्र या आइडेन्टिटी कार्ड जैसी कोई चीज़ वोटर्स को दी जाये । उस से यह फायदा होगा कि जो कैन्डिडेट्स होते हैं उन को जो पर्चियां बांटनी पड़ती हैं उस से वह बच जायेंगे । उस परिचय पत्र में आदमी की वोटर संख्या दी होगी और उस से सम्बन्धित अन्य चीज़ें भी होंगी जैसे दस्तखत या अंगूठा निशान, फोटो यदि हो सके तो और भी अच्छा है । इस सम्बन्ध में आप को अवश्य कुछ करना चाहिये ।

आप ने निशान लगाने की बात कही है । लेकिन कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं कि वह निशान भी मिटा लेते हैं । इस के अलावा यह भी होता है कि दूसरे राज्यों से आदमी आकर के मत दान कर जाते हैं फिर १५ या २० दिन बाद जब वह निशान छूट जाता है तो अपने यहां जाकर वोट दे देते हैं ।

मेरे यहां पिछले चुनाव में यह देखा गया कि जो चौपालें देहात में होती हैं उन में प्रायः स्त्रियां नहीं जातीं जिस से बेचारे उम्मीदवार को बड़ी परेशानी हो जाती है । मैं ने जाकर प्रार्थना की लेकिन स्त्रियों ने इन्कार कर दिया कि नहीं हम चौपाल में नहीं जायेंगी । इस लिये ऐसी जगह पर पोलिंग बूथ न बनाये जायें जो कि चौपाल हों । ऐसी जगहों पर बनायें जायें जहां पर कि जन साधारण जा सकें ।

श्री पाटस्कर : चौपाल क्या होती है ?

श्री जयसिंह प्रभाकर : चौपाल कम्यूनिटी हाल जैसी चीज होती है । आप उस को पंचायत घर भी कह सकते हैं । हमारे यहां चौपाल कहते हैं, पंजाब में जो हरियाना का इलाका है वहां भी चौपाल कहा जाता है । पेप्सू में भी चौपाल ही कहते हैं । पेप्सू में अभी जो एलेक्शन हुए उस में चौपालों के अन्दर स्त्रियां नहीं गईं वोट देने के लिये, तो आगे से जो पोलिंग बूथ्स हों वह चौपालों में न रक्खे जायें । कोई स्कूल हों, या किसी ऐसी दूसरी जगहों में उन को रखा जा सकता है । और यदि और कहीं प्रबन्ध न

[श्री नवल प्रभाकर]

हो सके तो टेन्ट लगा कर ही इस का इन्तजाम किया जाये ।

इस के अलावा एलेक्शनों में जो भ्रष्टाचार होता है उस की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वास्तव में हमारे सारे देश में ही दारुबन्दी होनी चाहिये किन्तु मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से अपील करन चाहता हूं कि जिस दिन नामिनेशन पेपर भरे जायें और जब तक मतदान समाप्त न हो जाये इस बीच में सारे देश के अन्दर शराबबन्दी होनी चाहिये ताकि जो, बडे बड़े पसे वाले हैं जो पूंजीपति लोग हैं अथवा राजे लोग हैं जो कि एलेक्शन में खडे होते हैं और चुनाव के लिये अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वह अपने पैसे का दुरुपयोग न कर सकें और गरीब लोगों को शराब आदि दे कर अपने पक्ष में वोट प्राप्त करने की कोशिश न कर सकें । यह तो कम से कम सरकार के बस की बात है । इस लिए मैं सरकार से ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन नामिनेशन पेपर फायल किया जाय उस दिन से ले कर जब तक मतदान खत्म न हो जाय तब तक के लिये तमाम देश के अन्दर शराबबन्दी कर दी जाये ।

यह कुछ सुझाव हैं जो मैं आप के सामने रक्खे हैं । मैं समझता हूं कि प्रवर समिति उन के ऊपर विचार करेगी और स्वीकार कर देश को फायदा पहुंचायेगी ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं इन दोनों विधेयकों — विशेषकर १९५१ के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने के लिये रखे गये विधेयक का — स्वागत करता हूं जिस से चुनाव की प्रक्रिया बहुत सीधी सादी बन जायेगी । इस में अधिनियम की धार ३३ के स्थान में नयी धारा रखी जा रही है । इस में नामनिर्देशन की प्रक्रिया को सरल बना दिय गया है, समर्थक को हटा दिया गया है और चुनाव एजेंट की नियुक्ति के बारे में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं रही है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रस्तावक भी नहीं होना चाहिये । श्री डो० सी० शर्मा का कहना है कि प्रस्तावक भी उम्मीदवारों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं कठिनाई यही हो सकती है कि वह उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए पैसा मांगता हो । परन्तु ऐसी दशा में तो इस बात का मतलब यह हुआ कि एक भी इमानदार व्यक्ति उम्मीदवार का समर्थक नहीं हैं । ऐसी हालत में तो उम्मीदवार को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिये । परन्तु प्रस्तावक के होने का अर्थ यह है कि उम्मीदवार का समर्थन करने वाला कोई है तो सही ।

सभापति महोदय : माननी सदस्य को पता है कि निर्वाचन क्षेत्र सूची नें सदस्य का नाम गलत दिया गया हो तो नामनिर्देशन ही अवैध हो जाता है ।

श्री डाभी : तो इस सम्बन्ध में हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि सूचियां ठीक हों ।

श्री पाटस्कर : सभी की इच्छा यह है कि नामनिर्देशन के समय यथासम्भव कम से कम बाधाएं हों ।

श्री डाभी : प्रस्तावक का नाम तो होना ही चाहिए ।

धारा ३६ की उपधारा (२) में वे पांच बातें बताई गयी हैं जिन के आधार पर नामनिर्देशन पत्र रद्द किये जा सकते हैं । वर्तमान कानून के अन्तर्गत कोई सदस्य चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होता यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अन्तर्गत उस में कोई अर्हताए हों । अब तो चुनाव अधिकारी ही इस आधार पर

नामनिर्देशन पत्र रद्द कर सकता है कि उम्मीदवार कोई लाभ-पद धारण कर रहा है ।

इस बात के दो पहलू हैं । पहिला यह कि इस से निर्वाचन पदाधिकरी इन कार्यों को तेजी से निपटा सकता है । दूसरे इससे निर्वाचन याचिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि पिछले साधारण निर्चाचनों में ३८८ में से ११६ याचिकायें निर्वाचन पत्रों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में थीं । अतः यदि यह सच है तो निर्वाचन पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।

अब मैं खंड १२ को लेता हूं । उम्मीदवार के नाम के वापस लेने की अन्तिम तारीख तथा निर्वाचन के प्रारम्भ होने के बीच ३० दिन का समय होना चाहिये । अब इस अवधि को घटा कर १० दिन कर दिया गया है । लेकिन इससे तब तक कुछ लाभ न होगा जब तक कि निर्वाचन में होने वाले समस्त व्यय को कम न किया जाये ।

श्री पाटस्कर : हम अधिकतम व्यय को कम करने के नियम विहित कह रहे हैं ।

श्री डाभी : मेरा सुझाव है कि विधेयक में ही नियमों का उपबन्ध होना चाहिए जिस से प्रवर समिति उस पर विचार कर सके । अधिकतम व्यय को पर्याप्त मात्रा में कम करना चाहिए । यह भी कहा जाता है कि खर्च का जो विवरण भेजा जाता है वह सही नहीं होता । इस से कहीं अधिक व्यय किया जाता है । इसके लिये सरकार के गुप्तचर विभाग को चुनावों के समय सतर्क रहना चाहिए तथा इस व्यय पर नज़र रखनी चाहिये ।

अब मैं खंड १९ को लेता हूं । संशोधित धारा ३८(२) में लिखा है कि मतदाताओं की सूची प्रादेशिक भाषाओं में वर्णानुक्रम से होगी किन्तु निर्वाचन पदाधिकारी की सूची अंग्रेज़ी में प्रकाशित होती है इस से वर्णानुक्रम भंग हो जाता है । इस मामले में कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिये ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक जो कि १९५० के अधिनियम का संशोधन करता है की धारा २३ में यह उल्लिखित है कि मतदाता सूची प्रति वर्ष बनाई जायेगी लेकिन प्रस्तावित नई धारा में कहा गया है कि इस में प्रति वर्ष संशोधन और परिवर्तन होते रहेंगे क्योंकि नई सूचियां बनाने में बहुत व्यय होता है । कुछ भी हो मतदाता सूची सही होनी चाहिये । प्रायः सूचियों में बहुत भद्दी त्रुटियां होती हैं । ऐसी अशुद्धियां नहीं होनी चाहियें । सरकार को राज्य सरकारों के नाम ऐसे आदेश जारी करने चाहियें कि मतदाता सूचियों में कोई ऐसी अशुद्धियां न रहें जिस से कोई व्यक्ति मतदान करने से वंचित रह जाये ।

मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ

सभापति महोदय : श्री एम० एल० द्विवेदी मशीन औज़ार प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा को प्रारम्भ करेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : (जिला हमीरपुर) : जैसा कि अभी आपने बतलाया, मैं मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ के विषय में प्रश्न संख्या ९९१ और जलहाली की मशीन टूल फ़ैक्टरी के सम्बन्ध में अल्पसूचना प्रश्न संख्या ७ के उत्तर से जो बातें उत्पन्न होती हैं, उनके सम्बन्ध में थोड़ा सा वाद-विवाद इस सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

इन प्रश्नों के उत्तर में सरकार की ओर से यह बतलाया गया था कि अम्बरनाथ और

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

जलहाली की फैक्टरीज़ के सम्बन्ध में जो आलोचना मशीन टूल कला के विशेषज्ञ श्री जे० डी० स्केफ़ ने की है, उस में कहां तक तथ्य है, इस बात के आधार पर सरकार ने अपनी नीति निर्धारित की है। इन प्रश्नों के उत्तर में जो बयान सदन-पटल पर रखे गये हैं, उन से ज़ाहिर होता है कि सरकार ने श्री स्केफ़ की रिपोर्ट को कोई मान्यता नहीं दी, क्योंकि उन में यह बतलाया गया है कि इस नवजात उद्योग के प्रति श्री स्केफ़ के विचार ईर्ष्या और द्वेष के भावों से भरे हुए थे। इस कारण यह पहले से ही सरकार को ज्ञात था कि श्री स्केफ़ इन फैक्टरियों के विरोध में अपना मत देंगे। श्री स्केफ़ भारत में आए भारत सरकार के बुलाने पर। इन को कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत यहां आने का निमंत्रण दिया गया था। यह बात बड़ी रहस्यजनक है कि जब सरकार को ज्ञात था कि भारतीय मशीन टूल उद्योग के श्री स्केफ़ के विचार ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, फिर भी ऐसे शख्स के हाथ में उस ने इस उद्योग की जांच पड़ताल करने का काम सौंप दिया।

इस के अलावा रोल्स-रायस के प्रतिनिधि भी यहां आए और उनकी रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथों में है। सदन को अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि उन लोगों ने इस सम्बन्ध में क्या विचार प्रकट किये हैं। इस बारे में भी प्रकाश डालना चाहिये। सदन को मालूम होना चाहिये कि क्या श्री स्केफ़ के ही विचार इस प्रकार के हैं या दूसरों के भी।

इस के साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान पब्लिक एकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं यह चौदहवीं रिपोर्ट है--, जिस में इस उद्योग के सम्बन्ध में बहुत सी महत्वपर्ण बातें दी गई हैं। इस के अतिरिक्त १९५४ की डिफेंस आडिट रिपोर्ट में भी बहुत से तथ्य दिये गये हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ओर्लीकन्ज से जो करार हुआ था, उस में यह निश्चय किया गया था कि अठारह महीने में फैक्टरी का काम शुरू हो जायेगा और २४ महीने में यह उद्योग पूरी तरह से कार्य करने लग जायेगा यानी इसका उत्पादन अपनी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक होने लग जायेगा, लेकिन जो काम १९५० में चालू होना चाहिए था और १९५१ में जिसका पूरा उत्पादन आरम्भ हो जाना चाहिए था, उसका उद्घाटन १९५३ में होता है और उद्घाटन होने के बाद भी केवल थोड़ा सा सामान बनने के अतिरित वहां पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। मान लीजिए कि श्री स्केफ के विचार ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, परन्तु क्या संसद् की प्रतिनिधि समिति, लोक लेखा समिति, के विचार भी द्वेष से भरे हुए हैं। क्या रोल्स-रायस के प्रतिनिधियों के विचार भी द्वेष से भरे हुए हैं? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री हम को बतलायेंगे कि इस ओर्लीकन्ज़ कम्पनी के एन्टेसीडेंट्स कैसे थे, उन्हों ने कहां कहां काम किया। और कहां कहां अच्छी नीयत से और ठीक तरह काम किया। जिन माननीय सदस्यों को इस विषय में ज्यादा जानकारी है, वे अन्य प्रश्न उठायेंगे, लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि करार के अनुसार इस कारखाने के खोलने में निश्चित अवधि से दो वर्ष का विलम्ब हुआ और अभी तक इस में केवल दो प्रकार के टूल ग्राइन्डर, मोटराइज्ड ग्राइन्डर, पालिशिंग मशीन और मोनो-ड्राइवर ही बन पाये हैं। पूर्ण उत्पादन के क्षेत्र में उतरना तो दूर, अभी

तक आंशिक उत्पादन की परिधि के बाहर भी कारखाना नहीं जा सका है। इस से स्पष्ट जान पड़ता है कि कारखाने की प्रगति संतोषजनक होने से अत्यन्त दूर है।

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का सदस्य होने की हैसियत से मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बारे में सब-कमेटी बनाई गई थी, जिस के सदस्य हमारे लीगल एफेयर्ज के मंत्री, श्री पाटस्कर, श्री यू० सी० पटनायक, और मैं थे। हम तीनों आदमी अम्बरनाथ गये थे और वहां हम ने इस फैक्टरी की पूरी देख-भाल की थी और उस के दौरान में हमें बतलाया गया कि जो आदमी विशेषज्ञ की हैसियत से स्विटज़रलैंड से बुलाये गये थे, उन्हों ने कहा है कि हिन्दुस्तान में आ कर हमें इस बात का अच्छा मौका मिला है कि हम मशीन टूल और डिजाइनिंग का काम सीख सकें। जो लोग वास्तव में इस काम को जानते ही नहीं थे, उन को विशेषज्ञों के रूप में हमारे ऊपर थोपा गया और उन को बड़ी ऊंची तनखाहें दी गईं। जरा विचार कीजिये कि इस तरह से कहां तक इस उद्योग की प्रगति हो सकती है और उस की सफलता मिल सकती है।

सरकार के वक्तव्य में यह बताया गया कि सरकार का ध्यान विशेषतौर पर इस बात की ओर है कि हमारे यहां से जो लोग स्विटजरलैंड जायें, वे विशेषज्ञता में ट्रेनिंग पा सकें। किन्तु अभी तक सिर्फ अठारह आदमियों को शिक्षा मिली है और उन का चुनाव इस प्रकार से किया गया कि उन में से भी किसी ने कोई विशेष दक्षता प्राप्त नहीं की। या तो उन लोगों को शिक्षा ही ऐसी मिली कि वे कुछ सीख न सकें और या आदमी ही ऐसे भेजे गये, जो इस योग्य ही नहीं थे। इस सब का नतीजा यह है कि अभी भी वहां पर तेरह स्विटजरलैंड के विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, जबकि करार का यह छठा साल है।

ट्रेनिंग स्कूल के बारे में यह कहा गया है कि उस की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। इस विषय में मेरे निजी नोट में यह कहा गया है :

"हमारा दल यह नहीं ज्ञात कर सका कि विद्यार्थियों ने कितनी प्रगति की है, क्योंकि वहां अधिकांश विद्यार्थी नहीं थे। इस संस्था के अनुदेशक भी योग्यता प्राप्त नहीं हैं तथा कुछ छोड़ कर भी चले गये हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि परीक्षायें वहीं के प्रिंसिपल के द्वारा ली जाती हैं किन्तु मेरे विचार से यहां के विद्यार्थियों के परीक्षा की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग कालिज, किरकी को सौंप दी जाये और वे यहां के विद्यार्थियों की योग्यता की परीक्षा करें।"

हमारे ट्रेनिंग स्कल के बारे में कहा गया है कि हर साल उस में एक सौ प्रशिक्षणार्थी भरती किये जाते हैं और वह बहुत ऊंचे स्तर का प्रशिक्षण केन्द्र है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन जब मैं ने वहां के काम को देखा और उस जर्मन एक्सपर्ट को देखा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि छोटी छोटी बातें बतलाने और सिखाने के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण बात वहां पर नहीं सिखाई जाती हैं, जिससे कि प्रशिक्षणार्थी मशीनटूल और डिजाइनिंग में कोई विशेष योग्यता प्राप्त कर सकें। छोटे छोटे माडल वहां पर जरूर बनाये गये हैं, जिन को बनाना हमारे मैट्रीकुलेट्स प्राइवेट इस्टीट्यूशन्ज में ही सीख जाते हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस संस्था पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है सरकार उस पर विशेष ध्यान नहीं देती, और उस को अभी तक सफलता नहीं मिले यह बड़े शोक की बात है। मैं इस सम्बन्ध में दो एक बातें कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

सभापति महोदय : सदस्य ने दस मिनट का समय ले लिया है। केवल आधे घंटे का समय है तथा कई अन्य सदस्य भी प्रश्न करना चाहते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : ओरलीकन्स कम्पनी को करार के अनुसार ४२·३६ लाख पेशगी दिया गया। जब कि मशीन आदि का मूल्यांकन ही नहीं हुआ था, इस रकम का अनुमान कैसे लगाया गया ?

फारवार्डिंग ऐजेंट की रसीद के बिना, और करार की शर्तों के प्रतिकूल १५७·९५ लाख की रकम कम्पनी को क्यों दी गई । इस नियम के विरुद्ध भुगतान के लिये कौन ज़िम्मेदार है तथा उस के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गयी । यदि नहीं की गयी तो क्यों ?

कारखाने के काम का अन्य सामान क्रय करने का मनमाना अधिसार कम्पनी को क्यों दिया गया, जब कि नियमानुसार सामान के क्रय करने में किफायत की जा सकती थी और बहुत सा सामान इसी देश में उपलब्ध हो सकता था। इस कम्पनी ने इंगलैंड से भी कुछ सामान खरीदा था। उस पर उस ने २५ परसेंट और लिया था। क्या यह सच नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने विदेशी कम्पनी द्वारा क्रयादि पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जब कि ऐसे नियंत्रण के लिये करार में व्यवस्था थी ।

१९५४ की प्रतिरक्षा मंत्रालय की आडिट रिपोर्ट और लोकलेखा समिति के १४वें प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि करार में विवरण पूर्ण उत्पादन कार्यक्रम की रूप रेखा का अभाव इस बात को प्रमाणित करता है कि करार दोषयुक्त था जिस का फल यह हुआ कि कम्पनी ने करार को रस्मी तौर पर खत्म कर देनें की मांग की है जब कि यह शंका थी कि उत्पादन पूर्ण परिधि तक पहुंच सकता है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं और उन्हें समझना कठिन है ।

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : सवाभों के जवाब की उनको तमन्ना नहीं है ।

सभापति महोदय : आप आपना नोट माननीय मंत्री को दे दीजिये अथवा धीरे धीरे पढ़िये ।

डा० काटजू : मैं सवाल नोट कर लूंगा और उनका जवाब बाद में दे दूंगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। इन अनियमितताओं में यह तमाशाई रूप से प्रकट है कि यह योजना अवास्तवकिता के आधार पर स्थापित की गयी और गैर ज़िम्मेदारी से कार्यान्वित की गयी। कमेटी का यह मत है कि व्यवहारिक रूप में कम्पनी का क़रार समाप्त हो गया है । फिर भी वे जानना चाहेंगे कि जितने उत्पादन के लिये कारखाना खोला गया उसे पूरा पूरा काम में लाने के लिये सरकार क्या कुछ कर रही है। इस बात का जवाब दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस कम्पनी पर जनता का रुपया व्यय हो रहा है । हमें आश्वासन मिलना चाहिये कि इस कम्पनी को बहुत ठीक तरह से चलाया जायेगा और प्रबन्ध में जो कमी होगी उसको पूरा किया जायेगा और जो खर्चा इस पर होता है उसको जस्टी-फाई किया जायेगा । तथा कारखाने से पूरा उत्पादन करने की ओर क़दम उठाया जायेगा ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन—पूर्व) : मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह वही सार्थ नहीं है जिसने मिस्र की सरकार को ढाई करोड़ के युद्धास्त्र बेचे थे, लेकिन वे खराब सिद्ध हुये । फल यह हुआ कि कई सिपाही मारे गये और राजा फारुख की पराजय हुई

ऐसा जानते हुये भी उक्त सार्थ के अम्बरनाथ परियोजना का ठेका क्यों दे दिया गया ?

क्या यह भी सच नहीं है कि ओअरलिकोंस उक्त परियोजना के सारे यंत्र स्वयं संभरित नहीं कर सके ; उन्होंने वह जर्मनी से मंगाये ? तब उन्हें स्विज फ्रांक देना कहां तक उचित है ?

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैंने बंगलौर के मशीनी औज़ार कारखाने को देखा है । इसके सम्बन्ध में लोकलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है । इस कारखाने में १२ करोड़ की अंश पूंजी लगी हुई है । अतः सरकार का उत्तरदायित्व बहुत अधिक है । इसके सम्बन्ध में ब्रिटेन के विशेषज्ञ ने कहा है कि उत्पादन की जानकारी तथा अच्छे औज़ारों के नमूनों के बिना मशीनी यंत्र बनाना पूंजी तथा श्रम का अपव्यय करना है । सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इंजीनियरिंग क्षमता सर्वेक्षण समिति ने यह कहा है कि देश के मशीनी औज़ारों की आवश्यकता के विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किये जायें लकिन सरकार इस में सहायक सिद्ध नहीं हो रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् सरकार ने इस ओर क्या प्रयत्न किया है ?

श्री कामत (होशंगाबाद) : लोकलेखा समिति ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन के अंक १ पृष्ठ १५ पर कहा है कि वे यह जानना चाहते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था में यह कारखाना रक्षा विभाग की कितनी आवश्यकतायें पूरी कर सकता है तथा सरकार इसके उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कर रही है । सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

डा० जयसूर्य (मेदक) : ठीक यही बात हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्ट्री पर भी लागू होती है । इस सम्बन्ध में मैसर्स शमिज़ रिपोर्ट क्यों स्वीकार नहीं की गई ? क्या यह सच नहीं है कि वहां के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के पास कोई टेकनिकल अर्हता नहीं है ?

डा० काटजू : मेरे लिये सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देना सम्भव न होगा, किन्तु यदि मैं कारखाने का संक्षिप्त इतिहास बताऊं तो कदाचित् प्रयोजन हल हो जायेगा ।

सभा को यह ज्ञात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले ७–८ वर्षों से सभा की यह बुनियादी नीति रही है कि हम यथाशीघ्र युद्धास्त्रों तथा सभी प्रकार के गोलाबारूद इत्यादि के निर्माण में स्वावलम्बी हो जायें । हमने सोचा था कि प्रगति इससे भी तेज हो । इसलिये हम बड़ी तेज़ी से अग्रसर हुये । हमें कुछ धीमी रफ्तार से बढ़ना चाहिये था किन्तु उद्देश्य यही था । जब अम्बरनाथ कारखाने का रूपांकन तथा निर्माण किया गया तो विचार यह था कि आद्यरूपों के रूपांकन तथा उत्पादन में स्वावलम्बन प्राप्त कर लिया जाये । आप जानते हैं कि आद्यरूपों का निर्माण बहुत जटिल कार्य है तथा इसके रूपांकन करने तथा पूर्णतया प्राप्त करने में वर्षों का समय लगता है । हमें यह बात स्पष्ट कह देनी चाहिये कि हम लोग बहुत अच्छे वकील तथा बहुत अच्छे डाक्टर रहे हैं । और हमने बहुत अच्छे इंजीनियर भी पैदा किये हैं किन्तु जहां तक अस्त्र क्षेपिकी तथा आयुधों का सम्बन्ध है हमें अंग्रेज़ शासकों ने उस विज्ञान से दूर रखा है । हमारा इससे कोई सम्पर्क नहीं था अतः हम इस दिशा में पिछड़े ही रह गये । हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं फिर भी हम इस दिशा में उतने कुशल नहीं हैं जितना कि हमें होना चाहिये । परिणाम

यह है कि अम्बरनाथ में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों में भी प्रगति बन्द रही है ।

सभा को ज्ञात है कि अम्बरनाथ कारखाने में ५ करोड़ रुपये व्यय किये गये । इसका कारण यह था कि यह बहुत महत्वकांक्षी योजना थी तथा इसका उद्देश्य यही था कि इसे आधुनिकतम ढंग का बनाया जाये । आधुनिकतम ढंग की वस्तु में लागत अधिक लगती है । इसमें ५ करोड़ रुपया व्यय हुआ है, जिसमें से ढ़ाई करोड़ आद्यरूप विभाग पर व्यय हुआ है । ७०,००,००० रुपये कारीगरों के स्कूल पर व्यय हुआ जिसका मेरे माननीय मित्र ने अभी जिक्र किया । अवशेष एक करोड़ रुपये मशीनी औज़ारों वाले विभाग पर व्यय किया गया । तब यह सोचा गया था कि आद्यरूप विभाग से शीघ्र कोई आय नहीं होगी क्योंकि इसमें वर्षों का समय लग सकता है किन्तु मशीनी औज़ारों से शीघ्र ही आय होनी प्रारम्भ हो जायेगी ; यह हमारी आशा थी । मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि यह आशा पूरी नहीं हुई लेकिन इसका कारण सीधा-सा है । हम इस कारखाने में अपन आयुध कारखाने के लिये औज़ार बनाना चाहते थे । यह नहीं सोचा गया कि आयुध कारखाने की आवश्यकतायें इस कारखाने को चालू रखने के व्यय के बराबर नहीं हो सकतीं । इससे हमने आधुनिक कारखाने के आदेशों पर ही ध्यान केन्द्रित किया । परिणाम यह हुआ कि वसूली बहुत कम हुई क्योंकि इतने बड़े आर्डर नहीं मिले जितने कि हमने आशा की थी । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हमने अपनी नीति बदल दी है । हमने अन्य मंत्रालयों, तथा वाणिज्य तथा उद्योग, रेलवे तथा निजी व्यापारियों को भी आर्डर देने के लिये लिखा है जिससे कि कारखाने में पूरा काम हो सके ।

आद्यरूपों के सम्बन्ध में मैं विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता हूं । मेरे लिये ऐसा करना उचित भी नहीं होगा किन्तु कारखाने में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है । तथा मैं आशा करता हूं कि कुछ वर्षों में, अनुभव से हमारी रूपांकन तथा उत्पादन प्रतिभा अन्य देशों के समकक्ष हो जायेगी । इसके लिये यह कारखाना लाभदायक सिद्ध होगा । सभा इस मामले में पैसे की ओर ही ध्यान न दे । यह सच है कि ५ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं । मैं इस पर आपत्ति नहीं करता । तुम कह सकते हो कि देश को पांच या दस वर्ष ठहर कर यह कारखाना खोलना चाहिये था । यह कारखाना १९४८, १९४९ १९५० में, चाहे कभी भी बना हो, हम पिछड़ गये हैं । यदि आप कारखाना खोलने के पहिले ही दिन यह सोच लें कि पूरा उत्पादन होगा तथा पांच या छः प्रतिशत लाभ होगा और विशुद्ध लाभ इतना होगा तो वह आपकी भूल होगी । वस्तुतः यह नितांत असम्भव है । मैं दावे से कह सकता हूं कि आद्यरूपों का कारखाना इस सम्बन्ध में कभी लाभ या हानि का हिसाब नहीं देगा ।

मेरे माननीय मंत्री डा० सिंह काफी घूमे हुये हैं । इस सम्बन्ध में वह मेरे से आगे बढ़े हुये हैं । उन्होंने स्विज़ परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे हैं । इस सम्बन्ध में मैं अपने विशेषज्ञ मंत्रणादाताओं की जानकारी के अनुसार ही कार्य कर सकता हूं । वे स्विज़ व्यक्ति विश्वविख्यात परामर्शदाता इंजीनियर थे । क्या डा० सिंह से परामर्श लेने के पश्चात् ही उनसे परामर्श किया जाना चाहिये था ? वस्तुतः यह एक भिन्न विषय है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मिश्र की सरकार से परामर्श किया गया होगा ।

डा० एस० एन० सिंह : बोन स्थित प्रथम सचिव के रूप में उस समय मुझ से परामर्श किया जाना चाहिये था ।

डा० काटजू : मैं पूर्णतः उन की सेवा में प्रस्तुत हूं । (**अन्तर्बाधायें**) किन्तु कठिनाई यह है कि सरकारी काम इस प्रकार नहीं चलता कि हम प्रत्येक संसद-सदस्य से परामर्श करते फिरें, मैं यह कहूंगा कि उन्हों ने जो कुछ कहा है उस से किसी विशेष सुझाव का पता चलता है । मैं उस के विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु तथ्य यह है कि जिस समय उन लोगों को सेवानियुक्त किया गया, उस समय उन्हें बहुत समर्थ, शिल्पी, प्रवीण और अनुभवी इंजीनियर समझा गया और मेरे विचार से यह कहना उचित नहीं कि उन्होंने जानबूझ कर हमें गुमराह किया ।

सभापति महोदय : प्रश्न इस प्रकार का नहीं कि उन्होंने जानबुझ कर गुमराह किया । प्रश्न यह है कि वह जो कुछ कहते हैं वह सही है या नहीं; तभी यह पता चल सकेगा कि सरकार ने उन का संवरण करने में पूरी सावधानी नहीं बरती ।

डा० काटजू : सचमुच मुझे इस बात का पता नहीं । उन्होंने जर्मन युद्धकौशल के सम्बन्ध में कुछ कहा । इस आधे घंटे की चर्चा में इस प्रकार की बात ही ठीक हो सकती है किन्तु वास्तविक चर्चा से पहले मंत्री को एक-आधा घंटा मिलना चाहिये ताकि उस को पूरी जानकारी मिल सके । आप मेरी कठिनाइयों को समझ सकते हैं । यह मामला पांच वर्ष पूर्व हुआ और मेरे पास इस की फाइलें भी नहीं । उन फाइलों को ढूंढना भी मेरे लिये कठिन होगा ।

जहां तक श्री स्केफे का सम्बन्ध है, मैं उन के व्यक्तित्व पर जरा भी आरोप नहीं करना चाहता । वह भद्र पुरुष मशीनी औजार उद्योग से बिल्कुल निकट का सम्बन्ध रखते हैं । हम जानते हैं कि पश्चिम में अर्थात् अमरीका और ब्रिटेन में, इस प्रकार के उद्योग पूंजीवादी बनने का सुझाव रखते हैं । वह व्यक्ति यहां आये । जहां तक मुझे सूचना मिली, वह अम्बरनाथ फैक्टरी में दो घंटे से अधिक तक के समय के लिये नहीं बैठे । कई लोगों का कहना है कि वह इस से भी कम समय तक वहां रहे । और तदन्तर उन्होंने इसी कारखाने को इतना सदोष बताया, जिस से पता चलता है कि उस की विचारधारा पहले से ही मटमैली हो चुकी थी और वह द्वेषभावनायें ले कर आया था । हो सकता है कि यदि उसे समय से पहले परामर्श के लिये बुलाया जाता तो वह यह मंत्रणा देता कि किसी भी मशीनी औजार कारखाने की आवश्यकता नहीं—यही बात उसने रिपोर्ट में कही है । इस विशेष प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हो सकता क्योंकि यदि यह देश स्वतन्त्र हो चुका है तो यहां गोला-बारूद , अग्नयस्त्र, आदि वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण में आत्मनिर्भरता होनी चाहिये—भले ही हमें उस पर कोई भी राशि व्यय करनी पड़े ।

डा० एस० एन० सिंह : और वह गोला-बारूद और अग्नयस्त्र ऐसे हों जो समय पर हमारा साथ दे सकें, ऐसा न हो कि हमें समय पर परेशान होना पड़ा ।

डा० काटजू : बुनियादी सिद्धान्त पर मैं और मेरे मान्य मित्र असहमत हैं । वह यह कहते हैं, "आप जो कुछ निर्माण कर रहे हैं वह बेहूदा है, "आप का गोलाबारूद समय पर काम नहीं करेगा ।" मेरा कहना है कि वह अकारथ नहीं होगा, ठीक से चलेगा । हमें अम्बरनाथ फैक्टरी में जा कर देखना चाहिये कि वहां क्या बनाया जा रहा है । कदाचित वह साम्यवादियों के विरोधी हों, अच्छे पर्यटक हों, किन्तु मैं यह नहीं जानता था कि वह

[डा० काटजू]

अच्छे बन्दूकची और निशानेबाज भी हैं और युद्धोपकरण पर इतने अधिकार से बोल सकते हैं ।

अब आज की यह स्थिति है कि हम नमूने की मशीनों का निर्माण कर रहे हैं । बहुत सी परियोजनायें आरम्भ की गयी हैं । और बहुत शीघ्रता से उन का विकास होता जा रहा है । मुझे जो रिपोर्ट मिली है उस से यही पता चलता है कि शिल्पियों का स्कूल ठीक ढंग से चल रहा है ——मुझे मालूम नहीं कि जब मेरे मान्य मित्र वहां चले गये और जब वहां के जर्मन प्रोफैसर या अध्यापक पढ़ा भी रहे थे तो उन्होंने क्या देखा । जिस किसी ने भी यह कारखाना देखा है उसने प्रशंसा की है । जहां तक मशीनी औजार कारखाने का प्रश्न है, हम उस का उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हम न केवल युद्धोपकरण कारखाने से आर्डर मंगाते हैं अपितु हम अन्य सरकारी विभागों और अन्य असैनिक व्यापार-व्यवसायों से भी आर्डर मांगा रहे हैं । हम मशीनी औजार कारखाने को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं क्योंकि यह राष्ट्र की सम्पत् है और सभी के लिये लाभदायक हो सकता है ।

सभापति महोदय : रौल्स-रौइस के सम्बन्ध में क्या हुआ ? श्री द्विवेदी इस बात का ठीक उत्तर मांग रहे थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : रोल्स रौइस इंजीनियरों ने भी रक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है । उस का क्या हुआ ?

डा० काटजू : मैं इस मामले पर विचार करूंगा । यदि माननीय मित्र प्रश्नों की सूचना दें तो मैं जानकारी दे सकता हूं । इसी प्रकार यदि माननीय सदस्य रक्षा मंत्रालय में रुचि लेते रहें तो मुझे प्रसन्नता होगी । यों भी, मैं अलग से माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फिर भी यदि उस से सन्तोष न हो तो वही प्रश्न दूसरी बार पूछा जा सकेगा ।

डा० काटजू : आप मुझ से प्रश्न करें और मैं उस का उत्तर दूंगा ।

डा० एस० एन० सिंह : यदि आप इस बात को इसी प्रकार छोड़ दें तो वह उत्तर नहीं देंगे ।

सभापति महोदय : अब समय समाप्त हो चुका है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री की बात पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मैं ने जो अपना एक नोट तैयार किया है वह मिनिस्टर महोदय को दे दिया है । उस में जो प्वाइंट्स हैं उन का जवाब टेबल पर रखने की क्या मिनिस्टर महोदय कृपा करेंगे ?

डा० काटजू : मुझे उसे पढ़ने और समझने का समय मिलना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी नहीं, किन्तु.....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । अब ५-३० म० प० से अभी अधिक समय हो चुका है ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार २२ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लोक-सभा वादवि-वाद—भाग २

की

अनुक्रमणिका

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७—संख्या ३१ से ४५)

(५ सितम्बर १९५५ से २१ सितम्बर १९५५)

अ

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम १९५५—

—की प्रति—पटल पर रखी गई २९५९

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम—

— तथा अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियमों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमों तथा — की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३६८१–८२

अग्रवाल, श्री एम० एल०—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५४१, ३५४२, ३५४४, ३७१५–१९

अचल सिंह, सेठ—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३७३०–३२

अचिंत राम, लाला—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४९७–३५०५, ३६४३, ३६४९, ३६६४, ३७८७–९२, ३८१५

अच्युतन, श्री—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३१४६–४७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४२०–२१

अजित सिंह, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९०२–१०, ३९९२, ४०४८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८४–८६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८४–८६

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

याचिका का उपस्थापन ३४३३

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अधिसूचना (यें)—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत — की प्रतियां— पटल पर रखी गयीं ३९८६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत — की प्रति—पटल पर रखी गयी २८३३

भारतीय विमान नियमों में संशोधन करने वाली — की प्रति—पटल पर रखी गयी २९५७–५८

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—

सामान्य आय-व्ययक १९५५–५६ के सम्बन्ध में — सम्बन्धी विवरण का उपस्थापन ३४३२

अनुसूचित आदिम जाति (य)—

अनुसूचित जातियों तथा — सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३४-५२, ३८५४–३९६३, ३९८९–४०३७, ४०३९–९२, ४२३४–८९

अनुसूचित जाति (यां)—

— तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३४–५२, ३८५४–३९६३, ३९८९–४०३७, ४०३९–९२, ४२३४–८९

अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति—

— के बारे में प्रस्ताव ४०९३–४२२८

अमृतकौर, राजकुमारी—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४४३८

अम्बरनाथ—

मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, — के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१०–२४

अय्यंगार, श्री एम० ए०—

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४४३७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४४३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ें ३५३५–३८

उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित जिलों में भुखमरी ४२३१–३४

आ

आज़ाद, श्री भागवत झा—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४०–४३, ४५००

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४०–४३, ४५००

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २९०६, २९०७, २९२२–२५, ३००१

आधे घंटे की चर्चा—

पांडिचेरी विधान सभा के सम्बन्ध में — ३९६३–७२

मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में — ४५१०–२४

आय-व्ययक, सामान्य—

— १९५५–५६, के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों सम्बन्धी विवरण का उपस्थापन ३४३२

आयुक्त, अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के—

— के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव २८५४–२९६३, ३९८९–४०३७, ४०३९–९२

आल्वा, श्री जोकीम—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१४६, ४१८६–८९

इ

इकबाल सिंह, सरदार—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६१०, ३६२८–३४, ३६९६–३७००, ३७३८, ३७७९–८७, ३७९७

ई

ईयाचरण, श्री आई०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४००१–०३

उ

उइके, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९४९–५६

उड़ीसा—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

— में बाढ़ें ३५३५–३८

— की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण की प्रति—पटल पर रखी गई ३५३८

उत्तर-प्रदेश—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

— के बाढ़ पीड़ित जिलों में भुखमरी ४२३१–३४

उद्योग(गों)—

बिजली चालित मोटर — तथा डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी — के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३५३४–३५

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम—

—के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३९८६

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८८६–९२

औ

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १९५५—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक, १९५५—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

क

करमरकर, श्री—

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३४४

करमरकर, श्री--(क्रमशः)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४४
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२७२–८६, ३२८८, ३२९१–९२

काजरोल्कर, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८६५–७२

काटजू, डा०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२३४–४६
मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१६, ४५१८–२०, ४५२१–२४

कामत, श्री—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—
विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन ३४७०–७१
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९०१, ४०६५, ४०७४ ४२४३, ४२८९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४११०, ४२२३
— द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण २९६०–६१

कामत, श्री—(क्रमशः)

कार्य मंत्रणा समिति—
चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३०९७–९८
पचीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३६८२, ३६८३
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३२९९
मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४१२, ४४३०—३६, ४४४३
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४१२, ४४३०-३६, ४४४३
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२८६
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६४३, ३६६७, ३७२७
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य २७१८, २७१९
सभा का कार्य २७२३, ३२०१, ३४३४–३५

समवाय विधेयक--
खण्डों पर चर्चा २७५१, २८३५,–३६, २८४६,२९१३-१४,२९१६, २९२७-२८, २९२९, २९८६–८८, ३०००, ३००१, ३०३८, ३०३९, ३०५४–५५, ३०७४, ३०७५, ३११९, ३१९१–९२, ३२१०–११, ३३२७–२८

कामले, डा०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२५०—५८

कारखाना (ने)—

मूल रूप मशीनी औज़ार निर्माण—, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१०–२४

कार्य मंत्रणा समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

कासलीवाल, श्री—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३३५–३८

कुरील, श्री पी० एल०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२४६–५०

कृपालानी, श्रीमती सुचेता—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१३९

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५६५–७६, ३७१९–३०

कृष्ण, श्री एम० आर०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९११–१६

कृष्णप्पा, श्री एम० वी०—

फल उत्पाद आदेश की प्रति—पटल पर रखी ३९८६

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी०—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखीं ३९८६

गट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार, सम्बन्धी श्वेतपत्र के बारे में प्रस्ताव ४२८९–४३१०, ४३४४, ४३५४, ४३५८–८८, ४३८९.

नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी ३५३३

बिजली चालित मोटर उद्योग, डीज़ल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखीं ३५३४–३५

कृष्णास्वामी, डा०—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३२४–२७

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२५–२६, २७२७–२८, २७६१–६७, २८९७-२९००, २९४३, २९४४, २९४५, ३०१८–१९, ३०३२, ३०३३, ३०३८, ३१०३–०४, ३१०५–०६, ३१०७, ३१६४, ३१९१–९२, ३१९७–९८, ३२०१–०६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम—

— के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गई २८३३

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड—

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड—

— के लिये दो सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव ३४३२

ख

खन्ना, श्री मेहर चन्द—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५०२, ३५१९, ३५४६–४७, ३५६१, ३५८१, ३५९८, ३६३४–७६, ३६७७, ३७१९, ३७२४, ३७२५–२६, ३७२७, ३७२८, ३७३१, ३७३३, ३७३४, ३७३९–४०, ३७४१, ३७४५, ३७४८, ३७५०, ३७५१, ३७६०–६१, ३७६३, ३७६५, ३७७८, ३७७९, ३७९३–३८१९

खां, श्री सादत अली—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१४५, ४१४६

खेडकर, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे म प्रस्ताव ४०७३–७६

ग

गंगादेवी, श्रीमती—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०५६–६३

गणपूर्ति—

— के बारे में प्रथा २७१९–२२

गांधी, श्री फीरोज़—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१४५, ४१४६, ४१४७

गांधी, श्री वी० बी०—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३४७६, ३४७८–७९

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेतपत्र के बारे में प्रस्ताव ४३१०, ४३३२–३५

गांधी, श्री वी० बी०—(क्रमशः)

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३१९९–३२००

पंद्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३८५३

गाडगील, श्री—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१४९–५३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३७१५

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २८४२, २९०२, ३०१५–१७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३९०–९३

गिडवानी, श्री—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८६–९२, ३५७२, ३६३९, ३६४१, ३६७७, ३६७८–७९, ३६९९, ३७०१–०८, ३७३१, ३७६३, ३८००, ३८०१, ३८१६–१७

सभा का काय ३४३४

गुप्त, श्री साधन—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२५–२६, २७२७–२८ २७२९–३०, २७३८–४२, २९१५, २९१६

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ३४६१–६२, ३४६४–६७

खंडों पर चर्चा ३४७७, ३४७८

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३२१–२४

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—(क्रमशः)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४०३, ४४८१

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४०३, ४४८१

समवाय विधेयक—
खण्डों पर चर्चा २७२७–२८, २८४१–४२, २९७८, २९८४–८६, ३११२–१३, ३११४, ३११५, ३११८, ३१२५–२६

गुह, श्री ए० सी०—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी २८३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

गोपालन, श्री ए० के०—
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१२८–३६
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२८६–९१

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु—
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४११०, ४१११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४२१–३०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४२१–३०

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५४१, ३५४२, ३५४३, ३५४४

चटर्जी, श्री एन० सी०—
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०१०–१३

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१४०–४५, ४१४७–४९, ४१५०

गणपूर्ति के बारे में प्रथा २७२१, २७२२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४१५–१७, ४४२०–२१, ४४४५, ४४५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४१५–१७, ४४२०–२१, ४४४५, ४४५४

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८४–८५, ३५३०–३२, ३५४४–४८, ३६८३, ३६९९, ३७३८, ३७३९–४२

सभा का कार्य ३४३४

समवाय विधेयक—
खंडों पर चर्चा २७५७–६१, २८८४, २९१६, २९६१, २९७२–७८, ३००१, ३११८, ३११९, ३१३१–३३, ३१७९, ३२१७-२१, ३२३०, ३३४७–४८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६९–७५

चन्दा, श्री अनिल के०—
तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर में शुद्धि २९५९–६०
पांडिचेरी विधान सभा के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३९६५–७२

चन्द्रशेखर, श्रीमती—

आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी ३४३१

चुनाव—

देखिये "निर्वाचन"

चेट्टियार, श्री टी० ए० एम० सुब्रामानिया—

— द्वारा शपथ ग्रहण ३५३३

चेट्टियार, श्री टी० एस० ए०—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७५१–५७, २९१७-१८, ३१७३–७६, ३१९१–९२, ३२२३

चौधरी, श्री एन० बी०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२८९

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३४८–५०, ४३८६, ४३८८–८९

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८५, ३५१४–१८, ३५४१, ३५४२, ३५४३, ३५४४, ३६९९, ३७३२–३८, ३८०५

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३२६९–७०

चौधरी, श्री जी० एल०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०८५–८८

ज

जगजीवन राम, श्री—

भारतीय विमान नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी २९५७–५८

जयपाल सिंह, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३५, ३८३६, ३८७२–७६, ३९३२–३३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८६–९४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८६–९४

जयसूर्य, डा०—

मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१८

जांगड़े, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३५, ३८५४, ३९१६–२३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५४३

जाटववीर, डा०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९२३–२९

जैन, श्री ए० पी०—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित जिलों में भुखमरी ४२३१–३४

झ

झुनझुनवाला, श्री

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २८१७–२८, २९६३–६४, ३०१७–१८, ३१०६, ३१८०, ३१८२, ३१८३-८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४०७–१३

ट

टंडन, श्री—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१७९–८४

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६१५–२०

ड

डाभी, श्री—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५०७–१०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५०७–१०

डामर, श्री अमर सिंह—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९३३–३७

डीजल इंजेक्शन ईंधन उद्योग—

बिजली चालित मोटर उद्योग, डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३५३४–३५

त

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

तुलसीदास, श्री—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२५–२६, २७२७–२८, २७२९–३०, २७५६, २८२८–३१, २८३५–४१, २८९२–९३, २९१६, २९८१, २९८८–९२, ३०००, ३००१, ३०३८, ३१४३–४४, ३१८४–९०, ३१९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४०१–१२, ३४१७–१९

त्र

त्रिपाठी, श्री के० पी०—

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३८४

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२७७

समवाय विधेयक —

खंडों पर चर्चा २७९८–२८०४, २९१८–२२, २९७९–८३, २९८४, ३००१, ३१३३–३६, ३१७०–७३, ३२७१, ३३२७–२८, ३३३१–३४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४२३–२५, ३४४९

त्रिवेदी, श्री यू० एम०—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ३४६३, ३४६४, ३४७१–७२

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३५२–५८

त्रिवेदी, श्री यू० एम० (क्रमशः)

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६१०, ३६२४–२८, ३६६७

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २८३६, २८४३, २८६७, २६२५–२७, ३०२१–२३, ३०३६

थ

थामस, श्री ए० एम०—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ३४६४, ३४६६–७०, ३४७१, ३४७५

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे म संकल्प ३२८०, ३२६१

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३००६–०६, ३०३२, ३०३७, ३१६८, ३२०६–१०

द

दातार, श्री—

अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम १६५५ की प्रति—पटल पर रखी २६५६

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमों तथा अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियमों की प्रतियां—पटल पर रखीं ३६८१–८२

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १६५३ और १६५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८७८, ३६२३, ३६८६, ४०६२, ४२५६, ४२७०–८८

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ३४३२–३३

दातार, श्री (क्रमशः)

विदेशियों के पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणाओं की प्रतियां —पटल पर रखीं २६५७–५८

दास, डा० एम० एम०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १६५३ और १६५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८७८, ३६५५

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड के लिये दो सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव ३४३२

दास, श्री एस० एन०—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३०६, ३३१७–१६

दास, श्री बी के०—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३१०, ३३१६–२०

दास, श्री बी० सी०—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ें ३५३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४५६–६२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४५६–६२

दास, श्री रामधनी—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १६५३ और १६५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३६१०–११

दास श्री रामानन्द—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३९३७–४०, ४२८३, ४२८७

दुबे, श्री मूलचन्द—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४९–५१

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४९–५१

समवाय विधेयक—

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४१३–१४

दुर्घटना (में)—

हीराकुड बांध की — के सम्बन्ध म वक्तव्य ३५३९–४०

देवगम, श्री—

अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०५२–५६

देशपांडे, श्री जी० एच०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०२८–३१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१८४–८६

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८५, ३५०५–०७

देशपांडे, श्री वी० जी०—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे म प्रस्ताव ४१६७–७४, ४२१३, ४२२६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५२९, ३५४१, ३५४२, ३५४३, ३५४४, ३६००, ३६७७, ३७०८–१४

देशमुख, डा०—

भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव २८३३-३४

देशमुख, श्री सी० डी०—

आय व्ययक (सामान्य) १९५५–५६, के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों सम्बन्धी विवरण का उपस्थापन ३४३२

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २७२९–३८, २७४५, २७४७–४९, २८४२–६६, २८७६, २८८२–८४, २८९७, २९१२–१३, २९१४–१५, २९२२, २९२८–४५, २९७६, २९७७, २९८१, २९८२, २९९०, २९९३–३०००, ३०११, ३०१२, ३०२३–३९, ३०५०–५२, ३०६०–७४, ३१०७, ३११२, ३११६, ३१२५–३१, ३१३७–३८, ३१३९, ३१४०, ३१४७–६०, ३१६१, ३१६४-६५, ३१७८–७९, ३१८०–८१, ३१८२–८३, ३१८९, ३१९०, ३१९३, ३२१८, ३२१९, ३२२१–४१, ३२४४, ३२५२, ३२५३, ३२५६–६३, ३३२७–३१

देशमुख, श्री सी० डी०—(क्रमशः)

समवाय विधेयक—(क्रमशः)

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३८३, ३४३५–५३

देसाई, श्री खंडूभाई—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४४३९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४४३८, ४४३९

संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य २७१७–१९

द्विवेदी, श्री एम० एल०—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३०७

मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१०–१६, ४५२०, ४५२३, ४५२४

ध

धुसिया, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०७९–८५, ४२७२

न

नदी बोर्ड विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

नन्दा, श्री—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ें ३५३५–३८

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण की प्रति-पटल पर रखी ३५३८

हीराकुड बांध की दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ३५३९–४०

नरसिंहन्, श्री सी० आर०—

अधिकृत लेखापाल विधेयक सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन ३४३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ३४६५, ३४७२

खंडों पर चर्चा ३४७६, ३४७९–८०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२४१, ४२४५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४४–४९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४४४–४९

नागरिकता विधेयक—

देखिए "विधेयक (कों)" के नीचे

नानादास, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९०२, ३९२९–३१

नायर, श्री वी० पी०—

अधिकृत लेखपाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ३४६३, ३४६४, ३४६७–६९, ३४७४

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२८०

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३१३६–४२, ३१५०, ३१५४, ३१५६

नायर, श्री सी० के०—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५९९–३६०३, ३६६८

नारियल जटा बोर्ड—

— के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई ३५३३

निर्वाचन—

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड के लिये दो सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव ३४३२

नेहरू, श्री जवाहरलाल—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४०९३–४१२०, ४१९७–४२२६

नेहरू, श्रीमती उमा—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५२७–३०

नेहरू, श्रीमती शिवराजवती—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४९२–९७

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २९०३

नौवहन—

भारतीय — के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३२९२–३३२२

प

पंत, पंडित जी० बी०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ और और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३४–३५, ३८३५–३६, ४०३१–३७, ४०३९–४९

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ३८५३, ३८५४

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३८३४

पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम १९५५ की प्रति २९५९

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमों तथा अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियमों की प्रतियां ३६८१–८२

आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति ३४३१

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण की प्रति ३५३८

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां ३९८६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति २८३३

पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति ३५३३

परिसीमन आयोग के आदेश संख्या ३० की प्रति ३४२९–३०

फल उत्पाद आदेश की प्रति ३९८६

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां ३५३४–३५

भारतीय विमान नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति २९५७–५८

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२; तृतीय सत्र, १९५३; चतुर्थ सत्र, १९५३; पंचम सत्र, १९५३; षष्ठम सत्र, १९५४; सप्तम सत्र, १९५४; अष्टम सत्र, १९५४; नवम सत्र, १९५५; दशम सत्र, १९५५ तथा चतुर्थ सत्र, १९५३ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३०, २५, २०, १४, १०, ६, प्रथम विवरण तथा अनुपूरक विवरण संख्या २ (सुझाव) ३४२९–३०

विदेशियों के पंजीयन अधिनियम के अन्तगत विमुक्ति घोषणाओं की प्रतियां २९५७–५८

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति ४२३१

परिसीमन आयोग—

— के आदेश संख्या ३० की प्रति—पटल पर रखी गई ३४२९–३०

पांडिचेरी—

— विधान सभा के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३९६३–७२

पांडे, श्री सी० डी०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक —

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८२

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २९०३

पाटस्कर, श्री—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१४५, ४१४६, ४१४७

परिसीमन आयोग के आदेश संख्या ३० की प्रति—पटल पर रखी ३४२९–३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४३९०–४४००, ४४०१–१५, ४४१७, ४४१८, ४४२०, ४४२९, ४४३५, ४४६२, ४४६९–७०, ४४७६, ४५००–०१, ४५०६, ४५०८, ४५०९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय सशोधन) विधेयक —

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४३९०–४४००, ४४०१–१५, ४४१७, ४४१८, ४४२०, ४४२९, ४४३५, ४४६२, ४४६९–७०, ४४७६, ४५००–०१, ४५०६, ४५०८, ४५०९

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी ४२३१

पाटिल, श्री कानावडे—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१९५–९७

पालचौधरी, श्रीमती इला—

भारतीय नौहवन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३२०–२१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५७७, ३५९२–९४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

प्रतिवेदन (नों)—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के — के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३८३४–५२, ४२३४–८९

आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के — की प्रति—पटल पर रखी गई ३४३१

काय मंत्रणा समिति—

चौबीसवें — का उपस्थापन २९६०
पचीसवें — का उपस्थापन ३५३५
पचीसवें — से सहमति प्रस्ताव ३६८२–८३
छब्बीसवें — का उपस्थापन ४४३७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवें — का उपस्थापन २९६०
सैंतीसवें — का उपस्थापन ३६८३
सैंतीसवें — से सहमति प्रस्ताव ४०३७–३८
अड़तीसवें — का उपस्थापन ४४३७

डा० एस० एन० सिंह द्वारा प्रेस आयोग के — सम्बन्धी वादविवाद के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३५३९

प्रतिवेदन (नों)—(क्रमशः)

नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक — की प्रति—पटल पर रखी गई ३५३३

प्राक्कलन समिति—

तेरहवें — का उपस्थापन ३४३१
चौदहवें — का उपस्थापन ४४३७

बिजली चालित मोटर उद्योग तथा डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के — और उनके सम्बन्ध म सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३५३४–३५

लोक लेखा समिति—

चौदहवें — का उपस्थापन ३१९९–३२००
पंद्रहवें — का उपस्थापन ३८५३

संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के — के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य २७१७–१९

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के — की प्रति—पटल पर रखी गई ४२३१

प्रभाकर, श्री नवल—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३७–४७, ३८७०, ३८९५, ३९०१, ३९९२, ४२४६, ४२८९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५०२–०७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५०२–०७

प्रशुल्क आयोग—

बिजली चालित मोटर उद्योग तथा डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में — के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३५३४–३५

प्रश्नोत्तर में शुद्धि—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर में शुद्धि २९५९–६०

प्रस्ताव (वों)—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में — ३८३४–५२, ३८५४–३९६३, ३९८९–४०३७, ४०३९–९२, ४२३४–८९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में — ४०९३–४२२८

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड के लिये दो सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी — (स्वीकृत) ३४३२

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेतपत्र के बारे में — (संशोधित रूप में स्वीकृत) ४२८९–४३३८, ४३३९–९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमति — (स्वीकृत) ३२७१–७२

सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति — (स्वीकृत) ४०३७–३८

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में — (स्वीकृत) ३४८३–३५३२, ३५४०–३६७९, ३६६३–३८३४

प्राक्कलन समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

प्रेस आयोग—

डा० एस० एन० सिंह द्वारा — के प्रतिवेदन सम्बन्धी वाद विवाद के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३५३९

बंसल, श्री—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३२७–३२

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २९०३–१०, ३१६५–७०, ३२७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६६–६९

बर्मन, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८५९–६५

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८५

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३११३–१४, ३३२७–२८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४१९–२०

बसु, श्री के० के०—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ३४६२, ३४६५

खण्डों पर चर्चा ३४८०–८१

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८७८, ३९९१, ४२८९

बसु श्री के० के०--(क्रमशः)

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४११६

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३१०, ४३१५–२१, ४३६७, ४३६८

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६७६

सभा का कार्य ३९८७

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२५–२६, २७२७–२८ २७२९–३०, २८०४–०८, २८२०, २८३१–३२, २८४४, २८५४, २८५५, २८६४, २८६५, २८६६, २८८२, २८८५–८८, २९१३, २९१५, २९१६, २९२५, २९३२, २९४१, २९८१, २९८२, २९८३–८४, ३००१–०६, ३०३६, ३०५२–५४, ३०७४, ३०७५, ३१०१–०३, ३१०४, ३१०६, ३११६–१७, ३११९–२४, ३१२५–२६, ३१५२, ३१६१, ३१९१–९२, ३२११–१७, ३२२४, ३२२६, ३२३६–३७, ३२४०–४१, ३२४२, ३२५१, ३२५२, ३२५३, ३२५४, ३२६२, ३३२७–२८, ३३३४–४५, ३३५३, ३३५४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४०२

बाढ़ (ढें)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में — ३५३५–३८

उत्तर प्रदेश के — पीड़ित जिलों में भुखमरी ४२३१–३४

उड़ीसा की — स्थिति सम्बन्धी विवरण की प्रति—पटल पर रखी गयी ३५३८

बाबूनाथ सिंह, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०७६–७९

बारूपाल, श्री पी० एल०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८९२–३९०१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५९४–९८, ३६७३

बाल्मीकी, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा, अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२४६, ४२६२, ४२८८

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६७३

बैंक पंचाट आयोग—

संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व—के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य २७१७–१९

बोगावत, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९०९, ३९८९–९०, ४२५९, ४२६३–६५

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२९२

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२७–२८

बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८४९–५२, ३८५५–५९

भ

भटकर, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०६३–६९

भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (श्री एस० सी० सामन्त द्वारा)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय विमान अधिनियम, १९३४—

भारतीय विमान नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गयी २९५७–५८

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३६, ३९९०, ४२५९, ४२८५–८६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौबीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन २९६०

पचीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३५३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४००, ४४१७, ४४१८–१९, ४४३४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४००, ४४१७, ४४१८–१९, ४४३४

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५३१, ३५४१, ३५४२, ३५४३, ३५४४, ३५४८–६५, ३५६७, ३५८१, ३६८४–८६, ३६९५–९६, ३६९९, ३७४२–७२, ३७९२, ३८०२, ३८०७, ३८१२

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—(क्रमशः)

सभा का कार्य ३४३४

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२५–२६, २७२७–२८, २७२९–३०, २७६७–९१, २८२३, २९७७, २९८४, ३००९–१२, ३१७६–७८, ३१७९–८०, ३१८१, ३१८२, ३१९१–९२, ३१९४, ३२०१, ३२३४, ३२३७, ३२५१, ३२५२, ३२६२, ३२६३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४१५

भुखमरी—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित जिलों में — ४२३१–३४

भोंसले, श्री जे० के०—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५७७–८१

म

मत-विभाजन—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव (श्री एन० सी० चटर्जी का प्रतिस्थापन प्रस्ताव) (अस्वीकृत) ४२२६

मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ—

मूल रूप — के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१०–२४

मात्तन, श्री—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३२१–२२

मालवीय, पंडित सी० एन०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९०१

मिश्र, श्री लोकनाथ—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४५५–५९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४५५–५९

मुकर्जी, श्री एच० एन०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९९५–४००१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१५४–५८

पांडिचेरी विधान सभा के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३९६३–६५

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३१०–१७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५८१–८५

सभा का कार्य २७२२, ३४३१–३२, ३४३३

समवाय विधेयक—

संशोधित रूप म पारित करने का प्रस्ताव ३३८३–९०

हीराकुड बांध की दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ३५४०

मुनिस्वामी, श्री एन० आर०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०८८–९१

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७९३–९८, २९१०–१२ ३२०५, ३३४५–४७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४२१–२३

मुहीउद्दीन, श्री—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३१७४

मूर्त्ति, श्री बी० एस०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९९२–९५, ४०४८

मेहता, श्री अशोक—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१२१–२८

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२७–२८, २७४२–४७, २७४९–५०, २८५५, २८८८–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३९३–९६

मेहता, श्री जे० आर०—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१७६–७८

मेहता, श्री बी० जी०—

प्राक्कलन समिति—

तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३४३१

चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४४३७

मोटर उद्योग—

बिजली चालित—और डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३५३४–३५

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (श्री टी० बी० विट्ठल राव द्वारा)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

मोरे, श्री एस० एस०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४०६, ४४३४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४०६, ४४३४

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २८५४, २९२८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३७८–८३, ३४४८

मोरे, श्री के० एल०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४९९–४५०२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय सशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४९९–४५०२

य

याचिका—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी — का उपस्थापन ३४३३

रघुनाथ सिंह, श्री—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन २९६०

छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३२७१–७२

सैंतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६८३

सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ४०३७–३८

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३२९२–३३०९

रघुरामैया, श्री—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१२१, ४१३६–४०

रनदमन सिंह, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२६५–७०

रहमान, श्री एम० एच०—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे म प्रस्ताव ३६१०, ३६११–१५

राघवाचारी, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०६९–७३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४१९–२०, ४४९४–९९

राघवाचारी, श्री— (क्रमशः)

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४१९–२०, ४४९४–९९

सभा का कार्य ४०३९

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ३११५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४१४-१६

राजभोज, श्री पी० एन०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८३६–३७, ३९९२, ४००३–१०, ४०७६

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१८९–९३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६२०–२४, ३६४०, ३६५०, ३६५८, ३६६२, ३६७२, ३७४२, ३७६१, ३७६५, ३७६६, ३७७२–७५, ३८००, ३८१९

राज्य सभा से सन्देश—

अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक १९५५ पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के हेतु राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के लिये राज्य सभा से लोक सभा को प्रार्थना का सन्देश ३६७९–८०

नदी बोर्ड विधेयक १९५५ पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के हेतु राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के लिये राज्य सभा से लोक सभा को प्रार्थना का संदेश ४२२९–३१

राज्य-सभा से सदेंश—(क्रमशः)

नागरिकता विधेयक, १९५५ पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमति का — ३३२३–२४

लोक सभा द्वारा पारित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों सम्बन्धी संशोधन के प्रस्तावों से सहमति का — ३९७३–८६

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक १९५४ पर सदनों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि का विस्तार करने के सम्बन्ध में — ३३२४–२५

राधा रमण, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०९१–९२

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५०३, ३६०३–१०, ३६४३, ३६८६–९५, ३७३२, ३८१८

समवाय विधेयक—

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४०२–०७

राने, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२८१

समवाय विधेयक—

खडों पर चर्चा २७२५–२६, २७२७–२८ ३१९१–९२, ३३२७–२८

राम दास, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८७६–८६

रामस्वामी, श्री एस० वी०—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३४२–४४, ४३४५, ४३८८

राव, श्री टी० बी० विट्ठल—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९९१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (—द्वारा)—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४०३८

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२; तृतीय सत्र, १९५३; चतुर्थ सत्र, १९५३; पंचम सत्र, १९५३; षष्ठम सत्र, १९५४; सप्तम सत्र, १९५४; अष्टम सत्र, १९५४; नवम सत्र, १९५५; दशम सत्र, १९५५; तथा चतुर्थ सत्र, १९५३ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३०, २५, २०, १४, १०, ६, प्रथम विवरण तथा अनुपूरक विवरण संख्या २ (सुझाव)—पटल पर रखे गये ३४३१

संसद में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य २७१९

राष्ट्रपति की अनुमति—

— प्राप्त विधेयक—

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १९५५ ४२२९

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक, १९५५ ४२२९

रेड्डी, श्री रामचन्द्र—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९९०, ४०४९–५२

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४२२४–२५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४२०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४४२०

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २७२७–२८, २७९१–९३, २९७८–७९, ३००१

रेड्डी, श्री विश्वनाथ—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३४०–४२

ल

लक्ष्मय्या, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०३१–३२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४७७–८०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४७७–८०

लिंगम, श्री एन० एम०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४७४–७७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४७४–७७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

लोक लेखा समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

व

वक्तव्य (व्यों)—

संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में — २७१७–१९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के सम्बन्ध में —- ३५३९–४०

वर्मा, श्री बी० आर०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४०१३–१९

वल्लाथरास, श्री—

मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१७

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम—

— के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं २९५७–५८

विधान सभा, पांडिचेरी—

— के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३९६३–७२

विधेयक (कों)—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—

पुरःस्थापित ४४३८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ३४५८–७६

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ३४६१–७६

खंडों पर चर्चा ३४७६–८२

पारित करने का प्रस्ताव ३४८३

(पारित) ३४८३

अन्तर्राज्यकीय जल विवाद विधेयक, १३५५—

विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के हेतु राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के लिये राज्य सभा से लोक सभा को प्रार्थना का सन्देश ३६७९–८०

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १९५५—

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ४२२९

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक, १९५५—

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ४२२९

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

पुरःस्थापित ४४३९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

पुरःस्थापित ४४३८–३९

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५४

विधेयक (कों)—(क्रमशः)

नदी बोर्ड विधेयक, १९५५—

विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के हेतु राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के लिये राज्य सभा से लोक सभा को प्रार्थना का संदेश ४२२९–३१

नागरिकता विधेयक, १९५५—

विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमति का राज्य सभा से सन्देश ३३२३–२४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

पुरःस्थापित ३४३२–३३

भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित २८३३–३४

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (श्री एस० सी० सामन्त द्वारा)—

पुरःस्थापित ४०३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (श्री टी० बी० विट्ठल राव द्वारा)—

पुरःस्थापित ४०३८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४३९०–४४३६, ४४४०–४५१०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४३९०–४४३६, ४४४०–४५१०

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २७२३–२८३२, २८३४–२९०६ २९६१–३०९६ ३०९९–३१९८, ३२०१–७१, ३३२६–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३७०–३४२८, ३४३५–३४५८

(संशोधित रूप में पारित) ३४५८

विधेयक (कों)—(क्रमशः)

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५४—

विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि का विस्तार करने के सम्बन्ध में राज्य सभा से सन्देश ३३२४–२५

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई ४२३१

विद्यालंकार, श्री ए० एन०—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५०७–१४

समवाय विधेयक—

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४२५–२८

विवरण (णों)—

लोक सभा के द्वितीय सत्र, १९५२; तृतीय सत्र, १९५३; चतुर्थ सत्र, १९५३; पंचम सत्र, १९५३; षष्ठम सत्र, १९५४; सप्तम सत्र, १९५४; अष्टम सत्र, १९५४; नवम सत्र, १९५५; दशम सत्र, १९५५ तथा चतुर्थ सत्र, १९५३ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक — संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३०, २५, २०, १४, १०, ६, प्रथम — तथा अनुपूरक —संख्या २ (सुझाव)—पटल पर रखे गये ३४२९–३१

विश्व स्वास्थ्य सभा—

आठवीं —में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई ३४३१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम (मों)—

—के बारे में प्रस्ताव ३४८३–३५३२, ३५४०–३६७९, ३६८३– ३८३४

लोक सभा द्वारा पारित — सम्बन्धी संशोधन के प्रस्तावों से सहमति का राज्य-सभा से सन्देश ३९७३–८६

वीरस्वामी, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९४७–४८, ४०३१

वेलायुधन, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३८५५, ४२४१, ४२४३, ४२४४, ४२४५, ४२७६

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३४५–४७, ४३५५, ४३५६

वश्य, श्री एम० बी०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९५६–६३

वेष्णव, श्री एच० जी०—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५४४

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण—

डा० एस० एन० सिंह द्वारा प्रेस आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी वाद विवाद के सम्बन्ध में — ३५३९

सदस्य द्वारा — २९६०–६१

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार—

गैट (—) सम्बन्धी श्वेतपत्र के बारे में प्रस्ताव ४२८९–४३३८

व्यापार, वदेशी—

— पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प ३२७२–९२

श

शर्मा, पंडित के० सी०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४७०, ४४८०–८४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४७०, ४४८०–८४

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २८१९, २८२०, २८२१, २८६३, २८९३, २९१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४१६–१७

शर्मा, श्री डी० सी०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४५१–५५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४५१–५५

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३५४३, ३५९०–९२

शर्मा, श्री नन्द लाल—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८४, ३४९०, ३५१८–२७, ३५४१, ३५४२, ३५४३, ३५४४, ३६७०, ३६७१, ३६७६, ३७९२, ३८१५, ३८१६, ३८१९, ३८३४

शास्त्री, श्री अलगू राय—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१५१, ४१५८–६७

शास्त्री, श्री बी० डी०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४६२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४६२–७४

शास्त्री, स्वामी रामानन्द—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२५९–६३

शाह, श्री म० सी०—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ३४५८,६१, ३४६२, ३४६३, ३४६३, ३४७२–७६,

प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ३४६२, ३४६३, ३४७२–७६

खण्डों पर चर्चा ३४७७, ३४७८, ३४७९, ३४८१–८२

पारित करने का प्रस्ताव ३४८३

शाह, श्री एम० सी०—(क्रमशः)

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २७७६, २७८३, २८२८, २८६८, २८७०, २९६२–७२, २९७६, ३०१५, ३०५७, ५९, ३०७५, ३०७६, ३०९०, ३०९९–३१०१, ३१०३, ३१०४–०५, ३१०६, ३११०–११, ३११२, ३१६४ ३२३५, ३२३८, ३२५१, ३२५२, ३२५३, ३२५४, ३२५६, ३२६९, ३३४८–५४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६०–६५, ३४५४

शाह, श्री सी० सी०—

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २७९८, २८०८–१७, २८५३,–५४, २८५८, २८८२, २८९३–९६, २९६१, २९६३, २९८२, २९८३, २९८९, ३०१३–१५, ३०२२, ३०३६, ३०५५–५६, ३०७६, ३१०२, ३१०३, ३१०४, ३१०५, ३१०७–०८, ३११७, ३११९, ३१३६, ३१५२, ३१५३, ३२३७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३७५–७८

शाह, श्रीमती कमलेन्दु मति—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८४७–४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१९३–९५

शिव, डा० गंगाधर—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९३१–३२

श्वेत पत्र—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी —के बारे में प्रस्ताव ४२८९–४३३८

स

संकल्प (ल्पों)—

बिजली चालित मोटर उद्योग तथा डीजल इंजेक्शन ईंधन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी —की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ३५३४–३५

भारतीय नौहवन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में — ३२९२–३३२२

विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प (अस्वीकृत) ३२७२–९२

संसदीय समिति (यां)—

देखिये "समिति (यां), संसदीय"

सक्सेना, श्री एस० एल०—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित जिलों में भुखमरी ४२३१

सभा का कार्य ३२०१

सत्यवादी, डा०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३८७८, ३९०१, ३९९२, ४०२०–२८

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३६९९, ३७७५–७९

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण—

श्री टी० ए० एम० सुब्रह्मण्यम ३५३३

सन्देश—

अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक १९५५ पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के हेतु राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के लिये राज्य सभा से लोक सभा को प्रार्थना का — ३६७९–८०

नदी बोर्ड विधेयक १९५५ पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के हेतु राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के लिये राज्य सभा से लोक-सभा को प्रार्थना का — ४२२९–३१

भारतीय नागरिकता विधेयक, १९५५ पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमति का राज्य सभा से— ३३२३–२४

लोक सभा द्वारा पारित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों सम्बन्धी संशोधन के प्रस्तावों से सहमति का राज्य सभा से —३९७३–८६

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक १९५४ पर सदनों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि का विस्तार करने के सम्बन्ध में राज्य सभा से — ३३२४–२५

सभा का कार्य—

सभा का कार्य २७२२–२४, ३२००–०१, ३४३१–३२, ३४३३–३५, ३९८६–८९, ४०३९

समवाय विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

समिति (यां), संसदीय—

कार्य मंत्रणा समिति—

चौबीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन २९६०

चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३०९७–९९

पचीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३५३५

पचीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३६८२–८३

छब्बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४४३७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन २९६०

छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३२७१–७२

सैंतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६८३

सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ४०३७–३८

अड़तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४४३७

प्राक्कलन समिति—

तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३४३१

चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४४३७

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३१९९–३२००

पंद्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ३८५३

सरकारी आश्वासन (नों)—

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२; तृतीय सत्र, १९५३; चतुर्थ सत्र, १९५३; पंचम सत्र, १९५३; षष्ठम सत्र, १९५४; सप्तम सत्र, १९५४; अष्टम सत्र, १९५४; नवम सत्र, १९५५; दशम सत्र, १९५५ तथा चतुर्थ सत्र, १९५३ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३०, २५, २०, १४, १०, ६, प्रथम विवरण तथा अनुपूरक विवरण संख्या २ (सुझाव)—पटल पर रखे गये ३४२९–३१

सहगल, सरदार ए० एस०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४२६७, ४२६८

सामन्त, श्री एस० सी०—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९९१

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३०९

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक —द्वारा)—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४०३८

साहा, श्री मेघनाद—

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३७१४-१५

सिंह, डा० एस० एन०—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ४१७४—७६

—द्वारा प्रेस आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी वाद-विवाद के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३५३९

सिंह, डा० एस० एन०--(क्रमशः)

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प ३३०७

मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना अम्बरनाथ के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ४५१६–१७, ४५२१, ४५२२, ४५२४

सिंह, श्री सत्य नारायण--

कार्य मंत्रणा समिति--

चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३०९७

पचीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ३६८२, ३६८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८८, ४४९३

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४४८८, ४४९३

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२; तृतीय सत्र, १९५३; चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र, १९५३; षष्ठम सत्र, १९५४; सप्तम सत्र, १९५४; अष्टम सत्र, १९५४; नवम सत्र, १९५५; दशम सत्र, १९५५ तथा चतुर्थ सत्र, १९५३ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३३ ३५. ३०, २५. २०, १४, १०, ६, प्रथम विवरण तथा अनुपूरक विवरण संख्या २(सुझाव) पटल पर रखे ३४२९–३१

सभा का कार्य ३२००, ३२०१, ३९८७-८८, ३९८९

सिंह, श्री सत्य नारायण--(क्रमश)

समवाय विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४०१, ३४०२

सिंहासन सिंह, श्री--

समवाय विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३४३९

सोधिया, श्री के० सी०--

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३५०–५२

समवाय विधेयक--

खण्डों पर चर्चा ३१२५–२६, ३१४४–४६, ३१९१–९२

सोमानी, श्री जी० डी०--

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३११–१५

समवाय विधेयक--

खण्डों पर चर्चा २७८३–८४, २८५७, २९००–०३ ३०१९–२१, ३१४२–४३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३९६–३४०१

स्वामी, श्री शिवमूर्ति--

समवाय विधेयक--

खण्डों पर चर्चा २८३५–३६, ३००१

ह

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक--

देखिये "विधेयक (कों) के नीचे

हीराकुड बांध--

--की दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ३५३९–४०

हुक्म सिंह, सरदार—

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

खण्डों पर चर्चा ३४७७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव ३४८३, ३४९०, ३५०३, ३५८५–९०

हेडा, श्री—

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ४३४७–४८

हेमब्रोम, श्री—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३९४०–४६